GEETANJALI GUNJAN

National Seminar

ON

" IDEAS, PEOPLES AND INCLUSIVE EDUCATION"

ORGANISED BY :

Geetanjali B.Ed College, Borawar
&
R.K.Girls College,Borawar

2nd -4th Sept. 2023

GEETANJALI SHIKSHAN SANSTHAN
BORAWAR (RAJ.)
EVER FORWARD

Gujriya Bass Borawar, Teshil, Makrana,
Distt-Nagaur Raj-341502

मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रजव्वलित

मुख्य अतिथी डॉ. विष्णु कुमार का माल्यापर्ण करते संस्था सचिव

प्रोफेसर डॉ अशोक कुमार का माल्र्यापण करते हुऐ
व्यवस्थापक परवेज खान

महाविद्यालय छात्राओं द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत

प्रोफेसर डॉ. अशोक कुमार
सम्बोधिकत करते हुये

छात्राध्यापिकाओं ने दी
सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति

NATIONAL SEMINAR

ON

" IDEAS, PEOPLES AND INCLUSIVE EDUCATION"

2nd -4th Sept. 2023

Organizing Committee

Mrs. Memuna Bano	(Chairman)
Mr.Parvej Khan	(M.D)
Dr.C.S.Bhati	(Principal Bed)
Dr.Yagesh Gupta	(Principal RK)
Mr.Nanda Ram	(Coordinator)
Mr.Mukti Ram	(Co-Coordinator)
Mr.Rajendra Kumar Saini	(Lecturer)
Mr.Mukesh Chouhan	(Lecturer)
Mr.Rajendra Prasad	(Lecturer)
Mrs.Anita Kumawat	(Lecturer)
Mrs. Nikita Chouhan	(Lecturer)
Mr.Abdul Mazeed Gouri	(Lecturer)
Mr.Nawab Khan	(Lecturer)
Mr.Prem Raj Singh	(Lecturer)
Mr.Murari Lal Meena	(Lecturer)
Mr.Hari Ram	(Lecturer)
Mr.Mohammed Yunuse	(U.D.C.)
Mr.Mohammed Shahid	(Computer Operater)
Mr.Mohammed Nadeem	(Office Assistant)
Mr.Gautam Kumar	(Computer Operater)

संदेश

समावेशी शिक्षा सभी शिक्षक को बाधा –मुक्त पहुंच प्रदान करती है। सभी प्रकार के शिक्षक को एक की छत के नीचे अधिगम का अधिकार है, चाहे वे पिछड़े हो, हाशिए पर हो, या असक्षम वर्गों से हो या चाहे व प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, आलोचनात्मक विचारक, आदि हो। इस भूमिका का निर्वहन उन्हें भली प्रकार करनी चाहिए ताकि नई शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सकें।

मुझे आशा है कि ये शिक्षक जो इन संस्थानों से निकल रहे हैं वे देश में शिक्षा की अलख जगावेंगे।

Memuna Bano

चेयरमेन

गीतांजली शिक्षण संस्थान बोरावड़

संदेश

आज दिनांक 02.09.2023 से 04.09.2023 तक आयोजित सेमीनार का मुख्य उद्देश्य समावेशी शिक्षा का लक्ष्य खासकर सबसे कमजोर और वंचित बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा का विस्तार और सुधार करना है।

आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उपरोक्त लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये कई शिक्षा विदों ने अपने अनुभवों सबको रूबरू करवाया। मुझे पूर्ण आशा है कि इस सेमिनार में प्रवक्ताओं के उपयोगियों सुझावों एवं मार्गदर्शनों से हम निश्चित ही उपलब्धियों की और अग्रसर हो सकेगे।

मैं इस पत्रिका के प्रकाशन सम्बन्धी सभी सहयोगियों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

Lal Mohd Khan

सचिव

गीतांजली शिक्षण संस्थान बोरावड

संदेश

अत्यन्त हर्ष की बात है कि गीतांजली शिक्षण संस्थान द्वारा समावेशी शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन किया गया है।

इस सेमीनार में बड़ी संख्या में विद्वानों ने अपनी सहभागिता दर्ज करवाकर शिक्षक–शिक्षा एवं इससे सम्बन्धित अन्य ज्वलन्त मुदों पर विचार विमर्श करना सराहनीय प्रयास है।

सेमीनार की सफलता के लिए आपको हार्दिक बधाई एवं इस उपलक्ष में स्मारिका के प्रकाशन हेतु कोटिशः शुभकामनाऐं।

Parvej Khan(MD)

गीतांजली शिक्षण संस्थान बोरावड

INDEX OF ABSTRACTS

1.	समावेशी शिक्षा के प्रभावी बनाने के लिए प्राकृतिक वातावरणीय निर्माण	अब्दुल वहीद खिलजी	पूर्व प्रिंसिपल रा.उ.म.वि. मकराना
2.	समावेशी शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण	डॉ. सत्य प्रकाश तिवारी	प्रोफेसर माधाव यूनिवर्सिटी
3.	नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में समतामूलक और समावेशी शिक्षा	डॉ. विष्णु कुमार	प्रोफेसर सेंट्रल एकेडमी, अजमेर
4.	भारत में समावेशी शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर विचार	डॉ.सी.एस.भाटी	प्राचार्य गीतांजली बी.एड. कॉलेज बोरावड़
5.	समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका	डॉ.यज्ञेश गुप्ता	प्राचार्य आर.के. गर्ल्स कॉलेज बोरावड़
6.	समावेशी शिक्षा के परिलाभ एवं चुनौतियाँ	नन्दाराम चौधरी	समन्वयक गीतांजली बी.एड. कॉलेज बोरावड़
7.	समावेशी शिक्षा पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016	आर. के. सैनी(शोधार्थी)	सहायक प्रवक्ता गीतांजली बी.एड. कॉलेज बोरावड़
8.	**Development of Education in the context of Indian society**	मुकेश कुमार चौहान	सहायक – प्राध्यापक आर.के. गर्ल्स कॉलेज बोरावड़
9.	**आधुनिक समय में समावेशी नशा[illegible]**	मुक्तिराम कुमावत	सहायक प्रवक्ता आर.के. गर्ल्स कॉलेज बोरावड़
10.	Need of Inclusive Education In India	राजेन्द्र प्रसाद	रिसर्च स्कॉलर आर.के. गर्ल्स कॉलेज बोरावड़
11.	समावेशी शिक्षा में वि वस्तर पर शिक्षक की भूमिका	श्री हरि राम	एसोसिएट प्रवक्ता गीतांजली बी.एड. कॉलेज बोरावड़
12.	समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका एंव संविधान और शिक्षा	नवाब अली	सहायक प्रवक्ता आर.के. गर्ल्स कॉलेज बोरावड़

	नीतियों में प्रावधान		
13.	**INCLUSIVE EDUCATION IN INDIA**	निकिता चौहान	रिसर्च स्कॉलर आर.के. गर्ल्स कॉलेज बोरावड़
14.	समावेशी शिक्षा में विशिश्ट क्षमता वाले बालक	अनिता	सहायक प्रवक्ता आर.के. गर्ल्स कॉलेज बोरावड़
15.	समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व	अब्दुल मजीद	सहायक प्रवक्ता गीतांजली बी.एड. कॉलेज बोरावड़
16.	नई शिक्षा नीति 2020 समावेशी शिक्षा	मीना कवंर	सहायक प्रवक्ता गीतांजली बी.एड. कॉलेज बोरावड़
17.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा	मोहम्मद शाहिद	रिसर्च स्कॉलर
18.	समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा	मोहम्मद युनुस	रिसर्च स्कॉलर
19.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और समावेशी शिक्षा के लिए पहल	मोहम्मद नदीम खिलजी	रिसर्च स्कॉलर
20.	ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समावेशी शिक्षा	बबीता जांगिड़	छात्राध्यापिका
21.	समावेशी शिक्षा की आवश्यकता	सुनिता सैनी	छात्राध्यापिका
22.	समावेशी शिक्षा व माध्यमिक विद्यालय द्वारा वर्तमान में जारी भौक्षणिक की समीक्ष	पृथ्वीराज माली	शोधार्थी
23.	सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का प्रभाव–एक शोध परक अध्ययन	**रीना गौड़**	शोधार्थी
24.	**समावेशी शिक्षा में कक्षा शिक्षक और** **स्रोत शिक्षक की भूमिका**	**राकेश रेगर**	शोधार्थी
25.	**उच्च शिक्षा पॉलिसी प्रेक्टिस – मूवमेंट में** **बी. एड प्रशिक्षणार्थियों के स्कूल इंटरशिप में शिक्षण** **प्रभावशीलता व समावेशी शिक्षा का महत्त्व**	**कपिल उपाध्याय**	शोधार्थी

समावेशी शिक्षा के प्रभावी बनाने के लिए प्राकृतिक वातावरणीय निर्माण

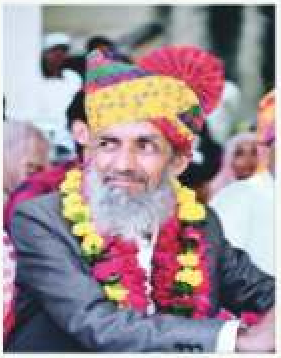

अब्दुल वहीद खिलजी

पूर्व प्रिंसिपल रा.उ.म.वि. मकराना

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र भारतीय संदर्भ में समावेशी शिक्षा की वर्तमान समय में आवश्यकता एवं प्रमुख चुनौतियों की स्थिति का विश्लेषण करने की चेष्टा करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी विकलांग बच्चे विकास की मुख्यधारा से अलग–थलग दिखाई पड़ते हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर उनके विकास के लिए किए जाने वाले अनेकानेक प्रयत्नों के बावजूद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं आया है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अधिकांश आबादी आज भी समाज की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पायी है। विकास के एक मुख्य मापदंड के रूप में शिक्षा के महत्व को देखते हुए यह आवश्यक है कि विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। प्रस्तुत शोध पत्र में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं उसकी चुनौतियों का तथ्यात्मक एवं संख्यात्मक वर्णन किया गया है। इसमें अशिक्षा से उत्पन्न होने वाली सामाजिक विकृतियों एवं असमानता से बचने की बात करते हुए समावेशी शिक्षा की बात कही गयी है। जिससे विकलांग बालक अपने आपको समाज का एक कटा हुआ भाग न समझ कर समाज का हिस्सा ही समझे, इसके साथ ही विद्यालय एवं समाज के लोग भी उनके साथ सामान्य व्यवहार करें। विभिन्न शोध अध्ययनों, सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत शोध पत्र के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व है कि हाशिये पर पड़े हुए विशिष्ट बालकों की शिक्षा के संबंध में जानकारी एकत्रित की जाए जिससे उन्हें समावेशी शिक्षा में शामिल करते हुए उनको देश तथा समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जा सके।

प्रमुख प्रत्यय / शब्दावलीः समावेशी शिक्षा, साक्षरता दर, विकलांगता, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, चुनौतियाँ।

प्रस्तावना:

शिक्षा का संबंध मनुष्य की संज्ञानात्मक, भावनात्मक, एवं सामाजिकता के गुणों के उन्नयन से है। जीवन में शिक्षा की इतनी अधिक उपयोगिता है कि कहा गया है "बिना शिक्षा व ज्ञान के मनुष्य पशु के समान है।" (निरुपमा, 2010)। वर्तमान समय में सामान्य शिक्षा के साथ–साथ समावेशी शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। समावेशी शिक्षा, शिक्षण की ऐसी प्रणाली है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ मुख्यधारा के स्कूलों में पठन–पाठन और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलता है जिससे वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। इसके तहत स्कूलों में पठन–पाठन के अलावा विकलांग बच्चों के लिए बाधारहित वातावरण का निर्माण कार्य भी शामिल है। शिक्षण की इस नवीन प्रणाली से हाशिये पर के वे बच्चे लाभान्वित होते हैं जिन्हें अपनी दिनचर्या से लेकर पढ़ाई पूरी करने तक विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्यतः दृष्टि, श्रवण एवं अधिगम अक्षमता के साथ–साथ मानसिक मंदता और बाधिरंधता से ग्रस्त होते हैं। इन्हें सामान्य बच्चों के साथ समायोजित होने में काफी कठिनाई होती है। माता–पिता या अभिभावकों की सोच भी इन बच्चों के प्रति सकारात्मक नहीं होती है, जिसके कारण वे अपने आपको समाज से कटा महसूस करते हैं। परिणामस्वरुप वे स्कूली शिक्षा से बाहर ही रह जाते हैं। समाज में ऐसे बच्चों की आबादी 5 से 10 फीसदी है। इसलिए ऐसे बच्चों का शिक्षा में समावेशन किया जाना अति आवश्यक है। (संजीव, 2008)।

समावेशी शिक्षा में उन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होते हैं अर्थात समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक, प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनायी जाती है। यह एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो यह तय करती है कि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और इसमें उनकी योग्यता, शारीरिक–अक्षमता, भाषा–संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी प्रकार का अवरोध पैदा न कर सके। (भार्गव, 2016)। आज ब्रिटेन तथा अमेरिका जैसे कुछ विकसित देशों में इस प्रकार की शिक्षण संस्थाएँ आवासीय विद्यालयों के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन हमारा देश भारत विकासशील होते हुए भी इस प्रकार की संस्थाओं से अभावग्रस्त है।

अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य– समावेशी शब्द का प्रचलन 1990 के दशक के मध्य से बढ़ा जब 1994 में सलामांका (स्पेन) में यूनेस्को द्वारा विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष विश्व सम्मेलन सुलभता और समता (स्पेशल नीड्स एजुकेशन एसेस ऍंड क्वालिटी) का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में 92 सरकारों और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का समापन इस उद्घोषणा के साथ हुआ कि "प्रत्येक बच्चे की चरित्रगत विशिष्टताएँ, रुचियाँ, योग्यता और सीखने की आवश्यकतायें अनोखी होती हैं।" इसलिए शिक्षा प्रणाली में इन विशिष्टताओं और आवश्यकताओं की व्यापक विविधता का ध्यान रखा जाना चाहिए। सलामांका वक्तव्य में इस बात पर बल दिया गया कि 'हर शिशु को शिक्षा का बुनियादी अधिकार है और उसे अधिगम का एक स्वीकार्य स्तर प्राप्त करने और बनाए

रखने का अवसर दिया जाना चाहिए।' डाकर सेनेगाल (2000) में आयोजित विश्व शिक्षा मंच (वर्ल्ड एजुकेशन फोरम) पर भी शिक्षा में समावेश की बात दोहराई गई। डाकर सम्मेलन में स्पष्ट किया गया कि 'किसी व्यक्ति या बच्चों को उच्च कोटि की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के अवसर से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि वह सामर्थ्य से परे है।' विशेष आवश्यकता वाले अभावग्रस्त उपजाति अल्पसंख्यकों के दूर–दराज और अलग–अलग समुदायों के तथा शिक्षा से वंचित नगरीय व दूसरे लोगों का समावेश वर्ष 2015 तक सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति की रणनीतियों का अभिन्न अंग होना चाहिए (यूनेस्को 2000) अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इन विकास कार्यक्रमों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि कोई भी देश 'समावेशी शिक्षा' को कार्य रूप दिए बगैर अपनी तरक्की कर ही नहीं सकता है। (संजीव, 2008)।

समावेशी शिक्षा, शिक्षा के संबंध में नीति और अभ्यास दोनों स्तरों पर एक वास्तविक परिवर्तन को दर्शाती है। शिक्षार्थियों को इस प्रणाली के केंद्र में रखा जाता है, जिससे उसकी सीखने की विविधता को पहचानने, स्वीकार करने और जवाब देने में सफलत हासिल की जाए । समावेशी शिक्षा की आवश्यकता न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है इसलिए इस शिक्षा को नीति स्तर पर समर्थित करने, लक्ष्य रखने एवं कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मुख्यधारा परिस्थिति में सभी शिक्षार्थियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना तथा पूरे विद्यालयी दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने, स्कूलों को अधिक समावेशी बनाने के लिए आवश्यक उपायों को प्रदान करना है। समस्त शिक्षार्थियों की शिक्षा के लिए विद्यालयों को आवंटित सामान्य वित्तपोषण को समावेशी शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए, इसमें शिक्षार्थियों की विफलता की स्थिति में विद्यालयों के लिए अतिरिक्त धन की सहायता भी शामिल है। इसके अलावा इसमें अधिक गहन समर्थन की आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर अधिक धन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। समावेशी शिक्षा प्रणाली के लिए अंतिम दृष्टी यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी उम्र के सभी शिक्षार्थियों को उनके स्थानीय समुदाय में अपने दोस्तों एवं सहपाठियों के साथ सार्थक उच्च गुणवत्ता वाले अवसर प्रदान किए जाएँ।

संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में कई अंतर्राष्टीय निकाय और एजेंसिया विकलांग छात्रों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने एवं उसमें सुधार करने के लिए विभिन्न तरीकों से काम कर रहे हैं। इसमें आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनिसेफ इत्यादि शामिल हैं। इन सभी निकायों का काम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानक उपकरणों, कार्यक्रमों एवं क्रिया योजनाओं के साथ चल रहा है। शिक्षा के संबंध में इन सभी निकायों का कार्य सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसके अलावा सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना, समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता की शिक्षा को सुनिश्चित करना है (यू.एन. है 2015)। ये समस्त निकाय समावेश का एक व्यापक दृष्टिकोण लेते हैं अर्थात विकलांग पुरुष एवं महिलाओं, अल्पसंख्यक, स्वदेशी और ग्रामीण समुदाय के सदस्यों के लिए असमानताओं को कम करने पर बल देते हैं (मिजर, 2001)। इस बात की पुष्टि

समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में किये गये विभिन्न शोध कार्यों से भी होती है। यूरोपियन एजेंसी ऑफ डेवलपमेंट इन स्पेशल नीड्स एजुकेशन (2001) ने 'इंक्लूसिव एजुकेशन ऐंड इफेक्टिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस' नामक शोधकार्य प्रकाशित किया, इसमें विभिन्न देशों के समावेशी शिक्षा से संबंधित शोधों को शामिल किया गया। मार्टसन एण्ड मैगनूसन (1991) ने 'को–आपरेटिव टीचिंग प्रोजेक्ट' (सी.टी.पी.) पर कार्य करके यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि विद्यालयी रूप से असफल छात्रों को समान कक्षा के साथ ही सप्ताह में कुछ समय विशेष अनुदेशन देने से उनकी उपलब्धि पर सामान्य बच्चों की तरह ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। काम्प्स, बारबेट, लियोनार्ड एवं डेलक्वाड्री (1994) ने 'क्लास वाइज पीयर ट्यूटोरिंग' (सी.डब्ल्यू.पी.टी.) विषय पर 'आत्मकेन्द्रित एवं गैर–आत्मकेन्द्रित' छात्रों को लेकर अध्ययन कार्य करके यह निष्कर्ष प्राप्त किया किया कि– आत्मकेन्द्रित वाले वे छात्र जो पहले कम सामाजिक थे, सी.डब्ल्यू.पी.टी.के उपयोग बाद अत्यधिक सामाजिक हो गए। फुस, माथेस एवं साइमन्स (1997) ने 'पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रैटजी' (पी.ए.एल.एस.) की प्रभावशीलता को अधिगम अक्षमता (लर्निंग डिसेबिलिटी), गैर–अधिगम अक्षम लेकिन कम उपलब्धि (नॉन– लर्निंग डिसेबिलिटी बट लो परफॉरमेंस), और सामान्य उपलब्धि (एवरेज एचीवर) पर देखा, जिसमें इन समस्त छात्रों को हर रोज सामान्य बच्चों के साथ जोड़ी बनाकर ऊँची आवाज में अध्ययन करना पड़ता था, निष्कर्ष से पता चला कि अधिगम अक्षमता, गैर–अधिगम अक्षम लेकिन कम उपलब्धि और सामान्य उपलब्धि वाले छात्रों की उपलब्धि 'पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रैटजी' की वजह से सार्थक रूप से बढ़ गया।

''समावेशी शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण''

डॉ. सत्य प्रकाश तिवारी

Associate Professor

Email:tiwarisp2017@gmail.com

माधव युनिवर्सिटी पिंडावा, आबू रोड़, सिरोही

भोध सार–समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक–बालिकाएं और मानसिक तथा भारीरिक रूप से बाधित बालक एवं बालिकाओं सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों समानता के अधिकार की बात करता है और इसीलिए इसके सभी भौक्षिक कार्यक्रम इसी प्रकार के तय किए जाते हैं ऐसे संस्थानों में विशिष्ट बालकों के अनुरूप प्रभावशाली वातावरण तैयार किया जाता है और नियमों में कुछ छूट भी दी जाती है जिससे कि विशिष्ट बालकों को समावेशी शिक्षा के द्वारा सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने क कोशिश की जाती है।

मुख्य भाब्द–समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाशा, विशेषताएं, क्षेत्र, लाभ, आव यकता, महत्व, सिद्धांत, समस्याएं।

प्रस्तावना

अगर हम इस प्रश्न का उत्तर सोचे तो यही कहेंगे कि आज के बदलते परिवेश में कुछ लोगों को ज्यादा महत्व देना तथा कुछ लोगों को बिल्कुल अलग रखना अनैतिक कार्य है। अर्थात कुछ बच्चों को घर के पास ही अच्छे स्कूल में पढ़ाना तथा कुछ बच्चे जिनकी आवश्यकताएं थोड़ी भिन्न हैं उनको दूर किसी विशेष स्कूल में पढ़ाना एक अनैतिक कार्य है। इसके अलावा हम यह कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा इसमें जरूरी है।

डॉ. विष्णु कुमार

प्रोफेसर

सेन्ट्रल एकेडमी, टी टी कॉलेज-अजमेर

Email: vishnukr.12@gmail.com

सार–समावेशी शिक्षा की अवधारणा भारत के लिए नई नहीं हैं, पर यह व्यापक प्रचलन में पिछले दशक से है। समावेशाी शिक्षा में निहित मूल विचार यह है कि प्रत्येक बच्चे के साथ समान व्यवहार किया जाए और उसे उसकी अन्तर्निहित सही क्षमता को साकार करने का पर्याप्त अवसर दिया जाए। इसमें स्कूल के भीतर ऐसी शिक्षण पद्धतियों का उपयोग भी निहित है जिनमें प्रत्येक बच्चे, चाहे उसकी जाति, वर्ग, विशिष्ट संस्कृति, लिंग तथा योग्यता के अन्तर जो भी हों, की जरूरतों पर समुचित ध्यान दिया जाए। नई शिक्षा नीति में 2020 में समावेशी शिक्षा और समतामूलक पर व्यापक सिफारिशों की गई है इसी संदर्भ में यह लेख लिखा गया है जिसमें नई शिक्षा नीति 2020 समावेशी शिक्षा के संदर्भ में दी गई सिफारिशों का विश्लेशणात्मक अध्ययन किया गया है।

मुख्य भाब्द– शिक्षा, समावेशी शिक्षा, नई शिक्षा नीति

प्रस्तावना

शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राश्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आव यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है। शिक्षा सामाजिक न्याय और सम्मानता प्राप्त करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन है। समतामूलक और समावेशी शिक्षा न सिर्फ स्वयं में एक आवश्यक लक्ष्य है, बल्कि समतामूलक और समावेशी निर्माण के लिए भी अनिवार्य कदम है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को सपने संजोने विकास करने और राष्ट्र हित में योगदान करने का अवसर उपलब्ध हो। यह शिक्षा नीति ऐसे लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ती है जिससे भारत देश के किसी भी बच्चे के सीखने और आगे बढ़ने के अवसरों में उसकी जन्म या पृश्ठभूमि से संबंधित परिस्थितियां बाधक न बन पायें। यह नीति इस बात की पुनः पुष्टि करती है कि स्कूल शिक्षा में पहुँच, सहभागिता और अधिगम परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अंतरालों को दूर करना सभी शिक्षा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य होगा।

भारत में समावेशी शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर विचार

डॉ चन्द्र सिंह भाटी (HOD)

गीताजंली बी. एड कॉलेज–बोरावड़

Email: csbhati.ajmer@gmail.com

सार–21वीं भाताब्दी में भारत में विकलांग शिक्षा, बुनियादी ढांचे और विकलांगों की शिक्षा के संबंध में विभिन्न नीतियां बनी है। एक बच्चे का भौक्षणिक क्षमता को उसकी सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक क्षमताके साथ–साथ विकसित किया जा सकता है बच्चे के विकास के अन्येान्याश्रित पहलू। सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए, समावेशीः सीखने के अनुकूल और दुनिया भर के हर स्कूल और समुदाय में बाधा–मुक्त वातावरण आवश्यक है। शिक्षार्थियों को उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं या कठिनाइयों की परवाह किए बिना शिक्षा का अधिकार है। विकासशील देश होने के कारण भारत के पास सीमित संसाधन और विशाल जनसंख्या है भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सीमित संसाधनों में व्यक्तिगत भिन्नता वाले सभी व्यक्तियों का एक ही छत के नीचे समावेशन आवश्यक है।

मुख्य भाब्द– विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (सीडब्ल्यूएसएन), समावेशी शिक्षा, भौक्षिक स्थिति, सरकार पहल।

1. परिचय

21 भाताब्दि में भारत में विकलांग शिक्षा, बुनियादी ढांचे और विकलांगों की शिक्षा के संबंध में विभिन्न नीतियां बनी है। एक बच्चे का भौक्षणिक क्षमता को उसकी सामाजिक, भावनात्मक और भारीरिक क्षमता के साथ–साथ विकसित किया जा सकता है बच्चे के विकास के अन्यान्याश्रित पहलु। सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए, समावेशीः सीखने के अनुकूल और दुनिया भर के हर स्कूल और समुदायमें बाधा–मुक्त वातावरण आवश्यक है। शिक्षार्थियों को उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं या कठिनाइयों की परवाह किए बिना शिक्षा का अधिकार है। एक विकासशील देश होने के कारण भारत के पास सीमित संसाधन और विशाल जनसंख्या है। भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सीमित संसाधनों में व्यक्तिगत भिन्नता वाले सभी व्यक्तियों का एक ही छत के नीचे समावेशन आवश्यक है।

2. उद्देश्य

उद्देश्यों में भाामिल हैः

(अ) भारत में समावेशी शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना (ब) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए भारत के स्कूलों में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना। (स) समावेशी शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल की समीक्षा करना।

3. विधि / कार्यप्रणाली

यह अध्ययन द्वितीयक दत्त और साहित्य की समीक्षा पर आधारित है। की रिपोर्ट से आवश्यक डेटा एकत्र किया जाता है। यह भारत में विकलांगों की भौक्षिक स्थिति और भारत के सभी राज्यों में स्कूलों में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के रूझान पर भी ध्यान केंद्रित करता है। डेटा में जनगणना 2011 और 2012–13 से 2015–16 (UDISE) तक का डेटा भाामिल है। इसके अलावा, अध्ययन का उद्देश्य समावेशी शिक्षा के संदर्भ में विकलांग शिक्षा की समीक्षा करना था।

4. विकलांगता की अवधारणा

सभी बच्चे किसी न किसी तरह से अलग–अलग स्तर तक एक–दूसरे

डॉ .सी .एस .भाटी
प्राचार्य
गीतांजली बी .एड .कॉलेज,बोरावड

समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका

डॉ यज्ञेश गुप्ता

आर.के.गर्ल्स कॉलेज,बोरावड़

प्रत्येक बालक में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जन्मजात पाये जाते है। ये गुण प्रायः आनुवंशिकता से सम्बन्धित भी हो सकते हैं अथवा नहीं भी। इन्हीं गुणों के आधार पर ही बालकों का भौक्षिक स्तर निर्भर करता है। सामान्य बालकों का भौक्षिक स्तर उनकी बुद्धि लब्धि तथ क्षमताओं के आधार पर ही तय किया जाता है। ठीक इसी प्रकार वह बालक जो कि विशिष्ट बालक होते है। उन्हें भी शिक्षा के पूर्ण अवसर प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है, जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जैसे– मन्दबुद्धि, अन्धे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है।

डॉ. यज्ञेश गुप्ता

प्राचार्य

आर.के.गर्ल्स कॉलेज,बोरावड़

समावेशी शिक्षा के परिलाभ एवं चुनौतियाँ

Nanda Ram Chaudhary

Codinator

Geetanjali B.Ed College Borawar

सारः—समावेशन एक ऐसा शब्द है जो एक कक्षा के सीखने या शारीरिक रूप से अक्षम छात्र को अपने साथियों के साथ सीखने को अनुमति देता है। यह सभी को सामान्य शिक्षा प्रदान करने का सीधा व सरल तरीका है। भले ही कोई कक्षा की स्थापना करना व्यक्तिगत जरूरतों के कारण जटिलता में भिन्न हो सकता है, लेकिन एक सकारात्मक दृष्टिकोण से हर किसी को उन बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकता है। समावेशन कक्षा मानवता को विविधताओं के बावजूद भी हमें मजबूत बनाती है और हमारी रचनात्मकता को बढ़ाती है। यदि विविधापूर्ण कक्षा नहीं है तो यह बच्चे की समग्र सीखने की क्षमता को कम कर सकती है। जैसे विविध रंगों को समेट कर एक सुन्दर इन्द्र धनुषी रचनात्मकता दिखाई देती ळें

मुख्य भाब्दः— समावेशन, अक्षम छात्र, विविधता, समावेशी कक्षा, सकारात्मक भागीदारी, विशिष्ट बच्चे।

समावेशी शिक्षा के परिलाभ को निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार जानेगें:—

1. **समावेशी कक्षा (शिक्षा) छात्रों में भाईचारा एवं मित्रता को प्रगाढ़ बनाने का उपयुक्त तरीका है**

   एक समावेशी कक्षा इस गतिशीलता को बदल देती है जो मानते है कि जो लोग अपने जैसे सामान्य दिखते है। वही कार्य करते, वहीं मित्र है, यह छात्रों को एक साथ रहने की अनुमति देती है। समावेशी शिक्षा विद्यालय के भीतर एक बेहतर समरसता एवं मैत्री भाव स्थापित करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर कोई अपनी क्षमता से सीख सके आगे बढ़ सके।

2. **यह सभी छात्रों के लिए उच्च स्तरीय उम्मीदें प्रदान करते है—**

   बच्चे आमतौर पर उन मानकों और लक्ष्यों के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे जो हमने उनके लिए या उन्होंने अपने लिए निर्धारित किए है। जब बच्चों को सीखने या दूसरों के साथ बातचीत करने की उनकी क्षमता के आधार पर विशेष कक्षाओं से अलग किया जाता है। तो एक नकारात्मक परिणाम की गुंजाइश रहती है

   समाविशी कक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए उच्च आकांक्षाएं (उम्मीदे) निर्धारित कर नेतृत्व और समस्या समाधान को प्रोत्साहित करते हुए सीखने की क्षमता को बढ़ाती है।

3. **समावेशी शिक्षा (कक्षाएं) शिक्षक साथियों के सहयोग को बढ़ाती है—**विशेष शिक्षा और सामान्य शिक्षा के दृष्टिकोण से शिक्षकों के बीच विभाजन पैदा हो जाता है। सामान्य और विशिष्ट बालकों की कक्षाएं कर्मचारियों, प्रशासनिक निकाय तथा विद्यालय के भीतर सहयोग की भावना को हतोत्साहित करती है। वही समावेशी कक्षाएं सभी को एक साथ लाती है। सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि करती है। क्योंकि हर कोई अलग—अलग लक्ष्यों के बजाय अपने छात्रों के लिए समान लक्ष्यों की दिशा में काम कर सकता है।

4. **अभिभावकों एवं बच्चों की नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक भागीदारी को प्रोत्साहित करती है—**जब किसी छात्र के लिए शैक्षिक आव यकता होती है, जिन्हें विद्यालय ही पूरा कर सकता है। माता—पिता अपने बच्चे की रक्षा पंक्ति में हमेशा पहली पंक्ति में होते है। जो शिक्षकों और प्रशासन के साथ मिलकर एक अच्छी शैक्षिक

योजना को विकसित करने में सहयोग प्रदान करते है। जो प्रत्येक बच्चे के लिए सीखने के अवसरों को बढ़ाती है। यह प्रक्रिया उन परिवारों को उनके समुदाय में एकीकृत करती है। जिनके घर में कोई विशेष शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे हो उन्हें इससे अलग करने के बजाय उनकी जरूरतों के लिए उपलब्ध अधिक संसाधन से पूरी होती है। एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

5. **कम खर्चीली व्यवस्थाः—**समावेशी शिक्षा व्यवस्था एक कम खर्चीली व्यवस्था है जहां सामान्य और विशिष्ट बालकों को एक साथ पढ़ाने का कार्य किया जाता है। विशिष्ट बच्चे के लिए विशेष विद्यालयों एवं संसाधनों को अलग से जुटाने की आव यकता नहीं पड़ती तो इसलिए यह शिक्षा प्रणाली एक सुगक व कम खर्चीली व्यवस्था है।

चुनौतिया / अवरोध

1. **यह संरचना अन्य छात्रों के लिए सीखने के माहोल को बाधित कर सकती है—**विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में अक्सर उन्नत उत्तेजना या तनाव (ट्रिगर) होते है जो कक्षा में चुनौती पूर्ण व्यवहार और कार्यो को जन्म दे सकते है जब वे व्यवधान उत्पन्न करते है तो अन्य (सामान्य) छात्रों के लिए पाठ्यक्रम पर ध्यान देना अधिक कठिन हो जाता है यदि हर दिन कई रूकावटें आती है तो स्कूल के माहौल में विविधता पर जोर देने के बावजूद उनकी सीखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है।
2. **भाारीरिक अक्षमताओं के लिए वि ोश कक्षा विन्यास की आव यकता होती है—** कुछ छात्र ऐसे है कि उनकी समस्या विशिष्ट सीखने की अक्षमता है जो समावेशन कक्षा से इस हद तक गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते है कि वे उस कक्षा में टिके रहने में असमर्थ है जब यह स्थिति कक्षा में मौजूद होती है तो उनकी एक विशेष कक्षा की ओर देखना पड़ता है।
3. **यदि समावे ाी प्रक्रिया को सफल बनाना है तो जल्दबाजी नहीं की जा सकती और समय अधिक लगता है—**समावेशी शिक्षा फायदेमंद हो सकती है जब वैयक्तिकरण की समस्या को हल करते है। कई बार समय अधिक लगता है तथा समय पर लक्ष्यों को पूरा करना भी कठिन हो जाता है। सामान्य शिक्षण वातावरण के अनुकूल होने के लिए संघर्श कर सकते हैं।
4. **विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के प्रति जन सामान्य का दृश्टिकोण, वे स्वंय को हीन भावना में पाना—** विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्र अपने आप को अलग एवं संकुचित दायरे में पाते है। जिससे सीखने का विकास एवं कमजोरी बन जाती है जो अन्य छात्रों को चिढ़ाने और धमकाने के द्वार खोल देते है जिन बच्चों में भाारीरिक अक्षमता होती है वे इस समस्या को छिपाने के लिए कुछ भी कर सकते है। वे अपने आप को एक छोटी भूमिका में धकेल लेते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ

एमएचआरडी (2005)। विकलांग बच्चों और युवाओं की समावेशी शिक्षा के लिए कार्य योजना। http://www.education.nic.inपर उपलब्ध है

एनसीईआरटी (1998)। छठा अखिल भारतीय भौक्षिक सर्वेक्षण। नई दिल्लीः राश्ट्रीय भौक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद।

एनसीईआरटी (2006)। शिक्षा में विकलांग बच्चों और युवाओं को भाामिल करना, अभ्यासकर्ताओं के लिए एक मार्गदर्शिका। विषेश आवश्यकता वाले समूहों का शिक्षा विभाग। नई दिल्लीः राश्ट्रीय भौक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिशद। http://ncert.nic.inपर उपलब्ध है।

एनसीएफ (2005)। राश्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। नई दिल्लीः एनसीईआरटी। पीपी 79—89

नन्दाराम चौधरी
समन्वयक
गीतांजली बी.एड.कॉलेज,बोरावड़

समावेशी शिक्षा पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016

आर. के. सैनी (शोधार्थी)

सहायक प्रवक्ता

गीताजंली बी. एड कॉलेज–बोरावड़

Emai: rajendrakumar.saini@gmai.com

भाोध सारः– समाज में सामान्य तथा असामान्य बालकों में भेदभाव उनकी प्रारम्भिक अवस्था से ही किया जाता है। यहाँ तक कि माता–पिता के व्यवहार में भी भिन्नता होती है। इन दो प्रकार के बच्चों के प्रति (सामान्य बच्चे व विशेष बच्चे) उनकी अपेक्षाओं में अन्तर किया जाता है। एक तो आशावादी तथा दूसरे को उदासीन दृश्टिकोण से देखा जाता है। असक्त बालकों की शिक्षा के लिए किए गए विशिष्ट प्रावधानों एवं विशिष्ट विद्यालयों से उतना लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, जितना अपेक्षित था क्योंकि ये बालक प्रारम्भ से ही पिछड़े रहे। इसलिए समावेशी शिक्षा में उन अशक्त बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उन्हें शिक्षा देने का एक अनोखा प्रसास है।

मुख्य भाब्दः– असक्त बालक, विशिष्ट विद्यालय, समावेशी शिक्षा, दिव्यांग जन, भारतीय संहिता–दंड

भूमिका–Inclusive word 'Include' से बना है इसका भााब्दिक अर्थ है–'Being a part of something'(किसी चीज का अंक होना), Being embraced into the whole. (सम्पूर्ण में समाविश्ट होगा)। समावेशन का अर्थ–मुख्य धारा (mainstream) के विद्यार्थियों मे विशिष्ट आवश्यकताओ के बच्चों का अपने सहपाठियों के साथ शिक्षा ग्रहण करना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) के अनुसार, 'समावेशी शिक्षा' का अर्थ है कि सभी सीखने वाले हो अथवा युवा, चाहे अशक्त हो अथवा नहीं, सामान्य विद्यालय, पूर्व व्यवस्था विद्यालयों एवं सामुदायिक शिक्षा कन्द्रों में उपयुक्त सहयोगी सेवाओ के साथ आपस में मिलजुल कर सीखनें में समर्थ हों।

असक्त बच्चों के लिए दया, करूणा तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाता है। इसलिए ऐसे बालक भाुरू से ही दीनहीन तथा कृपादृश्टि के पात्र बनते चले गऐ।

यही कारण है कि ऐसे बालक सामान्य विद्यार्थियों के समान सामान्य विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। इसलिए ''समावेशी शिक्षा अपने मूलभूत रूप में एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है जिसका अर्थ है–किसी चीज का अंग होना, सम्पूर्ण में समाविश्ट होना।''

असक्त बालकों की शिक्षा के लिए किए गए विशिष्ट प्रावधानों एवं विशिष्ट विद्यालयों से उतना लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, जितना अपेक्षित था क्योंकि ये बालक प्रारम्भ से ही पिछड़े रहे। इसलिए समावेशी शिक्षा में उन अशक्त बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उन्हें शिक्षा देने का एक अनोखा प्रयास है, जिसमें सामान्य बालक भी सम्मिलित हैं।
समावेशी शिक्षा केवल अभक्त बालकों के लिए नहीं है। यह सत्य है कि अभक्त बालक किसी न किसी रूप में भाारीरिक या मानसिक रूप से पिछड़े हुए है और इनका भौक्षिक अलगाव भी स्पश्ट रूप से देखा जा सकता है। इसी रूप में समावेशी शिक्षा ने मुख्य कार्य किया और इन आयुक्त बालकों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का बीड़ा उठाया।

दिनांक 08.12.2014 को इस विभाग नाम बदलकर (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया है।

दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम, 2006 (RPWD अधिनियम)-दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम, 2006 (RPWD अधिनियम) के अनुसार, ''दिव्यांग से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो दीर्घावधि तक भारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अथवा ग्राहय संबंधी अशक्ता का शिकार रहा है और जो बाधाओं और रूकावटों के रूप में समाज के साथ उसकी पूर्ण सहाभागिता को प्रभावित करती है (दिव्यांगजन अधिकार, अधिनियम 2016, के अनुसार ''बेंचमार्क अशक्ता के साथ व्यक्ति'' से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी विकलांगता से न्यूनतम 40% पीड़ित हो जहां पर विनिर्दिश्ट विकलांगता को सही तरीके से परिभाशित नहीं किया गया हो और प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी द्वारा उस व्यक्ति की विशिष्टविकलांगता को सही रूप से परिभाशित किया है। (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, अध्याय–1, खंड–2, उप खंड (द) का संदर्भ से')

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 संयुक्त राष्ट्र महासभा–

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 संयुक्त राश्ट्र महासभा ने, 13 दिसम्बर, 2006 को दिव्यांगजन के अधिकार पर उसके अभिसमय को अंगीकृत किया था, और पूर्वोक्त अभिसमय दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए निम्न विचित्र सिद्धांत अधिकथित करता हैः–

(क) अंत र्निहित गरिमा, वैयक्तिक स्वायत्रता के लिए आदर, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की स्वंय की पसंद की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की स्वतंत्रता भी है।

(ख) अविभेद

(ग) समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और सम्मिलित होना।

(घ) मानवीय भेदभाव और मानवता के भाग के रूप में दिव्यांगजनों की भिन्नता के लिए आदर और उनका ग्रहण।

(ड़) अवसर की समानता

(च) पहुँच

(छ) पुरूशों और स्त्रियों के बीच समता

(ज) दिव्यांग बालकों की बढ़ती हुई समता के लिए आदर और दिव्यांग बालकों की पहचान परिरक्षितकरने के उनके अधिकार के लिए आदर, और भारत उक्त अभिसमय का एक हस्ताक्षरकर्ता है, और भारत ने 1 अक्टूबर 2007 को उक्त अभिसमय का अनुसमर्थन किया था। और पूर्वोक्त अभिसमय को कार्यान्वित करना आव यक समझा जाता है।

दिव्यांगजन अधिकार के सम्बन्ध में सरकार के प्रयासः–

1. सुगम्य भारत अभियान–इसका भुभारम्भ 15 दिसम्बर, 2015 को।
2. सुगम्य पुस्तकालय–इसका भुभारम्भ वर्श 2016 को। 3. गार्डियनशिप की व्यवस्था–
4. बेंचमार्क विकलांगता के लिए विशेष प्रावधान– 5· शिक्षा संबंधी सुधार– 6 से 18 वर्श तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। 6· फण्ड की व्यवस्था– 7· आरक्षण की व्यवस्था– 3% से बढ़ाकर 4% कर दी गई।

   उक्त अधिकारों के अलावा भी अगर कोई व्यक्ति दिव्यांगजनों के अधिकारों का हनन करता है या भेदभाव करता है तो IPC (Indian Penel code) धारा 429 में दण्ड का प्रावधान किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः–

1. शंकर, प्रेम (2009) विशिष्ट बालक, लखनऊ आलोक प्रकाशन।
2. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016

Website

1. http://corescholar.libraries.wright.edu/ejie 2. http://medsped.soe.umd.umich.edu/belinda/modelsof.htm

Mukesh Kumar Chauhan
(Assist. Prof.)

GeetanjaliB.Ed College Borawar
Email: mk108572@gmail.com

ABSTRACT

In 1966, the Kothari Commission had highlighted the importance of educating children with disabilities in regular schools. The government of India launched the Integrated Education for Disabled Children (IEDC) program in 1974. This was the first formal step towards inclusion.
In the National Education Policy 1986, it has been strongly stated that as far as possible, the education of physically challenged and other generally handicapped children should be done together and the education of generally handicapped children should be done together and equal to that of normal children. It believes that such handicapped children whose education is possible in general schools should be educated only in general schools and not in special schools. Even such children who are already receiving special courses of proper education or training in specialized educational institutions or are gaining expertise in some field of work.

Key word:- Inclusive Education, NEP, Communication Skill, IEDC

Development of Education in the context of Indian society

Mukesh Kumar Chauhan
(Assist. Prof.)
GeetanjaliB.Ed College Borawar
Email: mk108572@gmail.com

History of Inclusive Education in Indian Education System

In relation to making children capable citizens, knowledge of their tendency, interest and desires in relation to teachers was obtained. This knowledge actually inspired the discovery of psychological facts. As a result, the pre-existing education system was completely changed.

History of inclusive education in the seventeenth century

Firstly, due to the hard work of education reformer John Amos Comenius, scientific method emerged in the education system in 1628 AD with the publication of his book School of Infancy. Keeping in mind the grasping power of gentle and playful children, Comenius created a second book named Arbisvictus in 1657 AD. The System of independent development of the children was determined on the individual capacity and propensity of the children.

History of inclusive education in the eighteenth century

In the 18th century, there were generally two systems of education for children. The first was the philosophical branch of study of child education and the second was the study of children through daily observation. The ideas of educationists like John Locke, Rousseau and Herbert promoted the natural method of studying children and developed the natural methods of children. Thus the scientific method of child study started in the 18^{th} century. In the first half of the 19^{th} century, the study of children did not have the same intensity in their progress as in the second half of it.

History of inclusive education in the nineteenth century

There was tremendous progress in the study of child development in the 19th century. The infants were individually studied zoologically. Editing of various newspapers and magazines for compilation of facts and figures related to child development also started from this century. In America, Germany, England, France and western countries in the 19^{th} century, the study of child development was given more importance and considerable success was also achieved.

As a result of child development study, those children were also identified who had become a problem of school, family and society due to mental weakness or disability. The second psychological treatment home was established in the Unicersity of Pennsylvania in 1896. Special progress was made in this direction in the 20th century.

Conclusion- As a result of the development of child studies, the atrocities committed on them knowingly or unknowingly were discovered. Concrete steps were taken in 1868 to prevent this. In 1857, the Child cruelty Prevention committee was established. In 1857, the foundation of the infant settlement house was laid in New York. In 1899, a book titled 'From the child's stand point' was published by Florence H. Winterburn for parents related to this subject. Apart from this, between 1898 and 1900, juvenile delinquency courts were established in the cities of Denver, boston, Chicago and new York.

Study of maladjusted:Study of maladjusted children: Attention was paid to maladjusted children only in the 19th century. In this century, arrangements were made for their special study by dividing them into three categories.

Child study on the basis of behavior: Through the biographical method of studying child development prevalent in the 19th century, each child could be studied individually. The biggest difficulty in studying child development was the inaccessibility of children. It was impossible for an outsider to even look at the newborn baby. Even today in India, infants are restrained before being taken out of the house. Fortunately, due to the suppression of social evils, with the help of hospitals and maternity homes, psychologists are now getting the opportunity to study babies. This problem still persists in the study of adolescent children. The reason is that real facts are not obtained from children of this age. Many things which are very helpful and important in the study of psychological viewpoint, are not revealed due to social and moral narrow-mindedness. Sometimes a psychologist gets entangled in the complexity of facts and loses his mental balance. Therefore the result of the test goes beyond reality. Teenagers also get annoyed with the hustle and bustle of studies.

Selected References

MHRD (2005). Action Plan for inclusive Education of Children and Youth with Disabilities. Available on http://www.education.nic.in

NCERT (1998). Sixth All-India Educational Survey. New Delhi: National Council of Educational Research and Training.

NCERT (2006). Including Children and Youth with disabilities in Education, a Guide for Practitioners. Department of Education of Groups with Special Need. New Delhi: National Council of Educational Research and Training. Available on http://ncert.nic.in

NCF (2005). National Curriculum Framework. New Delhi: NCERT. PP. 79 -89

आधुनिक समय में समावेशी नश[illegible]

मुक्तिराम कुमावत

सहायक प्रवक्ता

आर के गर्ल्स कॉलेज–बोरावड़

Email: mrkumawat@gmai.com

भोध सारः– समावेशी शिक्षा द्वारा एक विशेष शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया गया है। जिसमें दिव्यांगों, मंद बुद्धि, मेघावी छात्रों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को एक साथ एक ही स्थान पर शिक्षा दिलवाने को योजना का निर्माण किया गया। आधुनिक काम में हर शिक्षक को इस सिद्धान्त को विस्तृत दृश्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। जिससे प्रभावशाली शिक्षण व्यवस्था हो सकें।

मुख्य भाब्दः– परिचय, समावेशी, शिक्षा की परिभाशा, समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, समावेशी शिक्षा का क्षेत्र, समावेशी शिक्षा के लाभ, समावेशी

शोध आलेखः–

परिचय –समावेशी शिक्षा शिक्षा जगत की आधुनिक मांग है। जिसके आधार पर चलकर एक विशेष शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया गया है। इसके अन्तर्गत दिव्यांगों, मंद बुद्धि, मेधावी छात्रों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को एक साथ बैठाकर एक ही स्थान में शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करने की योजना का निर्माण किया गया।

समावेशी शिक्षा दिब्यांगों का मनोबल बढ़ाने का भी कार्य करती है। जिसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकलना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धान्त को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धान्त की ऐतिहासिक जुड़े कनाडा और अमेरिका से जुड़ी है।

समावेशी शिक्षा की परिभाषा :–

यरशेल के अनुसार :– "समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता का स्तर, सामाजिक और आर्थिक स्तर विकलांगता व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं।

अन्य शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार : दृ"समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती हैं जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं तथा विशिष्ट बालक बालिकाएं एक ही विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं।"

पृष्ठभूमि एवं विश्लेषण

समावेशी शिक्षा की विशेषताएं :–

1. समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक रूप से बाधित बालक विशिष्ट बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं इसमें बाधित बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है।
2. समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षा का विकास नहीं बल्कि पूरक है। बहुत कम बाधित बच्चों को समावेशी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश कराया जा सकता है किंतु गंभीर रूप से बाधित बालकों को विशेष शिक्षण संस्थानों में संप्रेषण गुण एवं अन्य आवश्यक प्रतिभा ग्रहण करने के पश्चात ही समावेशी विद्यालयों में इनका प्रवेश कराया जाता है।
3. समावेशी शिक्षण व्यवस्था में शिक्षा का ऐसा प्रारूप तैयार किया गया है जिसमें बालकों को समान शिक्षा का अवसर प्राप्त हो और वह समाज में सामान्य लोगों के तरह ही अपना जीवनयापन कर सके। इसीलिए ऐसे शिक्षण संस्थानों में नियमों में छूट दी जाती हैं और प्रभावशाली वातावरण भी उपलब्ध कराया जाता है जिससे कि विशेषता लिए हुए बालक बहुत कम समय में ही अपने आपको सामान्य बालकों के साथ समायोजित कर लेते हैं।
4. समावेशी शिक्षा समाज में विशिष्ट तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वास्थ्य सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में जीवन के प्रत्येक स्तर पर सहायक सिद्ध होती हैं। इससे समाज के लोगों में सद्भावना तथा आपसी सहयोग की भावना बढ़ती है।
5. या एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विशिष्ट बालक भी सामान्य बालकों की तरह ही महत्वपूर्ण समझे जाते हैं।
6. समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों को भी उनके व्यक्तिगत अधिकारों के साथ उसी रूप में स्वीकार करती हैं।
7. समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों की जीवन स्तर को ऊंचा उठाने एवं उनके नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखने का काम करती है।

8. समावेशी शिक्षा विभिन्न शिक्षाविदों, अध्यापकों, शिक्षण संस्थानों तथा माता–पिताओं के सामूहिक अभ्यास पर आधारित है।
9. समावेशी शिक्षा शिक्षण की समानता तथा अवसर जो विशिष्ट बालकों को अब तक नहीं दिए गए उनके मूल स्वरूप से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था है।

समावेशी शिक्षा का क्षेत्र :–

समावेशी शिक्षा शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित सभी बच्चों के लिए है। यह ऐसे प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा एवं सामान्य शिक्षक की बात करता है। जो इससे लाभ प्राप्त करने के योग्य है अतः समावेशी शिक्षा का कार्य क्षेत्र ऐसे सभी बालकों के बीच अपनी पहुंच बनाना है एवं उन्हें अधिगम प्रदान कर सामान्य जीवन यापन हेतु अग्रसर करना है।

1. शारीरिक रूप से बाधित बालक
2. मानसिक रूप से बाद बालक
3. सामाजिक रुप से बाधित/विचलित बालक
4. शैक्षिक रूप से बाधित बालक

समावेशी शिक्षा के लाभ :–

1. समावेशी शिक्षा के कारण अक्षम बालक सामान्य बालक के साथ एक ही कक्षा में बैठकर शिक्षा ग्रहण करता है।
2. समावेशी शिक्षा के कारण वैयक्तिक विभिन्नताओं को दूर करने में मदद मिलती है साथ ही बच्चों के बीच एक लघु समाज का निर्माण किया जाता है।
3. समावेशी शिक्षा की मदद से भेदभाव,छूआ छूत जैसे भाव को दूर किया जा सकता है, क्योंकि कि इसमें सामान्य बालक, अक्षम बालक तथा विशिष्ट बालक सभी को एक समान लाभ मिलता है।
4. समावेशी शिक्षा समायोजन का एक विशिष्ट उदाहरण है।
5. विशिष्ट बालक, अपंग बालक, या अक्षम बालक की विभिन्न समस्या को जानकर उनके उन समस्याओं की समाधान में समावेशी शिक्षा सहायक होती है।
6. समावेशी शिक्षा उन बालकों के लिए भी लाभप्रद है जो समस्यात्मक बालक होते हैं समावेशी शिक्षा उनके उन कमजोरी को जानकर उनके समस्या को दूर करने का प्रयास करता है तथा उन्हें समस्यात्मक बालक बनने से रोकता है।

समावेशी शिक्षा का महत्व :–

1. समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों में एकता या समानता का विकास होता है
2. जैसे कि ऊपर बताया गया है कि इसमें सामान्य तथा विशिष्ट दोनों ही बालक एक साथ पढ़ते हैं इसलिए या शिक्षा कम खर्चीली भी होती है।
3. समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों का मानसिक विकास उनके अंदर नैतिक विकास सामाजिक विकास और आत्मसम्मान की भावना का विकास सही रूप से किया जाता है।
4. जहां सभी बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करता हो वहां प्राकृतिक वातावरण का विकास होना निश्चित है।
5. यह शिक्षा समायोजन की समस्याओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है।

समावेशी शिक्षा के सिद्धांत

1. वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना :–समावेशी शिक्षा में हर तरह के बालक एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं जिसके कारण उन में विभिन्न तरह के वातावरण उत्पन्न होता है वातावरण को एक ही वातावरण में डालने का काम समावेशी शिक्षा करता है।

2. विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा :—समावेशी शिक्षा विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा बालकों को शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है बालक विशिष्ट कार्यक्रमों में भाग लेकर या उन्हें देखकर उनके अंदर अधिगम की शक्ति को बढ़ाया जाता है। इसलिए समावेशी शिक्षा में विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है।
3. भेदभाव रहित शिक्षा :—समावेशी शिक्षा जहां बिना किसी भेदभाव के सामान्य तथा विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती हैं जिससे उनके अंदर भेदभाव की भावना को मिटाया जाता है समावेशी शिक्षा भेदभाव को दूर करने छुआछूत ओं को दूर करने का एक सबसे अच्छा उदाहरण है।
4. माता–पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना :—समावेशी शिक्षा में ना केवल बच्चों की शिक्षा में शिक्षक ही सहायक होते हैं बल्कि उन बच्चों के माता–पिता भी उनके शिक्षा में सहयोग प्रदान करते हैं उनकी सहायता करते हैं। जिससे उनके अंदर अधिगम की शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ाया जाता है बच्चे अपने माता–पिता के सहयोग पाकर और अच्छी तरह से अधिगम कर पाते हैं।
5. व्यक्तिगत रूप से विभिन्नता :—जो बालक समावेशी शिक्षा ग्रहण करते समय उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी या दिक्कत होती है तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से वे शिक्षा दी जाती है ताकि उन्हें सामान्य बालकों के सामान बनाया जा सके।
6. लघु समाज का निर्माण :—समावेशी शिक्षा में हर प्रकार के बालक जैसे सामान्य बालक प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट बालक अपंग बालक एक ही विद्यालय में एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं जिससे उनमें एक लघु समाज का निर्माण होता है।

समावेश शिक्षा के मुख्य उद्देश्य :—समावेशी शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा के उद्देश्य लगभग समान होते हैं। जैसे देश का विकास बालको को उपयुक्त शिक्षा के द्वारा मानवीय संस्थानो का विकास, नागरिक विकास, समाज का पुनर्गठन तथा व्यवसायिक कार्यकुशलता आदि प्रदान किया जाना। इन उदेश्यों के अतिरिक्त समावेशी शिक्षा के अन्य उद्देश्यों का वर्णन निम्नलिखित है—शारिरिक अक्षमता वाले बालकों के माता–पिता को निपुणता तथा कार्य कुशलताओं के बारे में समझाना तथा बालकों के समक्ष आने वाली समस्याओं एवं कमियों का समाधान करना।शारीरिक विकृत बालकों की विशेष आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करना तथा उनका निर्धारण करना।शारीरिक दोष की स्थिति के बढ़ने से पूर्व ही उसे रोकने के उपाय करना तथा बालको के सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की नवीन विधियों द्वारा प्रशिक्षण देना। शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बालकों का पुनर्वासन किया जाना चाहिए ।

निष्कर्षः—अगर हम इस प्रश्न का उत्तर सोचे तो यही कहेंगे कि आज के बदलते परिवेश में कुछ लोगों को ज्यादा महत्व देना तथा कुछ लोगों को बिल्कुल अलग रखना अनैतिक कार्य है। अर्थात कुछ बच्चों को घर के पास ही अच्छे स्कूल में पढ़ाना तथा कुछ बच्चें जिनकी आवश्यकताएं थोड़ी भिन्न हैं उनको दूर किसी विशेष स्कूल में पढ़ाना एक अनैतिक कार्य है। इसके अलावा हम यह कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा इसमें जरूरी है—

1. क्योंकि सभी बच्चे चाहे वह कैसे भी आवश्यकता वाले हो, एक ही समाज में रहना है अतः शुरू से ही एक साथ रखने में उनको समाज में रहने में आसानी होगी।
2. क्योंकि सामान्य विद्यालय सभी जगह है जबकि विशेष विद्यालय दूर शहरों में होते हैं अतः एक ऐसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को विद्यालय जाने के लिए दूर तक सफर करना पड़े तो या उस बच्चे के मूल अधिकार का हनन है।प्रत्येक राष्ट्र अपने यहां के सभी लोगों को साक्षर बनाने का प्रयास करता है ताकि राष्ट्रीय की उन्नति हो सके। यह बात तो सिध्द है कि जिस राष्ट्रीय के ज्यादातर लोग शिक्षित है वह राष्ट्र ज्यादा उन्नति कर रहा है तथा जिस राष्ट्र के कम लोग पढ़े लिखे हैं वह राष्ट्र गरीब हैं।

अतः समावेशी शिक्षा होने से सभी प्रकार के बच्चे अपने पास के स्कूल में जाकर पढ़ सकते हैं। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पहले विशेष स्कूल दूर होने के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते थे वे अब समावेशी शिक्षा के आने से पास के स्कूल में ही दूसरे बच्चों के साथ अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं सभी प्रकार के बच्चों के शिक्षा ग्रहण करने पर राष्ट्र की साक्षरता दर बढ़ेगी तथा भविष्य में वह राष्ट्र अवश्य ही विकसित राष्ट्र बनेगा।

समावेशी शिक्षा इसलिए भी जरूरी है कि जब एक ही स्कूल में विकलांग बच्चे एवं सामान्य बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें बचपन से ही एक दूसरे की कमियां एवं क्षमताएं जानने का मौका मिलेगा तथा सामान्य बच्चों में विकलांग बच्चों के प्रति रूढ़िवादी विचारधारा दूर होगी वही विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों के अच्छे व्यवहारों को सीख सकते हैं।

सन्दर्भ सूचीः–

1. York-Barr, J (2003), "Special educators as teacher leaders in inclusive schools". IMPACT: Feature Issue on Revisiting Inclusive K-12 Education, 16(1): Minneapolis, MN: Institute on Community Integration.
2. Schwartz, I., Allen, K. E (2000). The Exceptional Child (4 ed.) Delmar Cengage Learning. ISBN 0-7668-0249-3. Inclusion in Early Childhood Education.
3. Kumar S. and Kumar, K. (2007), Inclusive Education In India: Electronic Journal for Inclusive Education, Vol. 2, No. 2 [200], Art. 7
4. [PhDinSpecialEducation.com "How to Support Special Needs Students"]
5. Zelkowitz, Alyssa. "Strategies for Special Education & Inclusion

   Classrooms". मूल से 23 अगस्त 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 सितंबर 2015.

Website

1. http://corescholar.libraries.wright.edu/ejie
2. http://medsped.soe.umd.umich.edu/belinda/modelsof.htm

Need of Inclusive Education In India

Rajendra Prasad

Research Scholar

RK Girls College Borawar

Email: rajendraraj505@gmail.com

Abstract

Through inclusive education, a special education system has been created in which children of all classes can sit together and receive education and through this, most of the work of bringing uniformity in education is automatically completed. Therefore, inclusive education is a great need of the modern economic era.

Key word: inclusive education, scope, need and importance, friendly environment, Learner.

Introducation-

The word inclusive means the practice of including a person in group activities so that he can get access to all the opportunities like any other member of the group. In other words inclusion is the acceptance of all type of learners whether disabled. Non-disabled, gifted, backward maladjusted etc.

After knowing the meaning of inclusion let us discuss the concept of inclusive education.

What is Inclusive Education

Inclusive education means providing equal opportunities to all the learner whether disabled or Non-disabled in a regular classroom setting. In an inclusion setting all students learn together and main emphasis is on the abilities of the learners rather than disabilities. In inclusive education all the learners equally participate in curricular and curricular activities. In an inclusive environment children with special needs spend most of their time with normal children.

Definition of Inclusive Education

According to national commission of special needs in education and training (NCSNET) inclusive education is define as a learning environment that promotes the full personal academic and professional development of all learner irrespective of race, class, gender, disability, religion, sexual preference, learning style and language.

Scope of Inclusive Education

Inclusion in education demands an inclusive society, an inclusive school, an inclusive teacher, and an inclusive curriculum. Thus the scope of inclusive education is wider.

Scope of Inclusive Education

The following points cover the scope of inclusive education:

1. Involve all children, i.e. normal children, with illness, children of migrants, labors, children from tribal areas etc.
2. Inclusive education provide a friendly environment for all the learners.
3. Promote education for disabled girls.
4. Promote ICT based technologies for disables learners.
5. Include a curriculum adaptation strategy.
6. Need based education is provide to all learners.
7. Special programs to be run by the school of disabled learners.
8. Aids and equipment are to be provide, to the disabled learners so that their basic needs can be fulfilled.

Need and importance of Inclusive Education

Qualitative education is more beneficial than quantitative education. Inclusive education is necessary to bring quality in education quality education is possible if equal education opportunities are provide to all learners. Following are the points which indicates the need and important of inclusive education:

1. Development of skills:

Inclusive environment helps to develop the various skills in Learners suchas cooperative skills tolerance etc. students may know about each. Other personality in an inclusive environment.

2. Development of confidence:

Inclusive education provide the least restrictive environment for disabled learners where they can easily share their views with other children and can participate in activities like normal children. As a result it aids in the development of confidence in disabled students.

3. Development of society:

Society develops with the strengthening of the improvement of the educational system is made possible by inclusive education. With better education system the growth of students takes place in a better way and they can have a positive impact on society.

4. Development of nation:

With marginalization poverty and discrimination the development of a nation is very difficult. All these factors can be eliminated by inclusive education so that the progress of the nation takes place in a good way.

5. Development of Self Concept:

Inclusive education helps to develop the Self Concept in the learners. With the development of Self Concept learners can easily understand themselves. They can know about their strengths and weaknesses.

6. universalization of education:

Inclusive education is needed to achieve the universalization of education according to SarvaShikshaAbhiyan (SSA) universalization of education Can Not be achieved without the inclusion.

7. To achieve social equality:

Inclusive education is needed to achieve social equality. Inclusive education provides equal opportunities to all learners. In an inclusive environment all the learner. Whether disabled or Non-Disabled thus enjoy equal opportunities and responsibilities. Thus, inclusive education helps to achieve equality in society.

Conclusion:-

Parents always want the best for their children, and most importantly, the want the best education and the best environment. Deciding which school to place their child to get an education can at times be a hard decision. Education in general is a form of learning where the knowledge, skills, and habits of a group of people are carried from one generation to the next

through teaching, training or even research. Them are many types of education that school offer to use in the classroom and inclusive education one of them it is really one of the best medium for all round development of the children Of Our Country

Thank you to all for listen carefully my ideas and thoughts on Inclusive education great thank to all.

Selected Reference

1. Kumar S. and Kumar, K. (2007), Inclusive Education In India: Electronic Journal for Inclusive Education, Vol. 2, No. 2 [200], Art. 7
2. Hallahan, D.P. and Kauffman, J.M. (2007), Exceptional Learners: Introduction to special Education (10th Edition) Allyn and Bacon, MA
3. Bhargava, M.(1998). विषिष्टबालक, उनकीषिक्षा एवंपुनर्वास, New Delhi : Sterling Publishers Pvt. Ltd.
4. Smith, T.E.C., Pollway, E.A., Patton, J.R & Dowdy, C.A. (2011). Teaching students with disabilities special needs in inclusive needs in inclusive settings.
   New Delhi: PHI Learning Private Limited.
5. Hallahan, D.P. and Kauffman, J.M. (2007), Exceptional Learners: Introduction to special Education (10th Edition) Allyn and Bacon, MA
6. Zelkowitz, Alyssa. "Strategies for Special Education & Inclusive Classrooms". मूलसे 23 अगस्त 2011 कोपुरालेखितअभिगमनतिथि 26 सितंबर 2015.

Website

1. http://corescholar.libraries.wright.edu/ejie
2. http://medsped.soe.umd.umich.edu/belinda/modelsof.htm

समावेशी शिक्षा में विश्वस्तर पर शिक्षक की भूमिका

श्री हरि राम

एसोसिएट प्रवक्ता

गीताजंलीबी. एड.कॉलेज–बोरावड़

Email: harikirodiya@gmail.com

शोध सारः– समावेशन की विचार धारा को प्रभावी बनाने में शिक्षक का योगदान सर्वोपरी होता है। शिक्षक समावेशी शिक्षा में अक्षमता युक्त बालकों के उचित अनुदेशन एवं प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करते हैं एवं सभी भौक्षिक कार्यक्रम भी इस प्रकार तैयार करता है जिसमें सामान्य बालक एवं अधिगम अक्षम बालक समावेशन कर सके। जिससे प्रभाव वाली वातावरण तैयार हो सके।

बीज भाब्दः– समावेशी शिक्षा, समावेशन प्रक्रिया, समावेशी शिक्षा में बाधा, बहुसंवेदी उपागम, नियोजित अनुदेशन, अधिगम अक्षमता, अध्यापक की भूमिका, समावेशन शास्त्री, सार्वजनिक फ्लेग्शिप शिक्षा, समावेशी शिक्षा के लाभ

- **प्रस्तावनाः–**

वर्तमान में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षित करने तथा उनको समाज की मुख्य धारा में सम्मलित करने के लिए समावेशित शिक्षा को एक मात्र विकल्प के रूप में देखा जा सकता है विशेष शिक्षा के क्रमिक विकास में यह महत्वपूर्ण सोपान है जो बिना भेदभाव के सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करती है। अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के समावेशी शिक्षण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रही ही है। जो बिना शिक्षक शिक्षा के बालक एवं समाज में एक दूरी का निर्माण करती है। इसमें हम अक्षमता के प्रति विभिन्न दृश्टिकोणों का अध्ययन करेंगे इसके अन्तर्गत हम मुख्य रूप से अक्षमता के अध्ययन का चिकित्सकीय दृश्टिकोण एवं सामाजिक दृश्टिकोण एवं उनकी मान्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तत्प चात 'विकलांगता' का लेबल लगने के किसी व्यक्ति के जीवन पर अधिगम अक्षमतायुक्त बालकों की शिक्षा को ऐतिहासिक विकास पर नजर डालेंगे।

अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के समावेशी शिक्षण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका का अध्ययन करेंगे।

- **उद्देश्यः–**

1. समावेशन की प्रक्रिया को समझा सकेंगे
2. समावेशित शिक्षा में आने वाली बाधाओं को बता सकेंगे।
3. किसी बालक को अधिगम अक्षमता युक्त लैबल करने की आव यकता और उसके दुश्परिणामों की व्याख्या कर सकेंगे।
4. श्रवण बाधित, बौद्धिक अक्षमता अधिगम अक्षमता आदि विकलांग बालकों की शिक्षा मे शिक्षक की भौक्षणिक, सामाजिक एवं अन्य भूमिकाओं की व्याख्या कर सकेंगे।
5. अक्षमता के अध्ययन के विभिन्न दृश्टिकोण के बारे में बता सकेंगे।

- **समावेशी शिक्षा का अर्थः–**

दृश्टिबाधित एवं अन्य विकलांग बालकों के शिक्षण प्रशिक्षण की भाुरूआत विशिश्ट विद्यालयों के प्रथक, वातावरण में हुई समावेशी शिक्षा, शिक्ष की ऐसी प्रणाली के रूप में आई, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ मुख्यधारा के स्कूलों में पठन–पाठन और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिले ताकि वे समाज की मुख्य धारा में भामिल हो सकें।

जो बालकों को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, लैंगिक, वर्गीय भाारीरिक एवं मानसिक, दृश्टि से भिन्न देखे जाने की बजाय एक स्वतन्त्र अधिगम कर्ता के रूप में समावेशी शिक्षा एक ऐसी ही शिक्षा प्रणाली की ओर संकेत करती है, जो भाारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक सांपेगिक, भाशायी या अन्य स्थितियों के भेद–भाव के बिना सभी बच्चों को समाहित करे।

• समावेशन की प्रक्रियाः–

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी नीतियों एवं सन्धियों का योगदान रहा है। इनमें मुख्यतः

Platform for Inclusive Education

i. 1948: universal declaration of human rights;
ii. 1982: world program of action;
iii. 1989: united nations convention on the rights of children;
iv. 1990: declaration of the world of education for all, Jomtien;
v. 1993: Standard Rules on the equalization of opportunities for person with disabilities;
vi. 1994: Salamanca statement and framework for action on special needs education;
vii. 1999: Review of 5 years of Salamanca; 2000: A framework for action forum world Pendikan, dackar;
viii. 2000: Millennium Development Goals that focus on decreasing the number kemisnikan and Development;
ix. 2001: Flagship Education for All (EFA) on education and Disabilitiy.

• **वैश्विक स्तर पर समावेशी शिक्षा पर विहगंम दृश्टि–** जून 1994 में स्पेन के सलामांका नामक स्थान पर विशेष आवश्यकता पर आधारित शिक्षा पर एक विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में विश्व के 92 देशों एवं 25 अर्न्तराश्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों ने प्रतिभाग लिया। सभी लोग विकलांग बच्चों की शिक्षा के नये गतिशील व्रतान्त "समावेशन एक कसौटी" पर सहमत हुए थे।

• स्पेन सम्मेलन–सलामांका स्थान परः–

(अ) सलामांका कथन के अनुसार–

1.शिक्षा सभी बच्चों का अधिकार होना चाहिए।
2.सभी बच्चों में अपनी विशिष्ट विशेषता सामर्थ्य एवं सीखने की आवश्यकता होती है।
3.विशेष आवश्यकता के लोग सामान्य स्कूलों तक पहुंच स्थापित कर सकें।
4.सामान्य स्कूल समावेशित सदाचार के साथ भेदभावपूर्ण नजरियें से आगे आकर समावेशित समाज का निर्माण करें जिससे सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
5.स्कूलों को बहुतय बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार प्रभावशाली शिक्षा देनी चाहिए।

• सलामांका कथन में सभी सरकारों से निम्नलिखित के लिए बुलाया है–

1.शिक्षण व्यवस्था को समावेशित बनाने की सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाये।
2.समावेशित शिक्षा के सिद्धातों को अधिनियम अथवा नीति के रूप में स्वीकार किया जाए।
3.निरूपण परियोजनाओं का विकास किया जाये तथा विभिन्न देशों के समावेशित स्कूलों में आदान प्रदान को बढावा दिया जाये।
4.विकलांगजनों के लिए बनाये जा रहे कार्यक्रमों एवं नीतियों में उनके लिए कार्य कर रहें संगठनों विकलांगजनों एवं उनके माता पिता को सम्मिलित किया जाये।
5.भीघ्र पहचान एवं भीघ्र हस्तक्षेप की युक्तियों पर अधिक ध्यान दिया जाये।
6.समावेशित शिक्षा के व्यवसायिक आयाम पर अधिक निवेश किया जाये।
7.पर्याप्त शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम को सुनिश्चित किया जाये।

- **सहायक अधिगमः–**

सहायक अधिगम में छात्रों के छोटे–छोटे समूह बनाए जाते हैं जिससे छात्र अपनी अधिकतम क्षमता के साथ कार्य करते हैं। सहायक अधिगम में पाँच मुख्य मौलिक घटक भाामिल हैं।

1. सकारात्मक परस्पर निर्भरता
2. व्यक्तिगत एवं समूह जवाब देही।
3. पारस्परिक और छोटा समूह कौ ाल
4. आमने–सामने धनात्मक अन्तः क्रिया
5. समूह प्रसंस्करण

- **अनुदेशात्मक रूपान्तरण और सामंजस्यः–**वास्तविक समावेशन के लिए अनुदेशात्मक रूपान्तरण और सामंजस्य होना बहुत जरूरी है सामान्य शिक्षा की कक्षा में विकलांग विद्यार्थियों के प्रदर्शन का स्तर सामान्य विद्यार्थियों के स्तर के बराबर नहीं होता है इसलिए समावेशी शिक्षा में अध्यापकों को कक्षा में पढ़ाते समय पाठ योजना निर्देशों को इस तरह रूपान्तरित और सामंजस्य स्थापित करना चाहिए जिससे प्रत्येक छात्र को शिक्षण सामग्री जानने का अवसर प्राप्त हो सके।

- **समावेशी शिक्षा में बाधाः–**

1. **सामाजिक दृश्टिकोणः–** समाज के नकारात्मक दृश्टिकोण के कारण ये विद्यार्थी अपने आप को अपेक्षित महसूस करते हैं अतः सफल समावेशन के लिए समाज का धनात्मक दृश्टिकोण बहुत ही जरूरी है।
2. **भौतिक बाधाः–**भौतिक बाधा के कारा बहुत से अधिगम संस्थानों में विशेष आव यकता वाले विद्यार्थियों की पहुँच नहीं हो पाती है ये वातावरणीय बाधा जैसे दरवाजा, सीड़ियाँ, रेम्प, सांकेतिक चिह्न, सांकेतिक भाशा अनुवादक आदि।
3. **पाठयचर्याः–**विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के समावेशन में सामान्य विद्यार्थियों के लिए बनाई गई पाठयचर्या भी एक प्रमुख बाधा की तरह काम करती है यह पाठयचर्या विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाती है।
4. **भाशा और सम्प्रेशणः–** सामान्य शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पूर्णतः मौखिक भाशा पर आधारित होती है। यह मौखिक भाशा श्रवण बाधित विद्यार्थियों की प्राथमिक भाशा नहीं होती है।
5. **अध्यापक प्रशिक्षणः–** सामान्य अध्यापकों को श्रवण बाधित विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है अतः अप्रशिक्षित अध्यापक भी श्रवण बाधित विद्यार्थियों के समावेशन में बाधा की तरह कार्य करते हैं।
6. **नीतियाँः–**सामान्यतः समावेशित शिक्षा की नीतियाँ उन लोगों के द्वारा बनायी जाती हैं जो लोग न तो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता को और नहीं समावेशन शिक्षा के सम्प्रत्य को समझते हैं।
7. **नामकरणः–**सामान्यतः सामान्य विद्यालय के अध्यापक द्वारा विशेष आवश्यकता के विद्यार्थी का नामकरण कर दिया जाता है जैसे लंगड़ा, अन्धा, बहरा, पागल इत्यादि। समावेशित शिक्षा में इस प्रचलन का कोई स्थान नहीं होता है क्योंकि यह बालक के नकारात्मक आधार को दर्शाता है।
8. **सहपाठी तिरस्कारः–**जब कोई श्रवण बाधित विद्यार्थी सामान्य विद्यालय में दाखिला लेता है तो यह हो सकता है कि वह अन्य सहपाठी विद्यार्थियों द्वारा स्वीकार न किया जाए। भाशा एवं सम्प्रेशण कौशल की कमी के कारण श्रवण बाधित विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थियों से वार्तालाप स्थापित नहीं कर पाते हैं।

- **समावेशन में अध्यापक की भूमिका–**

1. **अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के बारे में अध्यापक के ज्ञान का विकास और कार्यान्वयनः–**अध्यापक को अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों की पहचान, उनकी विशेषताएँ उनकी आंगिक बुनियादी भारीरिक रचना एवं भारीर विज्ञान और उनके भौक्षणिक स्तर तथा श्रव्यदृश्य मापी परीक्षण के उपायों एवं परिणामों की व्याख्या का ज्ञान होना चाहिए।
2. **सक्रिय समावेशन शास्त्रीः–** अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए अध्यापक को मानवाधिकारों, राष्ट्रिय नीतियों, कानूनी नियमों और समावेशी शिक्षा प्रणाली के विकास के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

3. **प्रत्यक्ष अनुदेशनः–** समावेशी शिक्षा में अधिगम अक्षमता विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुदेशन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा प्रयोग किये जाने वाले भाशायी एवं गैर भाशायी सम्प्रेशण घटकों के बारे में तथा उत्तम सम्प्रेशण के लिए वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में अध्यापक की जानकारी होनी चाहिए।
4. **सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधनः–** अध्यापक द्वारा सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में अधिगम अक्षमता के विद्यार्थियों के आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन एवं अनुकूलन किया जाना चाहिए तथा श्रवण बाधित विद्यार्थियों एवं अध्यापक के मध्य सम्प्रेशण कौशल स्थापित होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इसके द्वारा ही विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक भावात्मक और सामाजिक विकास सम्भव है।
5. **विद्यार्थियों की निगरानीः–**समावेशी शिक्षा में सम्मलित अधिगम अक्षमता एवं श्रवण बाधित विद्यार्थियों के निश्पक्ष आकलन के सम्बन्ध में नीति नियमों और निर्देशों का ज्ञान होना चाहिए तथा विद्यार्थियों की भाक्तियों और सीमाओं की पहचान के लिए उपयुक्त आकलन उपकरण का प्रबन्ध करना चाहिए।
6. **शिक्षण अधिगम वातावरण का प्रबन्धनः–** शिक्षण अधिगम वातावरण का सीधा प्रभाव अधिगम अक्षमता विद्यार्थियों के भौक्षिक प्रदर्शन पर पड़ता है। अधिगम अक्षमता के प्रभाव के कारण विद्यार्थी भौक्षिक प्रक्रिया को आसानी से समझ नहीं पाते हैं। इन विद्यार्थियों के लिए बहु इन्द्रीय उपागमों का प्रयोग करना चाहिए। जिससे इनका संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास हो सके।

• समावेशन की प्रकिया को विशेष बनाने के लिए अधिगम अक्षमता के विद्यार्थियों का विभाजन

1.भैक्षणिक आधार 2. सामाजिक आधार

• भौक्षणिक दृश्टि का निम्न उपविभाज करते हुए अध्ययन करते हैं।

1. दृश्टिबाधित बालक
2. मानसिक मंदता युक्त बालक
3. श्रवण बाधित बालक
4. अधिगम अक्षमता युक्त बालक

हॉव्स तथा पेशलिग ने समावेशित शिक्षा को प्रभावकारी तथा सफल बनाने में कक्षाध्यापक की भूमिका को सर्वोपरि बताया है। समावेशी शिक्षा में कक्षाध्यापक की कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निम्न लिखित है

1. कक्षा में दृष्टिबाधित बालकों को अन्य बालकों के समान समझें
2. दृष्टि बाधित बालकों हेतु मूल्यांकन तथा वैक्टिक शैक्षिक योजना निर्माण में विशेष दल का हिस्सा बनना।
3. दृष्टि बाधित बालकों के अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर रहना बालक के माता–पिता से समय–समय पर सम्पर्क स्थापित करना तथा उनका मार्गदर्शन करना।
4. व्यक्तिगत बाधाओं को ध्यान में रखते हुए अनुदेशन में आवश्यक बदलाव करना।
5. विकलांगता सम्बन्धी सरकारी योजनाओं अधिनियमों की समझ रखना तथा उनके लाभ को दृष्टि बाधित तक पहुँचाने में मदद करना।
6. कक्षा में सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना
7. विशेष आवश्यकता होने पर विशेष शिक्षक की सेवा प्राप्त करना अनुदेशन को प्रभावकारी बनाने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करना।
8. अन्य बालकों को सहयोग देने तथा सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।

1. दृष्टिबाधित बालकों के समावेशन में विशेष शिक्षक की भूमिका–

(क) **ब्रेल प्रशिक्षणः–** बालकों के लिए ब्रेल शिक्षक की व्यवस्था करनी चाहिए दृष्टिबाधित बालक पठन एवं लेखन का कार्य स्पर्श रूप में करता है। ब्रेल छः उभरी बिन्दुओं पर आधारित स्पर्शीय लिपि है। ब्रेल लेखन कार्य दायें से बायीं ओर होता है। जब कि पठन बाँए से दाएँ ओर होता है।

(ख) **पहचान और शीघ्र हस्तक्षेपः–** यदि माता–पिता बच्चे से अरूचि रखतें है अथवा निराश है, तो हस्तक्षेप कर उनमें उत्साह भरना चाहिए।

- लेखन–पठन हेतु उचित माध्यम (ब्रेल एवं प्रिंट से उचित चुनाव में मदद करना।
- चिह्नित छात्रों के लिए शीघ्र आवश्यक शैक्षिक पुर्नवास कार्यक्रम की व्यवस्था करना।
- चिह्नीत छात्रों के लिए विशेष विद्वानों की सलाह लेना।

- माता–पिता को उचित परामर्श देना एवं उनकी उपयुक्त सहायता प्राप्त करना।
- स्पर्शी क्षमता को अधिकाधिक विकसित करना।
- स्पर्श के माध्यम से छोटा बड़ा, सख्त मुलायम, ठण्डा या गरम, लम्बा–चौड़ा आदि की संकल्पना का विकास करना।

(ग) **अनुपस्थिति और चलिष्णुताः–** दृष्टि बाधित बालकों को अपने वातावरण को पहचानते हुए, स्वतन्त्र रूप से तथा स्वेच्छा पूर्वक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक निर्बाधित रूप से आने–जाने में सक्षम हो सके।

(घ) **बाधामुक्त वातावरण के निर्माण में सहायकः–**घर तथा विद्यालयी वातावरण का बाधामुक्त होना अत्यन्त आवश्यक है ताकि दृष्टिबाधित बालक आसपास के वातावरण का सुगमता से उपयोग कर सकें।

- कक्षा, कार्यालय, शौचालय, तथा अन्य विद्यालयी संरचनाओं में बाधा की पहचान करना।
- चिह्नित बाधाओं को दूर करने के उपायों से विद्यालयी प्रबन्धन को अवगत कराना।
- कक्षा वातावरण को दृष्टि बाधित एवं अन्य बालकों के अनुरूप तैयार करने का प्रयास करना।

(ड़) **संसाधन कक्ष प्रबन्धनः–**समावेशी शिक्षा में संसाधन कक्ष महत्वपूर्ण होता है। संसाधन कक्ष में भौक्षिक प्रशिक्षण के लिए उचित तथा आवश्यकता अनुसार शिक्षण–अधिगम सामग्री रखी होती है जिसकी जिम्मेदारी विशेष शिक्षक की ही होती है। जिससे उन्हें आवश्यक अनुसार उपकरणों का प्रशिक्षण दे सकें।

- अल्प दृष्टि बालकों के लिए भी उचित प्रका ीय तथा अप्रकाशीय उपकरण की व्यवस्था एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।

2. मानसिक मंदतायुक्त बालकों के समावेशन में विशेष शिक्षक की भूमिकाः–

(क) **IEP बनाने मेंः–**शिक्षक द्वारा मानसिक मंदता बालकों की विशिष्ट आव यकताओं को ध्यान में रखते हुए IEP (Individualized Education Program) व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम बनाने एवं क्रियान्वित करने का कार्य भी विशेष शिक्षक का है जिससे उनका सामान्य पाठ्यक्रम के साथ तालमेल हो सकें।

(ख) **शोध आधारित शिक्षण विधियों के विकास एवं अभिनव प्रयोगों मेंः–** मानसिक मंदता युक्त बालकों के शिक्षण हेतु नये प्रभावी विधियों की खोज करना एवं वैश्विक स्तर पर हो रहे हो रहे विभिन्न शोधों का सावधानी पूर्वक प्रयोग करके मानसिक मंद बालकों को प्रभावी तरीके से सिखाने का कार्य भी विशेषज्ञ शिक्षक का होता है जिनमें निम्न शिक्षण विधियां प्रयोग की जा रही हैं।

1. **सहपाठी शिक्षणः–**
2. **कम्प्यूटर आधारित अनुदेशन, अधिगम (CAI, CBL)**
3. **बहुसंवेदी उपागम**
4. **नियोजित अनुदेशन**

3. श्रवण बाधित बालकों के लिए शिक्षक की भूमिकाः–

(क) **सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधनः–**अध्यापक द्वारा सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में श्रवण बाधित विद्यार्थियों एवं अध्यापक के मध्य संप्रेषण कौशल स्थापित होना चाहिए।

(ख) **श्रवण उपकरणों की निगरानीः–**श्रवण बाधित विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए ध्वनि प्रवर्धक उपकरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जिनके माध्यम से उनकी अवशिष्ट श्रवण शक्ति को उपयोग में लाया जा सकता है।

(ग) **वाणी और भाषा प्रशिक्षण का मूल्यांकनः–**सामान्य बच्चों की भाषा और विकास की प्रक्रिया का ज्ञान श्रवण बाधित बच्चों को भाषा सिखाने के लिए आधार का कार्य करती है। श्रवण संवेदी निवेश के नुकसान का भाषा विकास और उनकी अनुभूति पर पड़ने वाले प्रभाव का ज्ञान शिक्षक का होना जरूरी है।

4. अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के लिए शिक्षक की भूमिकाः–

मानसिक रूप से मंद बुद्धि बालक जो धीमी गति से सिखते हैं उनकी पहचान करके उनकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार सिखाने का कार्य शिक्षक द्वारा ही पूरा किया जा सकता है जिसमें वह शोध आधारित शिक्षण विधियों और अन्य उपकरणों की सहायता लेकर कर सकता है जो निम्न लिखित हैं।

(क) धीमी गति से वाचन करने वाले या लिखे हुए शब्दों को पढ़ने में कठिनायी वाले बालकों के लिए ''बोलती पुस्तकें'' जिनकों वे सुनकर साथ–साथ वाचन कर सकें।

(ख) धीमी गति से लिखने वाले बालकों के लिए कम्प्यूटर जो कि वर्ड प्रोसेसर से युक्त हो, उपलब्ध कराया जा सकता है।

(ग) वे छात्र जिन्हें लघु अवधि की स्मृति में कठिनाई हो अथवा गणितिय समस्या हो उनके लिए विभिन्न तथ्यों को द ार्तें चार्ट, केल्कुलेटर आदि उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

(घ) छात्रों की स्मृति और श्रवण कौ ाल विकसित करने हेतु विभिन्न प्रकार की कविताएँ राइमस गीत आदि के श्रव्य दृ य साधन रखे जाने चाहिए।

(ड़) गणित से संबधित कठिनाई वाले बालकों के लिए संसाधन कक्ष में ''गणितीय प्रयोग ााला'' से संबधित सामग्रीयां होनी चाहिए जैसे:–

- विभिन्न प्रकार की ज्यामिय आकृतियां
- लम्बाई चौड़ाई मापने हेतु मानक टेप
- समय की संकल्पना सीखने हेतु डमी दीवाल घड़ियां
- खेलने वाले कार्डस
- मुद्रा की संकल्पना हेतु डमी नोट
- ग्राफ पेपर आदि

5. सामाजिक आधार पर समावेशन में शिक्षक की भूमिका:–

(क)अक्षमतायुक्त बालकों के सहपाठियों, विद्यालय के अन्य ि ाक्षकों एवं अभिभावकों को अधिगम अक्षमता के प्रतिजागरूक बनाएं

(ख) समुदाय में जागरूकता लाने एवं मानसिक मंदता युक्त बालकों के समुदाय आधारित पुरर्वास (Community Bassed Rehabicitation) में

(ग) अक्षमता युक्त बालकों को एवं अभिभावकों को उनके अधिकारों एवं मिलने वाले सरकारी लाभ के बारे में जागरूक करने में ि ाक्षक की वि ोष भूमिका होती है।

(घ) अभिभावकों एवं अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के एक काऊंसलर के रूप में।

(ड़) ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक मंदता युक्त बालकों को पागल समझा जाना और मनोरंजन हेतु उन्हें परे ाान किया जाना उनकी क्षमताओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखना आदि सामान्य है इसलिए ि ाक्षक का दायित्व है कि वह उनकों मानसिक मंदता के बारे में जागरूक करें। तथा उनके प्रति संवेदन शील बनाए।

अक्षमता युक्त बालकों के लिए प्रभावी अनुकुलनः

शैक्षिक वातावरण संबंधी	अनुदेशानात्मक विधियों से संबंधित	परीक्षण प्रक्रिया संबंधी	समय एवं संगठन सहयोग संबंधी	अधिगम सामग्री / संसाधन सम्बंधी
कक्षा में वैकल्पिक स्थान	शाब्दिक प्रस्तुतियों के पूरक के रूप में दृश्य सामग्रियाँ	ध्वनि से आलेख तकनीक (Voice to Text)	अतिरिक्त समय	'मैनिपुलेटिव' (Manipulative) मिटाने योग्य मार्कर
वैकल्पिक व्यवस्था (यथा संसाधन कक्ष)	दृ य सामग्रियों की शाब्दिक व्याख्या	दृ य फार्मेट (यथा चित्र, चार्ट, ग्राफ, डाइग्राम आदि	छोटे असाइनमेंट	कैलकुलेटर बोलती पुस्तकें (Talking Books)
सुगम भवन	कार्यों का छोट भागों में विभाजन	शाब्दिक प्रस्तुति	शैक्षणिक क्रियाओं में विविधता	ग्राफ / चार्ट / डायग्राम

अनुकुलित डेस्क टेबल	सहपाठी शिक्षण (Peer Tutoring)	दृश्य प्रस्तुति	असाइनमेंट के छोट छोटे खंड	कंप्यूटर सिस्टम उभरी पंक्तियों वाले कागज
बैठने हेतु कुशन	सहयोगी शिक्षण	वर्तनी जाँच	सहयोगी कक्षा	श्रवण यंत्र, (लाउड स्पीकर / हेंडसेट) आदि
ध्वनिक यंत्र	कंप्यूटर सहयोगी / तकनीक (यथाः लाउडस्पीकर आदि)	कैलकुलेटर	सुगम भवन	बड़े प्रिंट में विभिन्न पाठ्य वस्तुओं के चार्ट

- **समावेशी शिक्षा से होने वाले लाभः–**

1. सभी बच्चों को लाभ

- बच्चे ज्यादा आत्मविश्वासी और आत्म सम्मान युक्त हो जाते है।
- वे विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर स्वतंत्र अधिगम की प्रक्रिया सीखते है।
- वे अपने सीखे हुए ज्ञान और समझ का अपने दैनिक जीवन में (अन्य स्————— यथाः खेल के मैदान में, घन में) उपयोग करना सीखते हैं।
- वे अपने से इतर सहपाठियों एवं शिक्षकों से ज्यादा सक्रिय एवं प्रसन्नतापूर्ण अंतः क्रिया सीखते है।
- वे अपने से भिन्न बालकों के प्रति संवेदनशीलता और उन भिन्नताओ को स्वीकार करते हुए उनके साथ अनुकूलित होता सीखते है।
- बच्चों के संप्रेषण कौशल का बेहतर विकास होता है, और बेहतर जीवन के लिए तैयार होते हैं।
- वे अपने आप पर अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना सीखते हैं।

2. शिक्षकों को लाभ

- शिक्षकों के पास विभिन्न प्रकार के बालकों को पढ़ाने के भिन्न भिन्न तरीके सीखने का अवसर होता है।
- शिक्षकों को वैयक्तिक भिन्नता युक्त कक्षा में शिक्षक और अधिगम के अलग–अलग नये तरीकों का ज्ञान होता है।
- विभिन्न प्रकार की अधिगम संबंधी बाधाओं को कम करने का उपाय खोजते हुए, शिक्षकों को व्यक्तियों, बालकों एवं अलग–अलग परिस्थितियों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास होता है।
- शिक्षकों के पास संप्रेषण के नये तरीकों की खोज का बेहतर अवसर होता है विभिन्न सहकर्मियों, अभिभावक, समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों आदि से।
- नये विचारों / तरीकों का शिक्षण के दौरान प्रयोग करते हुए वे अधिगम ज्यादा रूचिकर, और बच्चों को ज्यादा attentive बना पाते है। अतः बच्चे और उनके अभिभावकों से शिक्षकों को सकारात्मक फीडबैक मिलता है।
- शिक्षक अधिक संतुष्टि (Job Satisfaction) का अनुभव करते हैं क्योंकि सभी बालक अपनी समता को अधिकृत स्तर तक सफल हो सकते है।

3. अभिभावकों को लाभ

- अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में भागीदारी बढ़ती है और अपने बच्चों का उनके अधिगम में वे ज्यादा सहयोग करते है।
- अभिभावकगण उनके बच्चों को कैसे शिक्षा दी जा रही है, सीखते हैं।
- शिक्षक विभिन्न अवसरों पर अभिभावकों के विचार पूछते है अतः अभिभावक को अपने अंदर सम्मान महसूस होता है और वे स्वयं को बच्चे की शिक्षा का समान भागीदार मानते है।

- **निष्कर्ष–** समावेशी शिक्षा सभी बालकों के लिए एक उत्तम विकल्प है जो कम खर्चिला है और सामान्य शिक्षण वातावरण में अक्षमता युक्त बालकों के लिए एक उत्तम विकल्प है जो कम खर्चिला है और सामान्य शिक्षण वातावरण में अक्षमता युक्त बालकों की समाजिकरण का बेहतर अवसर प्रदान करता है। यहीं इनका सामाजिक उपागम विकलांगता को एक सामाजिक समस्या मानते हुए उसके समाधार पर बल देता है एक तरफ 'विकलांगता' सामाजिक स्तर आदि नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। वहीं दूसरी ओर विशेष शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने, उपर्युक्त सेवायें प्राप्त करने में 'लेबलिंग' मददगार है। शिक्षण, संसाधन कक्ष शिक्षण, अभिभावक, परामर्श दाता सामुदायिक जागरूकता, शिक्षक शिक्षण आदि की भागीदारी समावेशी शिक्षा में आवश्यक है। जो विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों के साथ विद्यालय में पठन पाठन तथा आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करती है।

- **संदर्भ ग्रंथ सूचीः–**

3. Jangira, N.K., Ahuja,A., Sharma, I. (1992), Education of Children With Seeing Problem Focus on Remaining Sight, Central Resource Centre (PIE), New Delhi, NCERT
4. Jha, M.M. (2002), School without Walls: Inclusive Education for all. Oxford. Heirimann.
5. शंकर, प्रेम (2009) विशिष्ट बालक, लखनऊ आलोक प्रकाशन।
6. Bhargava, M.(1998). विशिष्ट बालकः उनकी शिक्षा एवं पुनर्वास, New Delhi : Sterling Publishers Pvt. Ltd.
7. Smith, T.E.C., Pollway, E.A., Patton, J.R & Dowdy, C.A. (2011). Teaching students with disabilities special needs in inclusive needs in inclusive settings. New Delhi: PHI Learning Private Limited.
8. Hallahan, D.P. and Kauf fman, J.M.(2007), Exceptional Learners: Introduction to special Education (10th Edition) Allyn and Bacon, MA
9. The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India.
10. Kumar S. and Kumar, K. (2007), Inclusive Education In India: Electronic Journal for Inclusive Education, Vol. 2, No. 2 [200], Art. 7

- **Website**

1. http://corescholar.libraries.wright.edu/ejie
2. http://medsped.soe.umd.umich.edu/belinda/modelsof.htm

समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका एंव संविधान और शिक्षा नीतियों में प्रावधान

नवाब अली

सहायक प्रवक्ता

आर के गर्ल्स कॉलेज–बोरावड़

Email: navabali308@gmail.com

शोध सारः– प्रत्येक बालक में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जन्मजात पाये जाते है। ये गुण प्रायः आनुवंशिकता से सम्बन्धित भी हो सकते हैं अथवा नहीं भी। इन्हीं गुणों के आधार पर ही बालकों का भौक्षिक स्तर निर्भर करता है। सामान्य बालकों का भौक्षिक स्तर उनकी बुद्धिलब्धि तथ क्षमताओं के आधार पर ही तय किया जाता है। ठीक इसी प्रकार वह बालक जो कि विशिष्ट बालक होते है। उन्हें भी शिक्षा के पूर्ण अवसर प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है, जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जैसे– मन्दबुद्धि, अन्धे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है।

मुख्य शब्दः– आनुवांशिकता, वैश्विक स्तर, बुद्धि लब्धि, विशिष्ट बालक, मन्दबुद्धि, प्रतिभाशाली।

समावेशी शिक्षा अथवा समावेशन पृथक्करण अथवा अलगाव का विपरीतार्थक भाब्द है जिसका अर्थ होता है बाहर रखना, मना करना या निश्कासन करना। समावेशी शिक्षा में सबको साथ लेकर सम्मिलित करते हुए उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बालकों के बौद्धिक, संवेगात्मक एवं सृजनात्मक विकास के अतिरिक्त परस्पर सीखने–सिखाने तथा अभियोजन का एक अनूठा प्रयास है जो कठिन तो है लेकिन असम्भव नहीं।

समावेशी शिक्षा में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मनुश्य द्वारा किसी व्यक्ति को शिक्षित करना सबसे बड़ी सेवा है इसलिए एक अध्यापक एक अच्छे समाज व राश्ट्र का निर्माता है। उसी के आधार पर एक राष्ट्र की सफलताओं व ऊँचाइयों को मापा जा सकता है।एक अध्यापक भौक्षिक प्रणाली में केन्द्र बिन्दु की भूमिका अदा करता है। एक अध्यापक के बिना विद्यालय या समाज ऐसे है जैसे आत्मा के बिना भारीर, हड्डियों व खून के बिना एक कंकाल, आकृति के बिना छाया। भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि 14 वर्श की आयु तक के छात्रों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जायेगी और संविधान में प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता और भाताब्दि विकास सफलता में सुधार किया जायेगा परन्तु पिछले तीन वर्शों में विद्यालयों में कमी आयी है लगभग तीन करोड़ 50 लाख बच्चे 6 वर्श की आयु से 19 वर्श की आयु तक अभी भी विद्यालयों में नहीं जाते हैं।

इस आश्चर्य जनक तथ्यों के पीछे मुख्य कारण यह है कि समाज में रहने वाले सामाजिक रूप से पिछड़े व विशेष अधिकारों वाले व्यक्ति भौक्षिक सुविधाओं से अभी भी वंचित है। इसमें ज्यादातर छात्र विकलांग व अयोग्य है। समावेशी शिक्षा कक्षा शिक्षण का निर्माण ही नहीं करता जिसमें केवल पाठयक्रम भाामिल होता है यह विशिष्ट बालकों के व्यवहार भावात्मक व सामाजिक कौशलों को विकसित करने में भी सहायता प्रदान करता है। इसलिए कि वे बालक भी अन्य बालकों के साथ आसानी से बैठकर अच्छे वातावरण में सभ्य समाज का निर्माण कर सकें।

आज के इस भौक्षिक स्तम्भ के आधार पर अध्यापकों की भूमिका प्रकृति के अनुसार विभाजित होती जा रही है। ऐसी भूमिका को निभाने के लिए अध्यापकों को विशिष्ट ज्ञान, कौशल व अच्छे व्यवहार का ज्ञान होना अति आवश्यक है जो अलग–अलग स्थितियों व अयोग्यताओं को दूर कर सकें। कई परिस्थितियों में अध्यापक को ज्ञान होता है परन्तु वे अभिभावकों के साथ समाज व समुदाय के साथ व अपने सह भागियों के साथ समन्वय नहीं कर पाते है। जिसके कारण ऐसी समस्याए एक समाज में उनकी अलग–अलग भूमिकाओं को न निभाने के लिये अयोग्य करती है। वह इस तरह का ज्ञान रखता है जिसके माध्यम से वह विशिष्ट शिक्षण उपकरणों व सामग्री के द्वारा अयोग्य बालकों की समस्याओं को विभिन्न तरीकों व स्कूल प्रशासन के द्वारा उनके सहयोगियों के द्वारा अतिरिक्त समय प्रशिक्षण संसाधन व मदद प्रदान करके समाप्त कर सकता है।

समावेशी शिक्षा में एक अध्यापक की भूमिक उत्तरदायित्वों को निम्न आधार पर व्यक्त किया जा सकता है–

1. अध्यापक छात्रों के समझने व यह जानने में योग्य हो कि सभी छात्र एक समान नहीं है।
2. अध्यापक बालकों की बढ़ती योग्यता को विकसित करने में सहायक हों।
3. प्रत्येक छात्र का कक्षा में स्वागत किया जाय जिससे सभी छात्र अपने आप को एक समान समझे।
4. अध्यापक प्रत्येक छात्र के भावात्मक, सामाजिक, ज्ञानात्मक व भारीरिक कौशलों को विकसित करने के लिए उन्हें समान अवसर प्रदान करें।
5. उसे पाठ्यक्रम इस आधार पर योजनाबद्ध करना चाहियें कि विकलांग छात्रों को प्रभावशाली ढंग से समझाया जा सके।
6. अध्यापक को कक्षा में ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिये जिससे विकलांग बच्चे अपने कार्यों को पूरा कर सके व समान अवसर प्रदान करके उन्हें अपने कार्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करना चाहिये।
7. अध्यापक को विकलांग व सामान्य छात्रों में उचित तालमेल स्थापित करने के प्रयास करने चाहिये।
8. अध्यापक को कक्षा में ज्यादा से ज्यादा क्रियायें करने के लिये छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिये।
9. बच्चों में आत्मवि वास व जीवन में मिलने वाले लक्ष्यों व चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें अध्यापक द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिय।
10. छात्रों को ज्यादा से ज्यादा तकनीकी शिक्षा व व्यवसायिक शिक्षा के लिये अच्छे अवसर व संसाधन अध्यापक उपलब्ध करवाये।
11. अध्यापक छात्रों को प्रत्येक कार्य में भाग लेने के लिये प्रेरित करें।
12. अध्यापक समावेशी शिक्षा के माध्यम से अपनी शिक्षण पद्धति का उचित निर्माण करें।
13. अध्यापक को प्रत्येक छात्र को उसकी योग्यता के आधार पर विद्यालय में प्रत्येक सहगामी क्रिया में भाग लेने का उचित अवसर प्रदान करना चाहिए।
14. अध्यापक की यह भूमिका है कि वह कक्षा में समस्याओं को उनके अभिभावकों, शिक्षाविदों व सहयोगी संस्थाओं को समझा सकें।
15. अध्यापक अपंग व विशिष्ट बालकों की समस्याओं को उनके अभिभावकों, शिक्षाविदों व सहयोगी संस्थाओं को समझा सके।
16. एक अध्यापक के विकलांग बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सफलताओं को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
17. अध्यापक को ऐसे छात्रों की आवश्यकताओं व क्षमताओं को जानना चाहिए। जो अपने आप को असक्षम मानते हो।
18. अध्यापक को छात्रों के व्यवहार को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए।
19. अध्यापक को ऐसे छात्रों को व छात्रों के भौक्षिक कार्यों में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
20. अध्यापक को ऐसे अन्य शिक्षण संस्थानों व व्यवसायिक कार्यकताओं से सम्पर्क करना चाहिए जो ऐसे छात्रों को सहयोग देने के इच्छुक हो। ताकि छात्रों के कल्याण के ज्यादा अवसर प्रदान किए जाए।
21. अध्यापक छात्रों को इस योग्य बनाए कि वे अपनी दिनचर्या उन्हीं छात्रों की तरह अपनाए जैसे स्कूल के अन्य छात्र करते है।
22. अध्यापक को प्रत्येक छात्र तक अपनी बात को पहुंचाने की सक्षमता होनी चाहिए।
23. अध्यापक को प्रत्येक छात्र की इच्छा ाक्ति, दृढसंकल्प व कमियों का ज्ञान होना चाहिए।
24. अध्यापकों को छात्रों को सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
25. उसे सामान्य छात्रों को विकलांग छात्रों के कक्षा में आने का स्वागत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

अतः निश्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा में एक अध्यापक आने छात्रों को मानसिक, भारीरिक, मनोवैज्ञानिक व भावात्मक रूप से मजबूत बनाता है ताकि सभी छात्रों को पूर्ण विकास हो सके। अध्यापक सदैव ही अपने छात्रों के पूर्ण विकास की कल्पना करे उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो तभी वह अपने छात्रों व समाज के साथ न्याय कर पायेगा और अपने दे ा का नाम सम्मान ऊँचा कर सकेगा।

समावेशी शिक्षा हेतु प्रावधान–

- अनुच्छेद 15–धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं।
- अनुच्छेद 45–6 वर्ष आयु वाले बच्चें को प्रारम्भिक शिक्षा।
- अनुच्छेद 21–6–14 वर्श तक आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा
- आर.टी. ई. अधि संशोधन 2012–सभी अक्षमताओं वाले बच्चों को स्कूल में सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा व गंभीर अक्षमताओं वाले बच्चों को घर में शिक्षा का अधिकार।

राश्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 में समावेशी–शिक्षा हेतु प्रावधान–

- देश के हर नागरिक को शिक्षा प्रदान हो चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो।
- बालक–बालिका साथ मिलकर शिक्षा प्राप्त कर सकें।
- भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिए भौक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष बल व समान शिक्षा।

दिव्यांग जन अधिनियम (PWD ACT)- 1995में समावेशी–शिक्षा हेतु प्रावधानः–

1. प्रत्येक दिव्यांग बच्चे को उचित व समावेशित वातावरण में 18 वर्श की आयु तक निःशुल्क शिक्षा
2. समान अवसर, अधिकार–संरक्षण और पूर्ण भागीदारी।

राश्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF) 2005 में समावेशी–शिक्षा हेतु प्रावधान–

1. कक्षा में सभी बच्चों के लिए समावेशी माहौल
2. ऐसी उदार पाठ्यचर्या जो भी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो
3. कक्षा में शिक्षण और अध्यापन की प्रक्रिया इस प्रकार नियोजित हो कि वह विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

दिव्यांग जन अधिनियम (आर.पी.डब्ल्यू.डी–अधिनियम)–2016–

1. 6–18 वर्श की आयु के बीच 40% तक विकलांगता वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार
2. दिव्यांग और सामान्य छात्र एक साथ सीखें
3. शिक्षण और सीखने की प्रणाली समान
4. सरकारी वित्तपोशित शिक्षण संस्थानों के साथ–साथ सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों में दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा

नई शिक्षा नीति–(N.E.P.) 2020में समावेशी–शिक्षा हेतु प्रावधान–

1. समावेशी और समान शिक्षा प्रणाली के प्रावधान के लिए 2023 तक का लक्ष्य
2. 5वीं कक्षा तक मातृभाशा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाशा में शिक्षा
3. प्रत्येक बच्चे को स्कूलीं शिक्षा के साथ एक कौशल की शिक्षा
4. सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर वंचित समूहों की शिक्षा पर विशेष जोर।

सन्दर्भ

1. Allen, K.E. Schowartz, 1. –The Exceptional child inclusion in Early Childhood Education.
2. C. Agrawal, M.K. Narang – Samaveshi Shiksha.
3. A.S. Thakur – Inclusive Education.
4. K. Virk Jaswant, Alka Arora – Fundamentals of Inclusive Education.
5. Madan Mohan Jha- Samaveshi Shiksha
6. Singh- samaveshi shiksha

INCLUSIVE EDUCATION IN INDIA

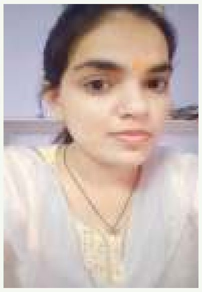

NIKITA CHOUHAN
Research Scholar
Geetanjali B.Ed. College-Borawar
Email: niku.baisa7@gmai.com

Abstract

Inclusive education (IE) *is a new approach towards educating the children with disability and learning difficulties with that of normal ones within the same roof. It brings all students together in one classroom and community, regardless of their strengths or weaknesses in any ar ea, and seeks to maximize the potential of all students. It is one of the most effective ways in which to promote an inclusive and tolerant society. About eighty percent of indian population lives in rural areas without provision for special schools. It means, there are an estimated 8 million children out of school in India (MHRD 2009 statistics), many of whom are marginalized by dimension such as poverty, gender, disability, and caste. Today, what are the needs and challenges for achieving the goal of inclusive education? How will an inclusive environment meet the needs of children with disabilities? How quality education can be effectively and efficiently delivered for all children? Therefor, inclusive schools have to address the needs of all children in every community and the central and state government have to manage inclusive classrooms. Keeping in view these questions, this article discusses in detail the concept of inclusive education, including important, challenges and measures to implement inclusive education in India.*

Most recent advancement is the Right of children for free and compulsory education (2009) which guarantees right to free and compulsory education to all children between ages six to fourteen. Inclusion is an effort to make sure that diverse learner – those with disabilities, different languages and cultures, different homes and family lives, different interests and ways of learning. Inclusive education denotes that all children irrespective of their strengths and weaknesses will be part of the mainstream education. It is clear that education policy in India has gradually increased the focus on children and adults with special needs, and that inclusive education in regular schools has become a primary policy objective.

All school going children, whether they are disabled or not, have the right to education as they are the future citizens of the country. Today it is widely accepted that inclusion maximizes the potential of the vast majority of students, ensures their rights, and is it preferred educational approach for the 21st century.

Concept of Inclusive Education

The principal of inclusive education was adopted at the "world conference on special needs education: Access and Quality" (Salamanca Statement, Spain 194) and was restated at the world education forum (Dakar, Senegal 2000). The idea of inclusion is further supported by the United Nation's Standard rules on equalization of opportunities for person with disability proclaiming participation and equality for all. Inclusive education (IE) is defined as a process of addressing the diverse needs of all learners by reducing barriers to, and within the learning environment. Inclusive education is a process of strengthening the capacity of the education system to reach out to all learners. Inclusion is an educational approach and philosophy that provides all students greater opportunities for academic and social achievement. This includes opportunities to participate in the full range of social, recreational, arts, sports, music, day care and afterschool care, extra-curricular, faith based, and all other activities. In India, National Council of Educational Research and Training (NCERT) joined hands with UNICEF and launched Project Integrated Education for Disabled Children (PIED) in the year 1987, to strengthen the integration of learners with disabilities into regular schools. In recent years, the concept of inclusive education has been broadened to encompass not only students with disabilities, but also all students who may be disadvantaged. This broader understanding of curriculum has paved the way for developing the national curriculum framework (NCF-2005) that reiterates the importance of including and retaining all children in school through a program that reaff rms the value of each child and enables all children to experience dignity and the confidence to learn.

Background of the Inclusive Education program

The government of India is constitutionally committed to ensuring the right of every child to basic education. The government of India has created numerous policies around special education since the country's independence in 1947. One of the earliest formal initiatives undertaken by the GOI was the integrated education for disabled children (IEDC) scheme of 1974 (NCERT, 2011). The Kothari commission (1966) which hi ghlighted the importance of educating children with disabilities during the post-independence period (Pandey 2006). In 1980 the then ministry of welfare, Govt. of India, realized the crucial need of an institution to monitor and regulate the HRD program in the field of disability rehabilitation. Till 1990s,

ninety percent of India's estimated 40 million children in the age group- four-sixteen years with physical and mental disabilities are being excluded from mainstream education. The national policy on education, 1986 (NPE, 1986), and the program of action (1992) stresses the need for integrating children with special needs with other group. The government of india implemented the district primary education project (DPEP) in 1994-95. In late 90s (i.e. in 1997) the philosophy of inclusive education is added in District Primary Education Program (DPEP). This program laid special emphasis on the integration of children with mild to moderate disabilities, in line with world trends, and become one of the GOI's largest flagship program of the time in terms of funding with 40,000 million rupees. Sarvashikshaabhiyan (SSA) was launched to achieve the goal of Universalisation of elementary education in 2001, is one such initiative. Three important aspect of UEE are access, enrolment and retention of all children in 6-14 years of age. A zero rejection policy has been adopted under SSA, which ensures that every child with special needs (CWSN), irrespective of the kind, category and degree of disability, is provided meaningful and quality education. National curriculum framework (NCF) 2005 has laid down a clear context of inclusive education. In 2005, the ministry of human resource development implemented a national action plan for the inclusion in education of children and youth with disabilities.

Conclusion

Right to Education Act 2009 ensures education to all children irrespective of their caste, religion, ability, and so on. It is essential to build an inclusive society through an inclusive approach. In doing so, we have challenged commonly held beliefs and developed a new set of core assumptions. A good inclusive education is one that allows all the students to participate in all aspects of classroom equally or close to equal. The Government of India is trying to improve its education system focusing on the inclusive approach. The challenges can be overcome by raising awareness of human rights in communities and Publicizing positive example of disabled children and adults succeeding in inclusive education and in life beyond school as a result. We need to develop an inclusive design of learning to make the education joyful for all children so that the education for them is welcoming learner friendly andbeneficial and they feel as a part of it not apart from it. Therefore, inclusion arose as a good solution to the question of how to educate these children more effectively.

Selected References

MHRD (2005). Action Plan for inclusive Education of Children and Youth with Disabilities. Available on http://www.education.nic.in

NCERT (1998). Sixth All-India Educational Survey. New Delhi: National Council of Educational Research and Training.

NCERT (2006). Including Children and Youth with disabilities in Education, a Guide for Practitioners. Department of Education of Groups with Special Need. New Delhi: National Council of Educational Research and Training. Available on http://ncert.nic.in

NCF (2005). National Curriculum Framework. New Delhi: NCERT. PP. 79-89

समावेशी शिक्षा में विशिष्ट क्षमता वाले बालक

अनिता

सहायक प्रवक्ता

आर के गर्ल्स कॉलेज–बोरावड़

Email: anitakumawat88789@gmai.com

शोध सारः– वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि विकलांग बच्चों को उनके अधिकारों को पहचानने व समझने में मदद करती है और उनके लिए हमारे समाज में भाामिल होना और योगदान करना आसान होता है। अतः सभी प्रकार के बच्चों के शिक्षा ग्रहण करने पर राष्ट्र की साक्षरता दर बनेगी, और भविश्य में वह राष्ट्र बनेगा।

मुख्यभाब्दः– विकलांग बालक, अधिगम, अक्षमता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्धन, पिछड़े वर्ग, समावेशी शिक्षा, विद्यालय प्रणाली।

➢ **परिचयः–**समावेशी शिक्षा जगत की आधुनिक मांग है जिसके आधार पर चलकर एक विशेष शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया गया है। जो सभी विद्यार्थियों को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करती है।

➢ पृश्ठभूमि एवं विश्लेषण

विशिष्ट क्षमता वाले बालक + सामान्य बालक

3 भाग

1. **भाारीरिक एवं विकलांग बालक–** (दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, वाक् दोश, अस्थि बाधित)
2. **अधिगम अक्षमता वाले बालक–**

    डिस्लेक्सिया– पठन सम्बन्धी कठिनाई

    डिस्केलकुलिया– गणित सम्बन्धी कठिनाई

    डिस्ग्राफिया– लेखन सम्बन्धी कठिनाई

    अफेज्या– भाशा सम्बन्धी कठिनाई
3. **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे–**

एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है जो कि धर्म, जाति, लिंग समाज परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव उत्पन्न किए शिक्षा प्रदान की जाती है।

➢ परिभाशा

UNESCO के अनुसार

व्यापक रूप से समावेशन को एक ऐसे सुधार के रूप में किया जाता है जिसमें सीखने वालों की भिन्नता का आधार किया जाता है।

अन्य शिक्षा भाास्त्रों के अनुसार

समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाओं तथा विशिष्ट बालक बालिकाओं एक ही विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के साथ शिक्षा ग्रहण करते है।

समावेशी शिक्षा का महत्व

- छात्रों की वैयक्तिक भिन्नता का ध्यान रखा जाता है जो शिक्षा के समान अवसर के गुण के सभी सिद्धातों का पालन समावेशी शिक्षा में होता है।
- छात्रों में समन्वय स्थापित करने हेतु विशिष्ट प्रशिक्षित शिक्षकों की आव यकता होती है। जिससे दोनों के बीच प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होता है। जिससे बालकों में एकता, भाईचारा, और समानता की भावना उत्पन्न होती है।
- एक छात्र दुसरे छात्र के गुणों का अनुकरण करता है अच्छे गुणों को अपने व्यवहार में लाता है जिससे मानसिक और बौद्धिक विकास की गति तीर्व होती है।
- आत्मविश्वास में वृद्धि होती है जिसके लिए उनके मनोबल में सुधा लाने के लिए विभिन्न गतिविधियों को प्रयोग में लाया जाता है और उनके सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाता है।
- आज के युग में समावेशी शिक्षा का विशेष महत्व है क्योंकि यह शिक्षा ही आज के समाज के बदलाव ला सकती है। इसलिए समावेशी शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए।

➢ वर्तमान विद्यालय प्रणाली में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता

सभी पृश्ठभूमियों के छात्रों द्वारा कक्षा में लाए गए अनूठे योगदान को महत्व देती है और सभी के लाभ के लिए विविध समूह को एक साथ बढने की अनुमति देता है।

➢ समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका

एक दीपक तब तक दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता है जब तक वह स्वयं प्रज्वलित नहीं होता इसलिए शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली ढंग से पूर्ण करने की क्षमता होनी चाहिए।

1. सकारात्मक अभिप्रेरणा
2. समायोजन की दक्षता
3. आदर्श व्यक्तित्व

➢ निष्कर्ष

एक बच्चे के जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा स्कूल तथा कक्षा कक्ष में ही बितता है तो विद्यालय का स्थान वह कक्षा कक्ष सभी सुविधाओं से युक्त होना चाहिए।

आज के बदलते परिवेश में कुछ लोगों को ज्यादा महत्व देना और कुछ लोगों को बिल्कुल अलग रखना अनैतिक कार्य है। इसलिए समावेशी शिक्षा जरूरी है जिससे विकलांग बच्चों को उनके अधिकारों को पहचानने समझने मे मदद करती है और उनके लिए हमारे समाज में भाामिल होना और योगदान करना आसान होता है। प्रत्येक बच्चा यह सोचता है कि वह किसी भी प्रकार से किसी अन्य बच्चे से कमजोर नहीं है। वह सामान्य बालक के समान अपने को महत्वपूर्ण समझने लगता है।

यह विविधता में एकता की भावना को जागरूक करती है। अतः सभी प्रकार के बच्चों के शिक्षा ग्रहण करने पर राष्ट्र की साक्षरता दर बढेगी, भविश्य में वह राश्ट्र अवश्य ही विक्षित राष्ट्र बनेगा।

सबके साथ सबका विकास करने की ओर अग्रसर करती है।

➢ सन्दर्भ सूचीः–

1. NCERT (2006). Including Children and Youth with disabilities in Education, a Guide for Practitioners. Department of Education of Groups with Special Need. New Delhi: National Council of Educational Research and Training. Available on http://ncert.nic.in
2. York-Barr, J (2003). "Special educators as teacher leaders in inclusive schools".IMPACT: Feature issue on Revisiting Inclusive K-12 Education, 16(1): Minneapolis, MN: Institute on Community Integration.
3. NCERT (2006). Inclusive Children and Youth with disabilities in Education, a Guide for Practitioners. Department of Education of Groups with Special Need. New Delhi: National Council of Educational Research
4. Schwartz, I., Allen, K. E (2000). The Exceptional Child (4 ed.) Delmar Cengage Learning. ISBN 0-7668-0249-3. Inclusive in Early Childhood Education.
5. [PhDinSpecialEducation NCF (2005). National Curriculum Framework. New Delhi: NCERT.PP. 79-89
6. n.com "How to Support Special Needs Students"]

➢ Websites

1. http://corescholar.libraries.wright.edu/ejie
2. Http://medsped.soe.umd.umich.edu/belinda/modelsof.htm
3. MHRD (2005). Action Plan for Inclusive Education of Children and Youth with Disabilities. Available on http://www.education.nic.in

समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व

अब्दुल मजीद

सहायक प्रवक्ता

गीताजंली बी. एड कॉलेज–बोरावड़

Email:amazid106@gmai.com

सारः– वर्तमान में जनसंख्या बढ़ने से बालकों की संख्या के साथ साथ उनकी बढ़ती हुई विभिन्नतायें भी एक समस्या का रूप ले रही है। इन सभी प्रकार की विभिन्नताओं को साथ लेकर सभी को समान शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। यह शिक्षा भाषा धर्म लिंग, संस्कृति तथा सामाजिक एवं शारीरिक, मानसिक गुणों की विविधता वाले बालकों को एक -दूसरे से सीखने, सामाजिक रूप से सम्बन्धित होने तथा समायोजित होने के बहुमूल्य प्रदान करती है। वर्तमान में समावेशी शिक्षा अपरिहार्य आवश्यकता बन गई है। वैयक्तिक पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास को दृष्टि से यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

मुख्य शब्दः– गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समानता, समायोजन, शिक्षा की सार्वभौमिकता

1. शिक्षा के स्तर को बढ़ाना- समावेशी शिक्षा "सबके लिये शिक्षा की अवधारणा पर ही नहीं बल्कि सबक लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है। इस शिक्षा प्रणाली में बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इस पद्धति में शिक्षण प्रक्रिया ऐसे नियोजित की जाती है जैसे कि हर बच्चा अपना सम्पूर्ण विकास कर सके और अपनी योग्यता या क्षमता का विकास कर सके।

2. संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वाह- भारत के संविधान में भी स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी बच्चे को जाति, धर्म, भाषा, शारीरिक अक्षमता, लिंग आदि के कारण शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसका निर्वहन करने तथा इसकी प्रगति के लिये शिक्षा का अधिकार कानून भी बना दिया गया है। जिसके अनुसार शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। उसे कोई भी शिक्षण संस्थान शिक्षा देने से इन्कार नहीं कर सकता। समावेशी शिक्षा भी सभी को शिक्षा प्रदान करने का आह्वान करती है।

3. सामाजिक समानता- समावेशी शिक्षा समानता के सिद्धान्त का अनुसरण करती है। कि जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा गया कि "स्कूल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ सभी बच्चे भागीदार होते हैं तथा सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है।" इसका अर्थ यह हुआ कि स्कूल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी बच्चों को अध्यापक द्वारा एक समान शिक्षण कराया जाता है। जहाँ जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, भाषा, मानसिक गुणों की विभिन्नता वाले बच्चों को एक साथ समान शिक्षण कराया जाता है। समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक रूप से बाधित बालकों को सभी के साथ शिक्षा प्रदान करने पर बल देती है।

4. व्यक्तिगत जीवन का विकास- यह शिक्षा व्यक्तिगत जीवन के विकास में लाभकारी होती है। बच्चों की मानसिकता व दृष्टिकोण में परिवर्तन करना समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। इस शिक्षा का केन्द्र बालक है। बालकों के संज्ञानात्मक संवेगात्मक, सामाजिक व मानसिक विकास के लिए इसका विशेष महत्व है।

5. समाज के विकास के लिए- व्यक्ति ही समाज का निर्माण करते हैं व्यक्तियों के संयोग के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि सम्पूर्ण समाज का विकास करना है तो सभी को शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। व्यक्ति के परिश्रम, सूझबूझ व प्रयासों से ही उसका जीवन संवरता है और शिक्षा का योगदान इसमें सर्वाधिक रहता है। इस प्रकार समाज का विकास उसके सुयोग्य नागरिकों पर निर्भर करता है वर्तमान समय की यह माँग है कि शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक बालक को सशक्त बनायें तथा ऐसे प्रयत्न किये जाये कि जिससे प्रत्येक बच्चा अपनी-अपनी योग्यता व कुशलता का विकास करे। समावेशी शिक्षा में समाज के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है जिससे कि वे सभी शिक्षित होकर रोजगार प्राप्त कर सकें व अच्छे समाज के निर्माण में सहायक हो सकें।

6. लोकतान्त्रिक गुणों का विकास- समावेशी शिक्षा बच्चों के लोकतान्त्रिक गुणों के विकास में सहायक होती है। लोकतान्त्रिक गुणों के अन्तर्गत प्रेम, सद्भावना, सहयोग, सहनशीलता, एक-दूसरे का सम्मान आदि आते हैं। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षण करने से इन गुणों का विकास सम्भव है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह शिक्षा प्रणाली अपने पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, स्कूल तथा कक्षा में, या कक्षा से बाहर पारस्परिक क्रिया तथा व्यवहार में गतिशीलता व समायोजन को बल देती है।

7. उचित समायोजन- समावेशी शिक्षा से छात्र विभिन्न परिस्थिति व वातावरण में समायोजन करना सीखते हैं, अनेक अध्ययनों से पता चलता है कि नियमित रूप से मिल-जुलकर कार्य करने से छात्रों में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है।

8. राष्ट्र की प्रगति- शिक्षा किसी भी देश के विकास व प्रगति के लिए आवश्यक है। यूनेस्को ने जनेवा में सम्मेलन 2008 में एक रिपोर्ट दी और स्पष्ट किया कि प्राथमिक शिक्षा को इतने विस्तार के बावजूद भी अभी 72 मिलियन बच्चे निर्धनता या सामाजिक स्तर के कारण विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। राष्ट्र के विकास एवं प्रगति के लिये मानवीय संसाधन का कुशल होना आवश्यक है और यह कुशलता शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। यदि कोई असमर्थ बालक शिक्षा प्राप्त करता है तो उसमें उन सभी गुणों का वांछित विकास होता है जिनकी शिक्षा से अपेक्षा रहती है। यदि व्यक्ति या बालक शिक्षित है तो वह किसी क्षेत्र में रोजगार व कार्य करेगा और अपनी क्षमताओं का पूर्ण प्रदर्शन करेगा। इसलिए समावेशी शिक्षा में सभी को शिक्षा प्रदान की जाती है जिससे देश का प्रत्येक बालक शिक्षा प्राप्त करें जो कि राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है।

9. आधुनिक तकनीकों का प्रयोग- वर्तमान में कम्प्यूटर प्रोजेक्टर, इण्टरनेट आदि का प्रयोग साधारण-सी बात हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका प्रयोग होने लगा है। शिक्षा के माध्यम से छात्रों को इन उपकरणों का ज्ञान कराया जाता है। इस ज्ञान का व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग करके रोजगार प्राप्त कर सकता है तथा अपने ज्ञान का विकास करता है।

10. शिक्षा की सार्वभौमिकता- सरकार शिक्षा के सार्वभौमिकता के लिए अनेक योजनायें बनाती हैं, जब तक इन योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है तब तक इस लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा (विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा) को तभी सार्वभौमिक बनाया जा सकता है जब तक प्रत्येक बालक के गुणों, स्तर तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा का विस्तार किया जाय। समावेशी शिक्षा सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने तथा सहयोग करने पर बल देती है। इसमें सभी धर्म, जाति, भाषा तथा शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को भी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षण किया जाता है।

11. माता-पिता के लिए सन्तोषजनक प्रभाव- अधिकांशतः यह देखा जाता है कि अशक्त, अपंग बालक के जन्म के साथ-साथ उनके अभिभावकों को चिन्ता यह लगी रहती है कि बालक की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार होगी? इस प्रकार की निराशा व उदासीनता बनी रहती है। वे लोग प्रारम्भ से ही ऐसे बच्चों को दया की दृष्टि से देखते हैं। पहले इन बच्चों को शिक्षा के लिये दूर विशिष्ट विद्यालयों में भेजना पड़ता था, माता-पिता अधिक चिन्तित रहते थे। चूंकि अब समावेशी शिक्षा के प्रत्यय के कारण अब ऐसे बालक अपने परिवार के साथ ही रहकर सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो कि माता-पिता व अभिभावकों के लिए। सन्तोषजनक प्रभाव है।

12. रोजगार के अवसरों में वृद्धि – शिक्षा को जीविकोपार्जन में सहायक यंत्र के रूप में माना जाता है। भारत जैसे देश में शिक्षा एक ओर ज्ञान संग्रहण में सहायक है तो दूसरी ओर रोजगार प्राप्त करने का साधन है। शिक्षित व्यक्ति किसी भी रोजगार को कुशलता के साथ कर सकता है वहीं अशिक्षित व्यक्ति अपनी असमर्थता के कारण लाचार होता है परिणामस्वरूप निर्धनता का चक्र चलता रहता है। शिक्षा का प्रसार करना हमारी आवश्यकता है और समावेशी शिक्षा इस दिशा में एक प्रयास है।

निष्कर्ष—

उक्त तथ्यों पर विचार करने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है। कि समावेशी शिक्षा एक कम खर्चीली, समानता पर आधारित, समाजीकरण को बढ़ावा देने वाली और विशेषकर जो बच्चे शारिरिक, मानसिक सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े है विकलांग है उनके जीवन में एक उम्मीद की किरन दिखाने वाली व्यवस्था है ऐसी शिक्षा व्यवस्था को सरकार अधिक से अधिक प्रोत्साहन दें जिससे देश की वो जनसंख्या जो विकलांग है देश के लिए एक संसाधन बन सके और देश के विकास में अपना योगदान देने के काबिल बनें।

सन्दर्भ सूची—

1. राहुल गुप्ता—प्रेरणा प्रकाशन, विकलांग बच्चों की शिक्षा
2. राधा प्रकाशन मन्दिर (प्रा.लि.) समावेशी विद्यालय का सृजन। निर्माण—लेखन R.K. सैनी एवं सम्पादक मण्डल।
3. डॉ. दत्ता डॉ. आचार्य—वैशाली पब्लिकेशन (समावेशी स्कूल बनाना)

मीना कंवर

सहायक प्रवक्ता

गीताजंली बी. एड कॉलेज–बोरावड़
Email. meena.kanwar555@gmail.com

सार:– शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सौदेश्य सामाजिक प्रक्रिया है शिक्षा के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है शिक्षा पर सभी का अधिकार है अत है शिक्षा का अब समावेशीकरण हो रहा है जिसमें सबको समाहित कर ले ऐसी शिक्षा जो सबके लिए हो अर्थात हर वर्ग के सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ एक कक्षा में एक विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा है समावेशन सबके लिए सामान्य स्कूल के प्रत्यय को स्पष्ट करती है। यह एक ऐसा शैक्षिक प्रतिरूप है जो सार्वभौमिक समाज के निर्माण एवम विकास के उद्देश्य से प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान जगह देता है। यूनेस्को ने अपने अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन जेनेवा 2008 में समावेशी शिक्षा पर चर्चा की और स्पष्ट किया की समावेशी शिक्षा छात्रों के गुणात्मक शिक्षा के मौलिक अधिकार पर आधारित है जो आधारभूत शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर जीवन को समृद्ध बनती है समावेशी शिक्षा समाज के हर वर्ग के प्रतिभाशाली कमजोर औसत, पिछड़ा वर्ग, ट्रांसजेंडर, मानसिक रूप से कमजोर बालकों के लिए है जिससे वे समाजधारा में जुड़ते हैं आत्म विश्वासी बनते हैं। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 इन्हीं लक्षण को लेकर प्रस्तावित की गई है।

मुख्य शब्द:– शिक्षा, नीति, समता मूलक, समावेशी शिक्षा।

नई शिक्षा नीति 2020 समावेशी शिक्षा

मीना कंवर

सहायक प्रवक्ता

गीताजंली बी. एड कॉलेज–बोरावड़

Email. meena.kanwar555@gmail.com

- प्रस्तावनाः–

1. **नई शिक्षा नीतिः–** नई शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में उच्च शिक्षा को ध्यान में रखते हुए 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दे दी। Nep 2020 द्वारा स्कूली एवं उच्च शिक्षा प्रणालियों में रूपांतरकारी सुधरो का रास्ता साफ हुआ है जिसमें समावेशी एवं समता मूलक शिक्षा महत्वपूर्ण मुद्दा है। शिक्षण में पहुंच सहभागिता और अधिगम परिणाम में सामाजिक श्रेणी के अंतरालों को दूर करना सभी शिक्षा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य रखा गया है। NEP 2020 के अध्याय 6 एवं अध्याय 14 में समावेशी एवं समता मूलक शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा की गई है। भारतीय शिक्षा प्रणाली और सरकारी नीतियां विद्यालय शिक्षा व्यवस्था के सभी स्तरों में लिंग और सामाजिक श्रेणियां के अंतरालों को कम करने की दिशा में लगातार प्रगतिशील है परंतु आज भी शिक्षा तक सब की पहुंच बाकी है विशेष कर माध्यमिक स्तर पर सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह है जिनका प्रतिशत 19 से 17.3 ही रह जाता है. शिक्षा के क्षेत्र में पहले से पिछड़े हुए छात्र–छात्राओं को विशेष स्थान देने के लिए यह व्यवस्था की गई है।

2. सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह (S.E.D.G)को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है।

1. लिंग – महिला एवं ट्रांसजेंडर व्यक्ति
2. सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान-SC ST OBC एवं भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यक
3. भौगोलिक पहचान ग्रामीण क्षेत्र, कस्बे व आकांक्षी जिलों के विद्यार्थी।
4. सामाजिक आर्थिक स्थिति – प्रवासी समुदाय, निम्न आय वर्ग असहाय, अनाथ बच्चे, बाल एवं मानव तस्करी का शिकार, शहरी गरीब।

स्कूलों में आज भी कक्षा 1 से 12 तक लगातार नामांकन घट रहा है नामांकन में यह गिरावट सामाजिक आर्थिक स्थिति से वंचित समूहों में आई है। NEP 2020 का लक्ष्य यह है सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्ति या सीखने और उत्कृष्ट प्राप्त करने की किसी भी अवसर से वंचित नहीं रह जाए। NEP 2020 के अध्याय तीन चार के अनुसार बालिका छात्रावासों तक सुरक्षित एवं व्यवहारिक पहुंच एवं छात्रों को कक्षा से जोड़े रखना महत्वपूर्ण कार्य होगा, इसमें विशेष कर यह व्यवस्था लड़कियों एवं सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित रहे विद्यार्थियों के लिए की गई है। और विशेष रूप से ट्रांसजेंडर वर्ग को इसमें सम्मिलित किया गया है जिस समाज में बहुत ही निम्न स्थान प्राप्त है समाज की अवहेलनाओं के कारण यह वर्ग शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है जिसे समाज में कोई भी सम्मान का स्थान प्राप्त नहीं है। इनके लिए भी 2020 की शिक्षा नीति में विशेष व्यवस्था की गई है। NEP 2020 के पैरा 6.2 के अनुसार अनुसूचित जातियों के बीच नामांकन और प्रतिधारण की दरों पर, गुणवत्तापूर्ण स्कूलों तक पहुंच पाने में कमी, गरीबी गरीबी सामाजिक रीति रिवाज और प्रथाओ, भाषा सहित अनेक विभिन्न कारकों का प्रभाव पड़ा है अत इसके प्रमुख लक्ष्यों में से एक अनुसूचित जातियों के बच्चों की पहुंच भागीदारी और अधिगम परिणाम में इन अंतरालों को पूरा करना है। साथ ही अल्पसंख्यक समुदायों और विशेष रूप से उन्हें समुदायों के

बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप के महत्व को स्वीकार किया गया है जिसका शैक्षिक रूप से प्रतिनिधित्व कम है। स्कूली शिक्षा में सामाजिक श्रेणी के अंतराल को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं जिसमें जेंडर समावेशी कोष (पैरा 6.8) की स्थापना की गई है इसमें बालक बालिकाओं को सामाजिक मापदंडों और घरेलू कार्य तक ले जाना है लड़कियों की शिक्षा के रास्ते में समस्याओं की पहचान करनी है। जेंडर समावेशी कोष राज्यों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे उनको ऐसी नीतियां योजनाओं कार्यक्रमों आदि को लागू करने में सहायता मिलेगी जिसमें महिलाओं को विद्यालय परिसर में अधिक सुरक्षा पूर्ण व स्वस्थ वातावरण मिल सके जैसे परिसर में महिला शौचायलयों की स्थापना करना, स्वच्छता एवं सेनेटरी से संबंधित अन्य सुविधाएं प्रदान करना, स्कूल आने जाने के लिए साइकिल देना, फीस न भर पाने की स्थिति में अभिभावकों को सशर्त नगद हस्तानांतरण करना ताकि वे गरीबों के कारण स्कूल छोड़ने पर मजबूर ना हो सके। इससे महिलाओं का नामांकन बढ़ेगा। ऐसे स्थान जहां छात्रों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है वहां जवाहर नवोदय विद्यालय के स्तर की तर्ज पर निशुल्क छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा, विशेष कर सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि वाले बालकों के लिए।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की ओर अधिक मजबूत एवं विस्तृत किया जाएगा जो की बालिका शिक्षा के लिए भारत सरकार की पहले से ही महत्वपूर्ण योजना है। भारत के हर कोने में उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा के अवसरों के लिए अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालय व केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे, केंद्रीय विद्यालयों में वह देश के अन्य प्राथमिक विद्यालयों में विशेष कर वंचित क्षेत्र में प्री स्कूल वर्ग को जोड़ा जाएगा।

नई शिक्षा नीति 2020 में दिव्यांग बच्चों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना प्राथमिकता के रूप में लिया गया है । दिव्यांग बच्चों को प्राथमिक स्तर से उच्चतर स्तर तक की शिक्षण प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सक्षम बनाया जाएगा यह नीति दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के सभी प्रावधानों के साथ पूरी तरह से सुसंगत होगी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार करते समय एनसीईआरटी द्वारा दिव्यांगजन विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों से भी परामर्श लिया जाएगा दिव्यांग बच्चों के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए विद्यालय व विद्यालय परिसरों की वित्तीय मदद के प्रावधान किए जाएंगे तथा वहां विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी गंभीर एवं एक से अधिक क्षमता वाले बच्चों के लिए संसाधन केंद्र खोले जाएंगे कक्षा कक्ष में उनकी पूर्ण सहभागिता में समावेशन सुनिश्चित करने के लिए सहायक उपकरण, उपयुक्त तकनीक आधारित उपकरण, भाषा उपयुक्त शिक्षण सामग्री ब्रेल लिपि में सुलभ पुस्तक बड़े प्रिंट वाली पुस्तक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई जाएगी इसके अतिरिक्त दिव्यांग बच्चों के लिए गृह आधारित शिक्षा भी एक विकल्प होगा। गृह आधारित शिक्षा के तहत शिक्षा ले रहे बच्चों को सामान्य शिक्षा ले रहे बच्चों के समतुल्य माना जाएगा और इसकी प्रभावशीलता व क्षमता की जांच हेतु क्षमता व अवसर की समानता के सिद्धांत पर आधारित ऑडिट कराया जाएगा। प्रत्येक बच्चे की क्षमता का लाभ उठाने के लिए पाठ्यक्रम को प्रत्येक के लिए सक्षम वाला लचीला बनाना तथा उपर्युक्त आकलन एवं प्रमाण के लिए इकोसिस्टम बनाना प्रमुख लक्ष्य है। नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख के नाम से स्थापित किया गया है पारंपरिक एवं धार्मिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को एनटीए के द्वारा राज्य या अन्य बोर्ड परीक्षाओं और मूल्यांकन के लिए उपस्थित होने के लिए प्रेरित किया जाएगा । स्कूल शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों के तहत सभी सामाजिक एवं आर्थिक रूप में वंचित श्रेणी के प्रतिभाशाली व मैदावी छात्रों के लिए बड़े पैमाने पर समर्पित क्षेत्र में विशेष छात्रावास ब्रिज पाठ्यक्रम और फीस माफ करने के तथा

छात्रवृत्ति के माध्यम से वित्तीय सहायता विशेष कर माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जाएगी जिससे उच्च शिक्षा में उनका प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में राज्य सरकारों को जनजाति बहुल प्रदेशों सहित अपने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एनसीसी विंग खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति अवसर और योजनाओं से प्रतिभाग करने की दृष्टि से सिंगल विंडो प्रणाली स्थापित की जाएगी।

3. **उच्चतर शिक्षा में समावेशी एवं समता मूलक शिक्षा–** इसी प्रकार नई शिक्षा नीति 2020 उच्चतर शिक्षा में समावेशी एवं समता मूलक शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कुछ नीतिगत पहलू अपने जाएंगे जैसे सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए समुचित निधि एवं स्पष्ट लक्ष्य को निर्धारण, उच्च शिक्षा में जेंडर संतुलन को बढ़ावा देना, विकास उन्मुख जिलों में उच्चतर शिक्षा संस्थानों का निर्माण, स्थानीय भारतीय भाषाओं में शिक्षण।

4. **स्थानीय भारतीय भाषाओं में शिक्षण–** स्थानीय भारतीय भाषाओं में शिक्षण छात्रवृत्ति के अवसर, 72 भागीदारी एवं सीखने के परिणाम के लिए प्रौद्योगिकी का निर्माण एवं विकास उच्च स्तर शिक्षा में उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा भी शिक्षा को समावेशी एवं समता मूलक बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे जैसे उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों को रोजगार परक बनाना, छात्रवृत्ति के अवसर उपलब्ध कराना, प्रवेश प्रक्रिया व पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाना, वंचित वर्ग के लिए ब्रिज पाठ्यक्रमों की शुरुआत, छात्रों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, भेदभाव एवं उत्पीड़न के खिलाफ नियमों को शक्ति से लागू करना, संस्थागत विकास योजनाओं का निर्माण, भाषाई डिग्री पाठ्यक्रम विकसित करना, दिव्यांग जनों के लिए सुविधा उपलब्ध कराना, सलाह एवं परामर्श कार्यक्रमों का आयोजन करना।

- **निष्कर्ष–** हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे की नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा ऐसे लक्ष्यों के साथ आती है जिससे भारत देश के किसी भी बालक के सीखने और आगे बढ़ाने के अवसरों में उसके जन्म या उसकी पृष्ठभूमि से संबंधित परिस्थितियों बाधक न हो इस प्रकार 2020 की शिक्षा नीति हमारे देश में आने वाले शैक्षिक भविष्य के लिए सुधारात्मक एवं विकासात्मक नीति सिद्ध होगी।

- **संदर्भ ग्रंथ सूची**

1. नई शिक्षा नीति 2020 की रूपरेखा, अनुच्छेद 6 व 14
2. मिश्रा, मृत्युंजय, समावेशी विद्यालय का निर्माण अरिहंत शिक्षा प्रकाशन जयपुर
3. पांडे एसपी और मंसूरी, इम्तियाज (2019) creating an inclusive school, R. Lal Book depot Meerut.

- **Website**

1. Www.education.gov.inNEP2020MHRD
2. www.ncert.nic.in
3. http://rehabcouncil.nic.in

मोहम्म्द शाहिद

रिसर्च स्कॉलर

गीताजंली बी एड़ कॉलेज–बोरावड़
Email: gasawat786@gmail.com

वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में शिक्षा का सार्वभौमीकरण एक सर्वमान्य लक्ष्य है। सभी के लिए शिक्षा (**Education for All initiative**) संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक है। दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा इस लक्ष्य का एक प्रमुख आयाम है (यूनेस्को,2005) । इस लक्ष्य की प्राप्ति का एक प्रमुख एवं सशक्त साधन समावेशी शिक्षा है। सतत विकास का एजेंडा–2030 भी सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण और आजीवन सीक्षने के लिए समावेशी शिक्षा पर बल देता है। इसके लिए इस नीति में पूर्व विद्यालयी स्तर से ही दिव्यांग बच्चों का समावेशन करने तथा उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने की अनुसंशा की गई है।

समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा

मोहम्म्द युनुस

रिसर्च स्कॉलर

गीताजंली बी एड कॉलेज–बोरावड़

Email: yunusemakrana@gmail.com

समावेशी शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर किसी भी विमर्श में दिव्यांग बच्चों को आवश्यक रूप से शामिल किया जाना चाहिए। भारत की जनगणना 2011 में उल्लिखित है कि भारत में 6–17 आयु वर्ग के 4.9 मिलियन दिव्यांगों का समूह निवास करता है। किंतु उनमें से केवल 67 प्रतिशत ही किसी शैक्षणिक संस्थानों में भाग लेते है। शेष तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित नहीं हो सकी है। जबकि,इस आयु वर्ग के लिए संस्थागत उपस्थिति का अखिल भारतीय औसत 80 प्रतिशत है। भारत में संस्थागत शिक्षा में प्रवेश के क्रम में दिव्यांगों की नामांकन संख्या भी तुलनात्मक रूप से तेजी से घटती जा रही है। दिव्यांगता को स्पष्ट रू‍ से दिव्यांगता अधिकार अधिनियम,2016,(प्रेस सूचना ब्यूरों भारत सरकार एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) में 21 प्रकार के दिव्यांगताओं को स्थान दिया गया है।

मोहम्मद नदीम खिलजी

रिसर्च स्कॉलर

गीताजंली बी. एड कॉलेज–बोरावड़

E mail:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा को सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का एक सशक्त साधन मानते हुए सभी के लिए गणुवत्तापूर्णू शिक्षा का लक्ष्य परिकल्पित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में समतामूलक और समावेशी शिक्षा को अनिवार्य कदम माना गया हैं नीति सभी के 'स्व' को महत्व देते हुए देश के प्रत्येक नागरिक को सपने सँजोने,विकास करने और र और राष्ट्रहित में योगदान करने का अवसर उपलब्ध कराना चाहती है। इसके लिए नीति में सामान्य शिक्षा में गणु वत्ता लाने के साथ–साथ दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ज़ोर दिया गया है। यह नीति दिव्यांग बच्चों या दिव्यांग बच्चों को किसी भी अन्य बच्चों के समान गणु वत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए सक्षम तंत्र बनाने पर ज़ोर देती है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समावेशी शिक्षा

बबिता जांगिड

छात्राध्यापिका

गीताजंली बी. एड. कॉलेज- बोरावड

Email: Jangirbabita181202@gmail.com

शोध सार :- शिक्षा द्वारा एक ओर जहां समाज एवं मानव की आकांक्षा की पूर्ति कीजाती है वहीं दूसरी ओर शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास भी सम्भव होताहै। प्राचीन समय से आधुनिक समय की शिक्षा की तुलना की जाये तो पहले शिक्षाका स्वरूप सीमित था क्योंकि आज के समान पहले विद्यालय नहीं थे परन्तु जैसेजैसे मनुष्य भौतिकवाद और वैज्ञानिक - प्रगति की ओर अग्रसर हुआ उसे शिक्षा कीएक व्यवस्थितपद्धति का अनुभव हुआ। अपने इसी प्रयोजन हेतु हमने विद्यालयोंकी अवधारणा का विकास किया जिससे शिक्षा को व्यवस्थित रूप दिया जा सके।आज शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा आपस में घनिष्ठ रूप से गँथे हुए हैं। विद्यालयीशिक्षा मानवीय शिक्षा की घोतक है क्योंकि विद्यालयों में वही शिक्षा प्रदान कीजाती है जो मानवीय मूल्यों पर आधारित है। मानवीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मेंविद्यालयीन शिक्षा सम्बन्धित है।

मुख्यशब्द:- भारतीय संविधान, कोठारी शिक्षा आयोग (1964-66), राष्ट्रीय शिक्षा नीति -1968, एकीकृत शिक्षा-1974, राष्ट्रीय शिक्षा नीति,1986, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड(PIED-1987), कार्य योजना,भारतीय पुनर्वास परिषद

समावेशी शिक्षा :-

समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों की साथ एक ही कक्ष कक्ष में शिक्षा देना ताकि सामान्य और विशिष्ट आवश्यकता वाले बाल को में कोई भेदभाव ना रहे

भारत में समावेशी शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यः-

स्वतंत्रता से पहले-

- भारत में विशिष्ट बच्चों के लिए शिक्षा का विकास 1880 के दशक में हुआ था
- बधिरो के लिए पहला स्कूल 1883 में मुंबई में स्थापित किया गया
- नेत्रहीनों लिए पहला स्कूल में 1887 पंजाब में स्थापित किया गया

आजादी के बाद:-

❖ **भारतीय संविधान**

- भारतीय संविधान द्वारा स्पष्ट रुप से स्थिति और अवसर कि समानता का अधिकार सभी भारतीयों को मिला
- अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया

❖ कोठारी शिक्षा आयोग (1964-66)

- शैक्षिक स्तरों की समानता निश्चित करने के लिए विकलांग लोगों के लिए एक प्रभावी शिक्षक कार्यक्रम के विकास की आवश्यकता पर बल दिया गया

❖ राष्ट्रीय शिक्षा नीति ,1968(National Education Policy,1968)

- कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिश पर भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 लाई गई
- NEP-1968 ने कहा कि "शारीरिक और मानसिक रुप से विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए और विकलांग बच्चों को मुख्यधारा के स्कूलों में पढ़ने के लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए"

❖ विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा,1974(Integrated Education For Disabled Children,1974, IEDC)

- सरकार ने दिसंबर,1974 में IEDC योजना शुरु की
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना थी जिसका उद्देश्य मैं स्कूल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करना और उनकी उपलब्धि और प्रति धारण को सुविधाजनक बनाना था
- यह योजना किताबे स्टेशनरी वर्दी और परिवहन पाठक अनुरक्षण आदि के लिए भत्ते के रूप में सुविधाएं प्रदान करती थी
- यह CWSN कों शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करने के महत्व पर जागरुकता पैदा करने में सफल रहा

❖ राष्ट्रीय शिक्षा नीति,1986(National Education Policy,1986)

- समावेशी शिक्षा पर बल देते हुए NEP-1986 में कहा गया कि कम विकलांग बच्चों को नियमित विद्यालय में शिक्षक की अनुमति दी जानी चाहिए जबकि मध्यम से गंभीर विकलांग बच्चों को विशेष विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना जारी रखना चाहिए

❖ प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड(PIED-1987)

- 1986 में विकलांग बच्चों के नामांकन के लिए आज पड़ोस के विद्यालय को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोजेक्ट इंट्रेस्टेड एजुकेशनफॉर द डिसेबल्ड का आयोजन किया गया
- यह NCERT औरUNICEF के साथ शिक्षा मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास था

❖ कार्य योजना 1992(Program Of Action,1992)

- वर्ष 1992 में कार्यक्रम की कार्यवाही में कहां गया कि वे विकलांग बच्चे जिन्हें नियमित स्कूल में एकीकृत किया जा सकता है उन्हें वहां शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और जिन बच्चों को नियमित स्कूल में एकीकृत करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है उन्हें विशेष विद्यालय में भेजना होगा

❖ भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992(Rehabilitation Council Of India Act,1992)

- RCI अधिनियम 1992 द्वारा संसद द्वारा 1992 में पारित किया गया
- प्रत्येक विकलांग बच्चे को योग्य शिष्य द्वारा पढ़ने का अधिकार है
- प्रत्येक विशेष शिक्षक के लिए परिषद द्वारा पंजीकृत होना अनिवार्य है
- उन शिक्षकों के लिए दंड का प्रावधान किया जो बिना लाइसेंस के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने लगे थे
- यह अधिनियम पुनर्वास पेशेवरों के प्रशिक्षण को विनियमित करने के लिए लागू किया गया था

❖ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम,1994(District Primary Education Program,DPEP)

- यह कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा आयोजित था जिसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक करण का लक्ष्य पूरा करना था
- विकलांग बच्चों सहित सभी बच्चों को रात में शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना
- लड़कियों सामाजिक रुप से पिछड़े समुदाय और विकलांग बच्चों जैसे वंचित समूह के लिए पहुंच को सुगम बनाना
- शिक्षकों के प्रशिक्षण शिक्षण सामग्री में सुधार और ढांचा गत सामग्री के उन्नयन के माध्यम से शिक्षा की प्रभाव शीलता में सुधार करना

- **विकलांग व्यक्ति अधिनियम,1995 (Person With Disability Act, PWD-Act)**
- यह अधिनियम विकलांगों के अधिकार पर जोर देता है
- यह अधिनियम सभी बच्चों को 18 वर्ष तक की आयु तक उपयुक्त वातावरण में निशुल्क शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल देता है
- इस अधिनियम में विकलांग बच्चों के लिए परिवहन सुविधाएं वितीय प्रोत्साहन व्यवसायिक प्रशिक्षण पुस्तकों की आपूर्ति वर्दी छात्रवृत्ति परीक्षा प्रणाली में संशोधन और पाठ्यक्रम का पुनर्गठन शामिल है
- **राष्ट्रीय न्यास अधिनियम,1999(National Trust Act,1999)**
- यह न्यास ओटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी मानसिक मंद ता और बहू विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए है
- यह इतिहासिक कानून उन व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने की कोशिश करता है जो विकलांगता क्षेत्र के भीतर दूसरों की तुलना में अधिक हाशिए पर है
- **सर्व शिक्षा अभियान,2001(SSA)**
- प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक करने के लिए भारत सरकार द्वारा
- इस अभियान में सभी के लिए शिक्षा पर जोर दिया गया तथा विशेष वालों को के लिए छात्रवृत्ति की बात कही गई
- **विशेष शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम,2005 (Curriculum For Special Education,2005)**
- विशेष शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने और सामान्य शिक्षक तैयारी कार्यक्रम में शामिल करने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद(RCI) में 19 जनवरी,2005 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(NCTE) के साथ एक ऐतिहासिक सहयोग किया
- **माध्यमिक स्तर पर विकलांगों की समावेशी शिक्षा (IEDSS-2009)**
- यह माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए IEDC का सुधार था
- **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,2009(RMSA)**
- माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा
- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 (The Right To Education Act-2009)**
- **लागू** – 1 अप्रैल 2010
- RTE-2009 अनुच्छेद-21(A) के तहत शिक्षा को भारत के हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाता है
- **विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम,2016 (The Right Of Person With Disability Act-RPWD Act,2016)**
- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में 1995 के RPWD अधिनियम को प्रतिस्थापित किया
- इसमें विकलांगता के 21 रूप शामिल है
- RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जिसमें विकलांग और बिना विकलांग विद्यार्थी एक साथ सीखते हैं
- इसमें विभिन्न प्रकार के विकलांग विद्यार्थी की सीखने की जरूरत को पूरा करने के लिए शिक्षक और अधिगम की प्रणाली को उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया गया है

- RPWD अधिनियम ने 18 वर्ष की आयु तक के विकलांग बच्चों के लिए पर्याप्त स्थिति में मुफ्त शिक्षा के प्रावधान की भी पुष्टि की है
- RPWD अधिनियम ने उच्च शिक्षा के लिए सभी सरकारी संस्थानों में बेंचमार्क विकलांग लोगों के लिए 3% आरक्षण को बढ़ाकर 5% कर दिया
- RPWD अधिनियम में सूचीबद्ध 21 विकलांगताओं में से कम से कम 40% वाले किसी भी व्यक्ति को बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है

❖ **समग्र शिक्षा अभियान,2018**

- वर्ष 2018 में MHRD द्वारा समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया था
- यह स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जिसमें तीन योजनाओं सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को मिला दिया गया है

❖ **राष्ट्रीय शिक्षा नीति,2020(National Education Policy,2020)**

- कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिश के आधार पर 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी
- यह शिक्षा के सभी स्तरों को कवर करने वाली एक बहुत व्यापक नीति है
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 RPWD अधिनियम 2016 के अनुरूप है
- NEP-2020 स्कूल शिक्षा के संबंध में RPWD अधिनियम 2016 द्वारा दी गई सभी सिफारिश की पुष्टि करता है
- इस नीति में निशक्त बच्चों के लिए बुनियादी स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित स्कूल शिक्षा प्रक्रिया को सक्षम करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई
- माध्यम से गंभीर माध्यम से विकलांग बच्चों के पास नियमित या विशेष स्कूली शिक्षा का विकल्प होगा

- **Reference**

1. Advani, L. (2002). "Education: A Fundamental Right of Every Child Regardless of His/Her Special Needs". Journal of Indian Education; Special Issue on Education of Learners with Special Needs. New Delhi: NCERT.
2. Alur, M. (2002). "Special Needs Policy in India", in S. Hegarty and M. Alue (eds), Education and Children with Special Needs: From Segregation to Inclusion. New Delhi: Sage.
3. Anita, B.K. (2000). Village Caste and Education. Jaipur: Rawat Publications.
4. Applebee, A. (1998). Curriculum and Conversation: Transforming Traditions of Teaching and Learning. Reviewed by B. Day and T. Yarbrough, Journal of Curriculum Studies, 30 (3): 357 74.
5. Balasubramanian, K. (2004). The Helping Hand (A Short Story about a Disabled Child). Hyderabad: Spark India.

पृथ्वीराज माली

षोधार्थी

गीताजंली बी. एड कॉलेज–बोरावड़

Email: prithviraj.saini38@gmail.com

भोध सारः– माध्यमिक विद्यालय द्वारा वर्तमान में जारी भौक्षिक एवं कार्यक्रमों की समीक्षा–(सामान्य एवं विशिष्ट) शिक्षा की मुख्य धारा में जहाँ अक्षम एवं सामान्य बालकों को एक साथ अध्ययन कर रहे होते हैं। शिक्षा के स्तरों के अनुरूप निर्देशन व्यवस्था का क्या और कैसा स्वरूप हो, विचारणीय प्रश्न है। निर्देशन अक्षम और सामान्य दोनों के लिए आवश्यक है। एक ही तरह का निर्देशन कार्यक्रम सभी बालकों के लिए उपयोगी हो आवश्यक नहीं है। अक्षम बालकों, दृश्खिाधित, श्रवणबाधित, मन्दबुद्धि, अस्थि विकलांग अधिगम अक्षमता की अलग–अलग विशेष आवश्यकताएँ होती है, इसके साथ–साथ समाज की स्वीकृति और नियमित विद्यालयों की स्थिति, अक्षम बालकों के अभिभावकों की अपेक्षाएँ अधिक होती है कि निर्देशन कार्यक्रम विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए उपयोगी एवं अनुकूल हों।

बीज भाब्दः– समावेशी शिक्षा, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, माध्यमिक विद्यालय, विशिष्ट बालक, माध्यमिक स्तर रमसा, निर्देशन–परामर्श।

पृथ्वीराज माली
षोधार्थी
गीताजंली बी. एड कॉलेज–बोरावड़
Email: prithviraj.saini38@gmail.com

समावेशी शिक्षाः–Inclusive word 'Include'से बना है इसका भााब्दिक अर्थ है–'Being a Part of something' (किसी चीज का अंक/अग होना), Being embraced into the whole (सम्पूर्ण में समाविश्ट होना)।

समावेशन का अर्थ–मुख्यधारा (Mainstream) के विद्यालयों में विशिष्ट आवश्यकताओं के बच्चों का अपने सहपाठियों के साथ शिक्षा ग्रहण करना।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) के अनुसार, 'समावेशी शिक्षा' का अर्थ है कि सभी सीखने वाले हों अथवा युवा, चाहे अशक्त हो अथवा नहीं, सामान्य विद्यालय, पुर्व व्यवस्था विद्यालयों एवं सामुदायिक शिक्षा केन्द्रों में उपयुक्त सहयोगी सेवाओं के साथ आपस में (मिलकर) मिलजुलकर सीखने में समर्थ हो।

समाज को सामान्य तथा अ ाक्त बालकों में विभेदन उनकी प्रारम्भिक अवस्था से ही किया जाता है यहाँ तक कि माता–पिता के व्यवहार में भी भिन्नता होती है। इन दो बच्चों के प्रति (सामान्य बच्चे व विशेष बच्चे) उनकी अपेक्षाओं में अन्तर किया जाता है। एक तो आशावादी तथा दूसरे को उदासीन दृष्टिकोण से देखा जाता है।

अशक्त बच्चों के लिये दया, करूणा तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाता है। इसलिए ऐसे बालक शुरू से ही दीनहीन तथा कृपादृष्टि के पात्र बनते चले गये। यही कारण है कि ऐसे बालक सामान्य विद्यार्थियों के समान सामान्य विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। इसलिए ''समावेशी शिक्षा अपने मूलभूत रूप में एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है जिसका अर्थ है–किसी चीज का अंग होना, सम्पूर्ण में समाविश्ट होना।''

अशक्त बालकों की शिक्षा के लिये किए गए विशिष्ट प्रावधानों एवं विशिष्ट विद्यालयों से उतना लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, जितना अपेक्षित था क्योंकि ये बालक प्रारम्भ से ही पिछड़े रहे। इस लिए समावेशी शिक्षा में उन अशक्त बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उन्हें शिक्षा देने का एक अनोखा प्रयास है, जिसमें सामान्य बालक भी सम्मिलित है।

समावेशी शिक्षा केवल अशक्त बालकों के लिए नहीं है। यह सत्य है कि अशक्त बालक किसी न किसी रूप में भाारीरिक या मानसिक रूप से पिछड़े हुए हैं और इनका भौक्षिक अलगाव भी स्पश्ट रूप से देखा जा सकता है। इसी रूप में समावेशी शिक्षा ने मुख्य कार्य किया और इन अशक्त बालकों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का बीड़ा उठाया।

माध्यमिक विद्यालय द्वारा वर्तमान में जारी भौक्षिक एवं कार्यक्रमों की समीक्षा– (सामान्य एंव विशिष्ट) शिक्षा की मुख्य धारा में जहाँ अक्षम एवं सामान्य बालकों को एक साथ अध्ययन कर रहे होते हैं। शिक्षा के स्तरों के अनुरूप निर्देशन व्यवस्था का क्या और कैसा स्वरूप हो, विचारणीय प्रश्न है। निर्देशन अक्षम और सामान्य दोनों के लिए आवश्यक है। एक ही तरह का निर्देशन कार्यक्रम सभी बालकों के लिए उपयोगी हो आव यक नहीं है। अक्षम बालकों, दृश्टिबाधित, श्रवणबाधित, मन्दबुद्धि अस्थि विकलांग अधिगम अक्षमता की अलग–अलग विशेष आवश्यकताएँ होती है, इसके साथ–साथ समाज की स्वीकृति और नियमित विद्यालयों की स्थिति, अक्षम बालकों के अभिभावकों की अपेक्षाएँ अधिक होती है कि निर्देशन कार्यक्रम विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए उपयोगी एवं अनुकूल हों। इसके ठीक विपरीत सामान्य बालक/बालिकाएँ की आवश्यकताएं अपेक्षाए भौक्षिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत, व्यावसायिक हेतु निर्देशन की व्यवस्था भी प्रभावशाली सार्थक होनी चाहिए क्योंकि अक्षम एवं सामान्य बालक दोनों की विद्यालय समान है। विशेष विद्यालयों की निर्देशन व्यवस्था के तहत बालकों हेतु प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य भी निर्धारित किये गये है–

1. अक्षम बालक का अवलोकन। निरीक्षण करना कि अक्षमता की स्थिति क्या है। उसकी व्यक्तिगत, आवश्यकताओं, गुणों, समस्याओं का पता करना।
2. निरीक्षण के आधार पर तथ्यों को संचयी आलेख अनुसूची में चिह्नित करना।
3. निर्देशन कार्य में अन्य अध्याय का सहयोग प्राप्त करना।
4. सक्षम अधिकारियों से विचार–विमर्श कर निष्कर्ष निकालना।
5. अक्षम बालक के कक्षा और कक्ष के बाहर समायोजन में सहायता करना।

माध्यमिक स्तर पर निर्देशन व्यवस्था के सन्दर्भ में कार्यक्रम सुव्यवस्थित एवं संगठित होता है। इन विद्यालयों में निर्देशन कार्य हेतु निर्देशन समिति होती है। जो विद्यालय में प्रधानाचार्य, अध्यापकों की सहायता करते है।

माध्यमिक स्तर पर यद्यपि विद्यालयों में अक्षम एवं सामान्य बालकों को एक साथ अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है।

नियमित विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर निर्देशन व्यवस्था हेतु श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग 1952–53 के द्वारा स्वीकृति दी गई थी कि विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को निर्देशन की आव यकता होती है।

आज की बदलती परिस्थितियों और वैश्वीकरण समय में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पधात्मक बालक/बालिकाओं/युवा पीढ़ी को एक मोड़ पर खड़ी कर देती है कि शिक्षा प्राप्त कर किस व्यवसायिक विषय का चयन करे स्वयं में किन कौशलों/दक्षताओं का विकास करे अतः विद्यालय के प्रधानाचार्य के निर्देशन कार्यक्रम के प्रति उत्तरदायित्व इस प्रकार हैं–

1. निर्देशन परामर्श सेवाओं के लिए संसाधन सम्पन्न उत्तम कक्ष होना चाहिए।
2. निर्देशन समीति का गठन किया जा निर्देशन सम्बन्धी व्यवस्थाओं का संचालन अच्छी प्रकार से कर सके।
3. निर्देशन सम्बन्धी क्रियाओं का अवलोकन विधान विमर्श करना कि कौन सी क्रिया अक्षम या सामान्य बालकों के लिए हित कर होगी।
4. विद्यालयी अध्यापकों को भी निर्देशन परामर्श के उद्देश्य महत्व समस्याओं आदि हेतु समझने के साथ सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित करना।
5. निर्देशन कार्य हेतु उपयुक्त समय देकर व्यवस्था का आंकलन करना।
6. राश्ट्रीय/राज्य स्तर पर आयोजित निर्देशन सम्बन्धी कार्यक्रमों में निर्देशन कर्ता तथा अध्यापकों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए।
7. नियमित विद्यालयों के कार्यों के साथ ही प्रधानाचार्य को निर्देशन परामर्श सेवाओं की क्रियाओं/गतिविधियों का अवलोकन भी करना चाहिए तथा इनमें प्राप्त सुझाओं के अनुरूप पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों में संसोधन हेतु तैयार करना चाहिए।

- **सन्दर्भ सूची–**

11. Jangira, N.K., Ahuja,A., Sharma, I. (1992), Education of Children With Seeing Problem Focus on Remaining Sight, Central Resource Centre (PIE), New Delhi, NCERT
12. Jha, M.M. (2002), School without Walls: Inclusive Education for all. Oxford. Heirimann.
13. शंकर, प्रेम (2009) विशिष्ट बालक, लखनऊ आलोक प्रकाशन।
14. Bhargava, M.(1998). विशिष्ट बालकः उनकी शिक्षा एवं पुनर्वास, New Delhi : Sterling Publishers Pvt. Ltd.
15. Smith, T.E.C., Pollway, E.A., Patton, J.R & Dowdy, C.A. (2011). Teaching students with disabilities special needs in inclusive needs in inclusive settings. New Delhi: PHI Learning Private Limited.
16. Hallahan, D.P. and Kauffman, J.M.(2007), Exceptional Learners: Introduction to special Education (10th Edition) Allyn and Bacon, MA
17. The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India.
18. Kumar S. and Kumar, K. (2007), Inclusive Education In India: Electronic Journal for Inclusive Education, Vol. 2, No. 2 [200], Art. 7

- **Website**

3. http://corescholar.libraries.wright.edu/ejie
4. http://medsped.soe.umd.umich.edu/belinda/modelsof.htm

सुनिता सैनी

छात्राध्यापिका

गीताजंली बी.एड.कॉलेज–बोरावड़

Email: sunitasain5612@gmail.com

समावेशी शिक्षा की आवश्यकताः— विशेष बालक अपने आपकों दुसरे बालकों की अपेक्षा कमजोर तथा हीन समझते है, जिसके कारण उनके साथ पृथकता से व्यवहार किया जाता है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में विकलांगो को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने केअवसर प्रदान किए जाते है। जिससे प्रत्येक बालक यह सोचता है कि वह किसी भी प्रकार किसी अन्य बच्चे से कमजो नहीं है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा पद्धति बालकों की सामान्य मानसिक प्रगति को अग्रसर करती है।

विशिष्ट बालकः— विशेष बालक से तात्पर्य ऐसे बालकों से है जो सामान्य बाल कों की अपेक्षा भाारीरिक मानसिक भौक्षिक अथवा सामाजिक दृश्टि से पर्याप्त भिन्नता रखते है। अर्थात ऐसे बालक जो सामान्य बालकों की अपेक्षा या तो बहुत उच्चकोटि के होते हैं या फिर बहुत निम्न कोटि के होते है, विशिष्ट बालक कहलाते हैं।

श्रीमती राजकुमारी भार्मा के अनुसारः— विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक वह हैं जो अंतः व्यक्तिगत भिन्नता रखते हुए अन्य सामान बालकों से अंतः व्यक्तिगत भिन्नता रखता है।

क्रिक महोदय के अनुसारः— विशिष्ट बालक मानसिक, भाारीरिक तथा सामाजिक गुणों में सामान्य बालकों से भिन्न होता है। उसकी भिन्नता कुछ ऐसी सीमा तक होती है। कि उसे स्कूल के सामान्य कार्यों तथा विशिष्ट सेवाओं में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों के लिए कुछ अतिरिक्त अनुदेशन भी चाहिए ऐसी दशा में उनकी सामर्थ्य का सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक विकास हो जाता है।

विशिष्ट बालकों के प्रकारः—

(क) बौद्धिक दृश्टि से विशिष्ट बालक

1. प्रतिभाशाली बालक 2. मंदबुद्धि बालक

(ब) भौक्षिक दृश्टि से विशिष्ट बालक

1. तीव्र बालक 2. पिछड़ा बालक

(स) शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक

1. श्रवण बाधित बालक
2. कम सुनने वाले बालक
3. अंधे बालक/दृष्टिबाधित बालक
4. दृष्टि दोश से युक्त बालक
5. दिव्यांग बालक

(द) समस्यात्मक दृष्टि से विशिष्ट बालक

1. सामाजिक दृष्टि से कुसमायोजित बाल
2. संवेगात्मक असंतुलित बालक

विकलांग बालकों में कुछ सामाजिक गुण बहुत संगत होते हैं। जब वे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वे सामाजिक गुणों को अन्य बालकों के साथ ग्रहण करते हैं। उनमें सामाजिक, नैतिक गुणों प्रेम, सहानूभूति आपसी सहयोग, आदि गुणों का विकास होता है। निःसंदेह विशिष्ट शिक्षा अधिक महंगी एवं खर्चीली है इसके अलावा विशिष्ट अध्यापक एवं शिक्षाविदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी अधिक समय लेते हैं जबकि दुसरी तरफ समावेशी शिक्षा कम खर्चीली तथा लाभदायक है। विशिष्ट शिक्षा संस्था को बनाने तथा शिक्षण कार्य को प्रारंभ करने के लिए अन्य बड़े स्त्रोतों से भी सहयता लेनी पड़ती है। जैसे– प्रशिक्षित अध्यापक, विशेषज्ञ, चिकित्सक आदि। विकलांग बालक की सामान्य कक्षा में शिक्षा पर कम खर्च आता हैं।

विशेष बालकों के लिये यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन 1990

UNICEF World Summit for children 1990

संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रीय बाल आकस्मिक कोष द्वारा दिनांक 29 एवं 30 दिसम्बर 1990 को न्यूयार्क में सम्मेलन आयोजित किया गया । इसमें वैश्विक स्तर पर बालकों से सम्बंधित सभी प्रकार के अधिकारों की सुरक्षा एवं विकास आदि पर चर्चा हुई । इस चर्चा के आधार पर ही विश्व घोषण पत्र तैयार हुआ । इसके बाद कार्य योजना तैयार की गई । इस प्रकार यह कार्य तीन भागों में सम्पन्न हुआ । प्रथम आम यूनिसेफ शिखर सम्मेलन 1990 की प्रमुख अनुषंशाएं निम्न हैं -

1. स्वास्थ्य सम्बन्धी सुझाव (Health Related Recommendation)
2. उत्तर जीविता (Surrial)
3. स्त्री स्वास्थ्य (Women Health)
4. पोषण (Nutrition)
5. शिक्षा (Education)
6. संरक्षण (Protection)

1. स्वास्थ्य सम्बन्धी सुझाव :- यूनिसेफ द्वारा विश्व में पोलियो को मिटाने का संकल्प लिया गया जिससे कि सभी बालकों को विकलांगता से मुक्ति दिलाई जा सके । टिटनेस के कारण अनेक बच्चों की मृत्यु हो जाती थी तथा उसमें अनेक प्रकार की अक्षमता उत्पन्न हो जाती थी । डायरिया में होने वाली मृत्यु भी बालकों के लिये सबसे बड़ा खतरा मानी जाती थी । इसलिये इसमें होने वाली मृत्यु दर को रोकने का प्रस्ताव पारित किया गया तथा इसे रोकने के उपायों पर चर्चा हुई ।

2. उत्तर जीविता :- जन्म के बाद अनेक बालकों को उनमें अनुरूप भोजन व्यवस्था नहीं मिल पाती जिससे वे असुरक्षा एवं कुपोषण का शिकार हो जाते हैं । बालकों की जन्म के बाद ही मृत्यु हो जाती है जिसके अनेक कारण होते हैं । उन सभी कारणों को जानकर उनमें उन्मूलन का प्रयास करना चाहिये । बालकों के श्वसन संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं जन्म के बाद उत्पन्न हो जाती है । इसलिये बालकों की इस समस्या को गम्भीरता से लिये जाये ।

3. स्त्री स्वास्थ्य :- सभी गर्भवती स्त्रियों के लिये पौष्टिक आहार एवं उचित आयरन की खुराक आदि की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे गर्भ में पल रहे शिशु के लिये पूर्ण भोजन प्राप्त हो । गर्भवती स्त्रियों को 4 से 6 महीने तक अपने बालकों को स्तनपान कराना सुनिश्चित किया जाये जिससे बालक को पूर्ण भोजन जन्म के बाद प्राप्त हो सके तथा उसका विकास संतुलित रूप से हो सके । कुछ स्त्रियों की मातृत्व के समय मृत्यु हो जाती है । ये मृत्यु प्रसव के समय या गर्भावस्था के समय भी संभव होती है । इन दोनों प्रकार की मृत्यु दर पर नियंत्रण करने पर भी विचार किया गया ।

4. पोषण :- सर्वप्रथम बालकों में व्याप्त कुपोषण को रोकने का लक्ष्य रखा गया । कुपोषण के कारणों को ज्ञात करके उनका उन्मूलन किया जाये जिससे कोई भी बालक भविष्य में कुपोषण से ग्रसित ना हो । इसके साथ जो बालक कुपोषित हैं उनका उपचार किया जाये । बालकों के पीने के लिये स्वच्छ जल की व्यवस्था की जाये । ग्रामीण क्षेत्रों में बालक एवं बालिकाओं को घर परिवार एवं विद्यालय में स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पाता । इसलिये उन सभी उपायों पा चर्चा की जाये जिससे स्वच्छ जल की उपलब्धता हो सके ।

3. शिक्षा :- सर्वप्रथम अभिभावकों को परिवार नियोजन की शिक्षा प्रदान की जाये जिससे जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके । प्रत्येक अभिभावक को परिवार नियोजन के उपायों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिये जिससे छोटा परिवार सुखी परिवार की अवधारणा विकसित हो सके । उच्च जीवन स्तर संबंधी सभी प्रकार की जानकारी अभिभावक एवं बालकों को होनी चाहिये जिससे अभिभावक अपने बालकों को उच्च जीवन प्रदान कर सकें तथा स्वयं बालक की उच्च जीवन स्तर की अवधारणा को समझते हुये इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर सके । बालकों के हित में सम्पन्न की जाने वाली सामुदायिक सेवाओं का भी विस्तार होना चाहिये जिससे छात्रों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गुणों का विकास सरल एवं स्वाभाविक रूप में हो सके ।

4. संरक्षण :- यूनिसेफ के शिखर सम्मेलन में यह निश्चित किया गया कि बालकों की सुरक्षा एवं निरीक्षण उन सभी परिस्थितियों में किया जाना चाहिये जिनमें कि उनको हानि पहुंच सकती है । दूसरे शब्दों में बालकों के विकास एवं वृद्धि में जो भी परिस्थितियां हानिकारक है या बाधा उत्पन्न करती है उनको दूर करना चाहिये, जैसे बालकों से फैक्ट्री या कारखानों में कार्य कराया जाता है तो उसकी सूचना पुलिस को देकर संरक्षण करना चाहिये । इस प्रकार की अनेक परिस्थितियों में बालकों की सुरक्षा निश्चित करनी चाहिये जिससे विश्व के सभी बालक सुरक्षित रह सके ।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यूनिसेफ विश्व शिखर सम्मेलन द्वारा बालकों की सुरक्षा एवं विकास से संबंधित उन सभी पक्षों के लिये लक्ष्य एवं सुझाव निर्धारित किये हैं जो कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बाल विकास एवं बाल संरक्षण को प्रभावित करते हैं, इस सम्मेलन में मातृत्व पक्ष को भी सम्मिलित किया है क्योंकि माँ का संरक्षण एवं विकास भी बालकों के संरक्षण एवं विकास से घनिष्ठ रूप से संबंधित है ।

डॉ.सी.एस.भाटी
प्रार्चाय गीतांजली बी.एड.कॉलेज,बोरावड़।

कारकों के निवारण में शिक्षकों की भूमिका का अध्ययन

शोध सार :- 21 वीं शताब्दी में भारत में दिव्यांग जनों की शिक्षा में विकास हेतु सरकार द्वारा कर नीतियां का निर्माण किया गया, जिसमें शिक्षा का मौलिक अधिकार सर्व शिक्षा अभियान अध्याह्र भोजन योजना,मोडल स्कूल, सभी पढ़े सभी बढ़े का नारा सच हो सकें।

मुख्य शब्द :- समावेशी शिक्षा, शिक्षक, कारक निवारण।

- 21 वीं शताब्दी में मानवता प्रेम,सहयोग,बन्धुत्व की भावना के साथ-साथ, सकरात्मक नकारात्मक मनोदशा साथ-साथ चलती है। आज का युग निजीकरण,वैश्वीकरण,उदारीकरण आधारित है। मानव का चुर्तान्दरवी व्यक्तित्व विकास में शिक्षा ही वहीं साधन है,जो व्यक्ति के अन्तर्निहित शाक्तियों का विकास करनी है। जन्म के समय के समय मानव असहाय प्राणी होता है एवं वह पाश्विक मनोवृतियों के वशी मूल होता है। शिक्षा की वह साधन हैं जिसके द्वारा मानव की पाश्विक प्रकृतियों परिवर्तित एवं समायोजित होती है। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक यह फार्म शिक्षा प्रक्रिया द्वारा ही सपन्न हो रहा है।
- समावेशी शिक्षा का आरम्भ 19 वीं शताब्दी में हुआ इस विचार को समान में पहने स्वीकार नहीं किया गया। 1974 में समेकित बान्ध विकास योजना, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को गुण वत्ता युग,मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जायेगी।
- 1995 में विकलांग जन(समान,अवसर अधिकार की रक्षा और पूर्ण भागीदारी) कानून 1999 में राष्ट्रीय शिक्षा को एक विज्ञान का क्रय देती है। 2009 में प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय माध्यामिक शिक्षा अभियान, 2000 में सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ किया गया।
- 21 वीं शताब्दी में डिकोग जन की शिक्षा में विकास हेतु सरकार द्वारा नीतियों का निर्माण किया।

✓ शिक्षा का मौलिक अधिकार।
✓ सर्व शिक्षा अभियान।
✓ मीड डे मील।
✓ मांडल स्कूल योजना।
✓ राष्ट्रीय माध्यामिक शिक्षा अभियान।
✓ साक्षर भारत।
✓ समकेति शिक्षा।
✓ बालिका शिक्षा कार्यक्रम ताकि भारत मे ''सभी पढ़े सभी बढ़े'' नारा सत्य हो सकें।

- **भारत के संविधान धारा 45 में यह उल्लेख है कि 14 वर्ष तक सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी।**
- **''ऐसा विद्यालय जिसमें सामान्य बच्चों के साथ-साथ विकलांग बच्चे भी अध्ययन कर रहे हैं'' उन्हें समावेशी विद्यालय की श्रेणी में रखा जाता है।**
- **समावेशी शब्द का अपने आप में कुछ अर्थ नहीं होता है। समावेशन के चारों और जो वैचारिक,दार्शनिक सामा जिसकें और शैक्षिक ढांचा होता है। वही समावेशी का परिभाषित करता है।**
- **समावेशी शिक्षा का उद्देश्य :-**

✓ बच्चों की समर्थता का पता लगा कर देश की मुख्य धारा से जोड़ना।
✓ असमर्थ बच्चों में फैली धारणा को दूर कर जागरूकता लाना।
✓ प्राजातान्त्रिक मूल्य को प्राप्त करना।
✓ दिव्यांग आत्मनिर्भारता के व्यावसायिनता से जोड़ना ।
✓ दिव्यांग का पुर्नवाम करना।
✓ दिव्यांग जना को समाज से जोड़ना।

- **समावेशी शिक्षा को बाधित करने वाले कारक**

✓ बहुपरती शिक्षा प्रणाली।
✓ दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली।
✓ विद्यालय तक पहुँच।
✓ विद्यालय पाठ्य चर्चा।
✓ बच्चों की आस्मिता के प्रति।

- **शिक्षक का दृष्टिकोण :-** समावेशी शिक्षा को बाधित करने वाले कारकों के निवारण में शिक्षक की भूमिकाः-

✓ शिक्षकों को विद्यालय सही समय पर आना जाना एवं दिव्यांग के अनुकूल वातावरण को तैयार करना।
✓ सामान्य एवं दिव्यांग के साथ-साथ शिक्षा में रूचिकर बनाना।
✓ गृह कार्य की नियमित जांच।
✓ कक्षा कक्ष के आधार विचार एवं व्यवहार में पूर्ण निष्ठा।
✓ सभी को समान रूप से प्रेरित करना।
✓ मूल्यांकन में निसाक्षरता से करना।
✓ संवेगात्मक स्तर समरूपता रखना।
✓ पाठ्य सहभागी क्रिया में समानता प्रदर्शित करना।
✓ सामान्य एवं दिव्यांग को कुशल नागरिक तैयार करना।

- **निष्कर्ष :-** शिक्षा में समावेशन में बाधक आधारभूत कारकों का दूर करने में शिक्षक एवं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। समावेशी शिक्षा के उदेश्यों एवं लक्ष्य कों एक सौ प्रतिशत तो नहीं तो 80-90 प्रतिशत प्राप्त किया जा सकता है। जिसमें दिव्यांग जन आत्मनिर्भर विश्वास की भावना से भर सफल हो सके।
- **सन्दर्भ ग्रन्थ :-** अग्रवाल,पूनम (2016) समावेशी शिक्षा एवं शिक्षक,इन्टरनेशनल जर्नल आफ एण्ड एलामड रिसर्च 61 श्रीवास्तव,रश्मि (2015) शैक्षिक समावेशन के सन्दर्भ में मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा आधुनिक शिक्षा वर्ष 36 अं वृ 99-88

प्रवक्ता प्रेमराज सिंह

गीतांजली बी.एड.कॉलेज,बोरावड़ ।

''माध्यामिक स्तर पर अक्षम लोगों की समावेशी शिक्षा''

- समावेशी शिक्षा में अक्षम लोगों की विचार एवं सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण होना चाहिये जिससे समावेशी शिक्षा को सुयोग्य बनाया जायें। इसमें माध्यामिक चरण एवं माध्यामिक स्तर पर (आईईडीसी) में विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की योजना वर्ष 2009-2010 से शुरू की गई है। यह योजना अक्षम बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की पूर्व योजना (आई ई डी सी) की जगह लेती है। और कक्षा 9-12 में विकलांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करती है।
- शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (एनपीई) 1986 और क्रियान्वन कार्यक्रम (1992) शिक्षा के लिए बुनियादी नीति ढांचा देता है। जो मौजूदा असम्मानताओं को सुधारने पर जोर देता है। यह ड्राप आउट दरों को कम करनें,सीखनें की उपलिब्धयों में सुधार ओर उन छात्रों तक पहुँच बढ़ाने पर जोर देता है। जिनके पास सामान्य प्रणाली का हिस्सा बनने का आसान अवसर नहीं है।
- समावेशी शिक्षा में शारीरिक और मानसिक विकलांगता वाले बच्चों को एकीकृत करने,उनके सामान्य विकास और विकास के लिए उन्हें तैयार करने ओर उन्हें साहस और आत्मा विश्वास के साथ जीवन का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए कुछ उपायों की कल्पना की गई है। विद्यालयों को विकलांग बच्चों को शामिल करने में सक्षम बनाने के लिए मौलिक शैक्षिक नीति में बदलावों की आवश्यकता है।
- विद्यालयों में विकलांग बच्चों के लिए शैक्षाणिक अवसर प्रदान करने के उदेश्य से है विकलांग छात्रों के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। जिनमें पुस्तकों और स्टेशनरी पर खर्च,वर्दी पर खर्च,परिवहन भत्ता ,पाठक भत्ता,एस्कॉटी भत्ता,छात्रावास आवास और उप कारणों की वास्ताविक लागत शामिल है। समावेशी शिक्षा से ही विकलांग बालकों का विकास किया जा सकता है।

शोध सारांश :- उपयुक्त अभिलेख, प्रकरणों एवं विचारों से यही निष्कर्ष प्राप्त होता है कि समावेशी शिक्षा ही से विकलांग बालकों का विकास और उन्नति की जा सकती है समावेशी शिक्षा ही विकलांग और अक्षम बालकों का मूल स्त्रोत है। समावेशी शिक्षा ही विकलांग बालकों का जीवन है इसलिए समावेशी शिक्षा ही अक्षम विकलांग,मूक बाधिर, आदि के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रवक्ता नन्दाराम

गीतांजली बी.एड.कॉलेज बोरावड़।

अक्षम बालकों की शिक्षा हेतु सुविधाएं

- समावेशी शिक्षा ने विकलांग बालकों के जीवन में नया आयाम जोड़ा जो बालक स्कूली शिक्षा से बाहर थे समाज को अलग रखते थे शिक्षा को मानव अधिकारों में सम्मिलित कर दिव्यांग बालकों के लिए भी शिक्षा उनका जन्मसिद्ध अधिकार बताया समावेशित शिक्षा विकलांग बालक को अलग कियाजाने को और निकट लाने का प्रयास है यह बालक के परिवार समाज और विद्यालय तीनों को जोड़ती है।
- समावेशित शिक्षा विकलांग बालक को परिवार समाज और स्वी—ति प्रदान करने का प्रयास करती है समाजमें रह रहे विकलांग बालकों की खोज कर उनके अभिभावकों को परामर्श देकर उनकी शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करती है तथा आवश्यकता आधारित −ष्टि से अक्षम बालकों की जरूरत को पूरा करने की में सहायता प्रदान कर और अधिकार आधारित −ष्टि से अक्षम बालकों को सामान्यतथा सामाजिक न्याय मांग करती है समाप्त विज्ञान कक्षा में विभिन्न और अधिकार आधारित −ष्टि से अक्षम बालकों को सामान्यतथा सामाजिक न्याय मांग करती है।
- सम विज्ञान कक्षा में विभिन्नताओं के स्वीकारने की एक-एक अभिवृत्तिसम विज्ञान कक्षा में विभिन्नताओं के स्वीकारने की एक-एक अभिव्यक्तिहो कि प्रत्येक बालक बालिका स्वयं में यूनिक है की कक्षा शिक्षण स्वयं में कौशल का विकास हो सके।
- विशिष्ट बालकों के लिए विशेष कक्षाएं संसाधन आवश्यक है क्योंकि उनकी शिक्षा हेतु विशिष्ट विधियां प्रविधियां की आवश्यकता होती है अक्षम बालकों की विकलांगता अनुसार शैक्षिक सुविधा जैसे प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा विज्ञान दिव्यांग बालकों की पहचान शिक्षक विधियां संसाधित कक्षा उपकरण के साथ शिक्षित करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण देना आवश्यक होता है।
- शिक्षा शारीरिक रूप से अपंग बालकों में उनके दोष को कम करने का प्रयास करती है कि विकलांग बालक अपनी योग्यता अनुसार कार्य करने का अवसर पाते हैं।
- विशिष्ट कक्षाएं अपंग बालकों में अधिक सीमा तक एवं शिक्षक विशेष धाराओं में मार्गदर्शक के रूप में अग्रसर होने का अवसर प्रदान करती है।
- विशिष्ट शिक्षा को अपंगभल को के लिए अतिरिक्तसेवाओं शारीरिक व्यवसायिकक तथा नियमित रूप से प्रशिक्षण चिकित्सा की आवश्यकता होती है इन बालकों के लिए यह प्रशिक्षण अधिक व्यवकारी होती है।
- विशिष्ट शिक्षा कीमहत्व उपयोगिता अपंगभल को के सक्षम आने वाली समस्याओं से जाना जाता है जिसका सामना शिक्षक और शिक्षक चिकित्सा मनोवैज्ञानिकआदि को करना पड़ता है क्योंकि अध्यापक अपंग बालकों को दिए जाने वाले अनुदेशन को समझने में समस्या का सामना करना पड़ता है विशेष शिक्षा का आयोजन की आवश्यकता को गंभीरता से समझाकर सार्थक परिणाम पर पहुंचना आवश्यक होता है।
- विशिष्ट शिक्षा उसे स्थान से शुरू होती है जहां औषधीय का अंत होता है जन्मजा हस्तीबाड़ी बालकों के लिए ब्रेल लिपि या संबंधित संसाधन उपलब्ध करना विचार विमर्श द्वारा समझना शिक्षा विशेषज्ञ की सहायता लेना सम्मिलित है।
- श्रवण बादश्रवण बाधित बालकों को श्रवण पंख उपलब्ध चिकित्सा विभाग का कार्य है बालकों की देखने की क्षमता का क्षमता का उपयोग करना संकेत या चिन्ह भाषा में समझना शिक्षा के कार्य क्षेत्र में आता है ।
- शारीरिक रूप से बाधित बालक विशिष्ट शिक्षा केंद्र केंटो में शिक्षा प्राप्त करते हैं अपंग बालकों की शिक्षा हेतु केन्द्रो की आवश्यकता होता है ।
- वशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत बालकों हेतु प्रशिक्षित अध्यापक मनोवैज्ञानिक तथा अन्य विशेषज्ञों की आवश्यकता प्रमुख है ।
- विकलांगता अनुसार पाठ्यक्रम मैं आशिकक परिवर्तन तथा उपयुक्तशिक्षक विधियां का प्रयोग आवश्यक है ।
- अतिरिक्तविशिष्ट सेवाएं भवन पठानलेखन में अधिक महत्व है कि सर्वप्रथम अपंग बालकों की पहचान की आप शिक्षक गण निश्चित बिंदुओं के आधार पर आधार पर सक्षमम बल को में आत्मविश्वास उत्पन्न करें आत्मनिर्भर बने हेतु अनिवार्य प्राथमिकता शिक्षा प्राप्त करें तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार संपन्न हो सके ।
- विशिष्ट शिक्षा विकलांग बालकों के जीवन का आधार स्तंभ है अपंग वालों को को शिक्षित करके हम विशिष्ट शिक्षा की उपयोगिता के को समझना में सफल हो सकते हैं कि बालक अभिभावक विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्यों कार्यक्रमों को समझें तथा दिव्यांग बालकों की रुचि के अनुकूल शिक्षक नीति का प्रबंध हो जिससे विशेष शिक्षा में इजेक्शन बालक समायोजन कर सके यही कारण है कि विशिष्ट विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्यों कार्यक्रमों को समझें तथा दिव्यांग बालकों की रुचि के अनुकूल शिक्षक नीति पर का प्रबंध हो जिससे विशेष शिक्षा में इजेक्शन बालक समायोजन कर सके यही कारण है कि विशिष्ट शिक्षा का महत्व केवल दिव्यांग बालकों को शिक्षा प्रदान कर व्यवसायिकक प्रशिक्षण देकर रोजगार युक्तसक्षम बनाने से है जिससे स सक्षम बालक आत्मनिर्भर हो सके तथा सामान्य बालकों के समक्ष कम से कमम मिलाकर चल सकें।

Mr.Mukesh Kumar.Chauhan
Geetanjali B.Ed College,Borawar
Gmail mk108572@gmail.com

ROLE OF NON –GOVERNMENT ORGANISATION IN INCLUSIVE EDUCATION

Non Governmentalorganbization (NGOS) are in consistent use Non Governmental organization (NGO) Non profite organization (NGO) and private voluntary organization pvo are the most used terms abd are used interchangeably dispile differing definitions These are very heterogeneousentutues and range from large bi – lateraFonding Agencies operation in varlouscontriesAcording to the UN-1945.

Nao have also played an active role in India to omport education to children With Special needs (CWSN) Indian Ngo are working for the issues of specifie disability like cerebal palsy Mental physical loco motor autism Speech hearing visual and multipal disability by pro viding caoacity building Serrices.

The Role of Non Government Organization in importing education to children with special needs all oner the world can note be undermind.

Ngo involved in inclusive education in the state aim to integrate children with special needs in to the regular schools the provide the CWSN the specialized sport and indivizual attention to attention to facikitate their retanition in regular school NGO are works toward en hancing the social integration of CWSN within their home end communites and help to eable to parents to accept and cope better , besides these organization Mainted Close Contect With the Community in the area of Their operations .

The attitude of Socity towards including disabled children in the mainstream in not very positive society viwed disabled children as :-

- Uneducable and not capable of learning Believe in protection of disabled rather than their inclusion
- Belive that only specialist Know them best .
- Focus on their impairnents rather than their abilities

References

- Bachani D and Limburg H.(1996).National Programme For Control of Blindnees -Course For Traningprogramme Management ,New Delhi
- Baker,H.J. (1947). Introduction to Exceptionsnal Children ,TheMecmillion Company New York
- Maslow , A.H.(1954).Motivation And personality harper and company New York .

प्रवक्ता हरिराम

गीतांजली बी.एड.कॉलेज,बोरावड़।

विशेष तथा समावेशित शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय नीतियाँ और कानून

- ✓ विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्तराष्ट्र संघ का घोषणा पत्र :-विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए संयुक्तराष्ट्र संघ ने 9 दिसम्बर 1975 को एक घोषणा पत्र जारी किया। यह घोषणा पत्र विकलांग व्यक्तियों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इस घोषणा पत्र की कुछ प्रमुख बाते निम्नलिखित हैं
- ✓ विकलांग व्यक्तिदूसरे सामान्य नागरिकों के समान ही सभी मूलभूत अधिकारों की पात्रता रखते हैं,चाहे उनकी विकलांगता का कारण, उसकी प्र□ति व उसकी बाधा या विकलांगता की गंभीरता कितनी भी हो।
- ✓ विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा के अधिकार के साथ ही सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। उन्हें अपनी क्षमताओं के अनुरूप नौकरी पाने व करने का अधिकार है।
- ✓ विकलांग व्यक्तियों को अपने परिवारों के साथ रहने का और सभी सामाजिक, रचनात्मक एवं मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है।
- ✓ संयुक्तराष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर इन अधिकारों को दिलाने की गारंटी के लिए दो महत्वपूर्ण कदम उठाए। पहला कदम था सन् 1983-92 के दशक को विकलांग व्यक्तियों के लिए संयुक्तराष्ट्र संघ दशक घोषित करना तथा दूसरा कदम था सन् 1993-2002 के दशक को विकलांग व्यक्तियों के लिए एशिया पेसिफिक दशक घोषित करना। एशिया पेसिफिक दशक को दोबारा से बढ़ाकर सन् 2003-2012 कर दिया गया था।
- ✓ बच्चों के अधिकारों पर अधिवेशन :-संयुक्तराष्ट्र संघ ने 20 नवम्बर, 1989 को बच्चों के अधिकारों पर अधिवेशन घोषित किया। इस अधिवेशन की कुछ प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं
- ✓ इस अधिवेशन में शामिल अधिकारों को राज्य प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के प्रदान करेगा।
- ✓ राज्य विकलांग बच्चे के अधिकारों को पहचान करते हुए उनके लिए विशेष देखभाल का इन्तेजाम करेगा।
- ✓ राज्य यह निश्चित करेगा कि मानसिक या शारीरिक विकलांग बच्चा संतोषजनक जीवन समाज में सक्रिय भागीदारी करते हुए जी सकेगा।
- ✓ इस अधिवेषन के अनुच्छेद 43 और 44 में कहा गया कि इस अधिवेषन में कहे गये दायित्व कर्तव्य की राज्य द्वारा किए गए प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा तथा यह मूल्यांकन 'बच्चे के अधिकार पर कमेटी द्वारा किया जाएगा।
- ✓ सभी के लिए शिक्षा पर घोषणा पत्र :-सन् 1990 ई. में जोमेटिन (थाईलैण्ड) में सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें 155 राष्ट्र के प्रतिनिधि एवं 150 गैर-सरकारी संस्थाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए तथा निरक्षरता हटाने के लिए उपायों पर विचार करना। इस सम्मेलन का भारत सहित विश्व के अन्य देशों पर बहुत प्रभाव पड़ा तथा सभी के लिए शिक्षा में विकलांग बच्चों के भी शिक्षा पर गंभीरता पूर्वक ध्यान दिया जाने लगा।

- इस घोषणा पत्र में बुनियादी शिक्षा के छ मुख्य उद्देश्यों की पहचान की गयी, जो है
- ✓ प्रारम्भिक बाल्यावास्था देख-रेख और विकासात्मक कार्यकलाप का विस्तार प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक पहुंच और सपादन।
- ✓ अध्ययन उपलिब्ध में सुधार करना ताकि अध्ययन उपलिब्ध एक आवश्यक स्तर तक पहुंच सके।
- ✓ वयस्क निरक्षता के दर को कम करना।
- ✓ बुनियादी शिक्षा के प्रावधानों तथा नवयुवक एवं व्यवस्क द्वारा अपेक्षित दूसरे आवश्यक कौशलों का विस्तार करना।
- ✓ व्यक्तिगत एवं परिवार के अच्छे जीवन जीने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशलों एवं मूल्यों के उपलब्धियों को बढ़ाना।
- सालामांका स्टेटमेंट और विशेष शिक्षण पर कार्ययोजना :-सन् 1994 ई. में स्पेन के सालामांका शहर में विशेष आवश्यकता शिक्षण पर विश्व सम्मेलन का आयोजन यूनेस्को एवं स्पेन की सरकार ने मिलकर किया था। इस सम्मेलन में 92 देशों के सरकारी प्रतिनिधि एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भाग लिया था।
- ✓ यह कथन (स्टेटमेंट) सभी के लिए शिक्षा की प्रतिबद्धता से शुरू होता है।
- ✓ इस सम्मेलन में मुख्य रूप से समावेशित शिक्षा की चर्चा हुई जो निम्नलिखित कथनों से रेखाकित किया गया
- ✓ स्कूल में सभी बच्चों को समावेशित किया जाए, चाहे उनकी शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक, वाचिक या अन्य दशाएँ कैसे भी हो।
- ✓ समावेशित दिशा-निर्देशन युक्तसामान्य स्कूल भेदभाव पूर्ण -ष्टिकोणों से निपटने के लिए सबसे प्रभावशाली माध्यम है। वे ऐसे समावेशित समाज की रचना कर सकें जो सबको अपना एवं सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य भी पा सकें।
- ✓ इस कथन में यूनेस्को, यूनीसेफ, यूएनडीपी एवं विश्व बैंक से अनुरोध किया गया है कि वे समावेशित शिक्षा को बढ़ावा देने एवं विशेष आवश्यकता शिक्षण को शैक्षिक प्रोग्राम में सम्मिलित करने के लिए कार्य करें।

- बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क फऊॅर एक्शन :- 22 मई, 2002 को एशिया पेसफिक क्षेत्र ने बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क फऊॅर एक्शन को स्वीकार किया। इसका मुख्य उद्देश्य था 'अवरोध रहित एवं अधिकार आधारित एक समावेशित समाज का निर्माण करना। यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र के विकलांग व्यक्तियों के लिए एवं एशियन पैसिफिक डिकेड अऊॅफ द डिजेबल्ड पर्सन्स का ही विस्तार है।(राव, 2010) इसके सात प्राथमिक कार्यक्षेत्र है।

✓ विकलांग व्यक्तियों, उनके परिवार व अभिभावक संघों के स्वयं सहायता संगठन ‖ विकलांग महिलाएं ।।। शीघ्र निदान, शीघ्र हस्तक्षेप एवं शिक्षा

✓ स्व-रोजगार सहित, प्रशिक्षण एवं रोजगार

✓ निर्मित वातावरण एवं सार्वजनिक वाहनों की उपलब्धि

✓ सूचना एवं संपर्क तक पहुँच जिसमें सूचना संपर्क एवं सहयोगी प्रौद्योगिकी भी सम्मिलत हो

✓ क्षमता निर्माण, सामाजिक सुरक्षा व अविरत रोजगार कार्यक्रमों के द्वारा गरीबी उन्मूलन संभव हो।✓ इन प्राथमिकताओं को साकार रूप देने हेतु 21 लक्ष्यों व इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 17 तरीकों की भी इस घोषणा में पहचान की गयी है। इन सबके अतिरिक्तइसमें संयुक्तराष्ट्र आर्थिक व सामाजिक आयोग द्वारा इस घोषणा में सुझायी गयी प्राथमिकताओं व लक्ष्यों की प्राप्ति में की गयी प्रगति के अवलोकन व आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का भी प्रावधान है।

- विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्तराष्ट्र संघ अधिवेशन :- विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर अधिवेशन जिसको संक्षेप में 'यू.एन.सी. आर.पी.डी' भी कहते हैं. विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए संयुक्तराष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
- संयुक्तराष्ट्र संघ महासभा ने इस संधिपत्र को 13 दिसम्बर, 2006 को स्वीकार किया तथा 30 मार्च, 2007 को हस्ताक्षर करने के लिए रखा। इस दिन भारत सहित 82 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया, (मार्च, 2013 तक 155 देशों ने हस्ताक्षर किया है) यह संधिपत्र 3 मई 2008 को अंतरराष्ट्रीय कानून बना। यूएनसीआरपीडी में कुल 50 अनुच्छेद (आर्टिकल) है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद निम्नलिखित है:

✓ विकलांग महिलाओं के बारे में है, जिसमें कहा गया है कि सरकार विकलांग महिलाओं के विकास एवं अधिकारिता के लिए उपयुक्तकदम उठाये।

✓ विकलांग बच्चों के बारे में है, जिसमें कहा गया है कि इन बच्चों के अधिकारों, स्वतंत्रता तथा अच्छे जीवन के लिए कार्य करें।

✓ सुगम्यता के बारे में है, जिसमें कहा गया है कि विकलागों को सषक्तकरने हेतु अत्याधुनिक तकनीक से बने विशेष उपकरण उपलब्ध कराया जाय।

✓ जीने का अधिकार के बारे में है, जिसमें कहा गया है कि विकलांग व्यक्तियों को भी सामान्य व्यक्तियों के सामान सम्मान पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है।

✓ शिक्षा के बारे में है, जिसमें कहा गया है कि विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था सरकार करे जिससे वे अपने व्यक्तित्व, प्रतिभाओं व रचनात्मकता का विकास कर सके।

✓ कार्य और रोजगार के बारे में है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक विकलाग व्यक्तिको हर तरह के काम, जो उसके योग्य हैं, करने का है जिसके लिए उपयुक्त सुविधाओं व बातावरण का उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

✓ मुख्यत: यह अधिवेशन विकलांग व्यक्तियों के अधिकार निर्दिष्ट करता है और उनके संवर्द्धन संरक्षण व सुनिश्चितता के लिए राज्य के कर्तव्य निर्धारित करता है, जिसके साथ साथ उनके क्रियान्वयन व अनुश्रवण सहयोग हेतु उचित व्यवस्था विकसित करने का निर्देश देता है। इस अधिवेशन की एक विशेष बात यह भी है कि इसमें विकलांगों को एक श्रेणी मात्र न मानकर विकलांगता विशेष और उसमें भी व्यक्तिविशेष की आवश्यक ताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सुविधाए देने की बात कही गयी है। इसके अतिरिक्तइसमें विकलांग व्यक्तियों की व्यक्तिगत जरूरतों की तरफ भी ध्यान दिया गया है। इस संधिपत्र में यह व्यवस्था है कि समय-समय पर हर उस देश को जिसने इस संधिपत्र पर हस्ताक्षर किया है, यह बताना होगा कि उसने इस संधिपत्र के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए हैं।

सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का प्रभाव–एक शोध परक अध्ययन
(वर्तमान में शिक्षा अनुसंधान के संदर्भ में)

रीना गौड़

(Research Scholar)

Jyoti Vidhyapeeth Women's University, Jaipur

E-mail: reenasharma.1988rs@gmail.com

प्रस्तावना :

आधुनिक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सूचना तकनीकी और सूचना एवं संप्रेषण प्रोद्योगिकी का प्रयोग समानार्थी के रूप में किया जाता है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी (आई.सी.टी.) वृहद् पद है, जो सूचना तकनीकी और संप्रेषण तकनीकी को सम्मिलित करता है। इसमें रेडियो, टेलीविजन, कम्प्यूटर, इंटरनेट, टेलीकान्फ्रेंसिंग, आदि को रखते हैं।

इन तकनीकियों को दो वर्गों में रखते हैं– उपग्रह (सैटेलाइट) आधारित संचार, भू–आधारित संचार उपग्रह (सैटेलाइट) आधारित संचार में किसी संचार उपग्रह के माध्यम से संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच संवाद होता है। भू–आधारित संचार, किसी भौगोलिक क्षेत्र जैसे– देश या राज्य में फैले ट्रांसमीटर के जाल द्वारा संप्रेषण का माध्यम है।

भारत में रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के लिए संचार की इसी तकनीकी का प्रयोग करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा उपग्रहों की एक श्रंखला के प्रक्षेपण के बाद टेलीसंचार में उपग्रह आधारित संचार को बढ़ावा मिला है।

प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा सूचनाओं के प्रभावी संप्रेषण को सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की संज्ञा दी जाती है। आईसीटी एक व्यापक पद है, जिसमें संचार के उपकरणों, जैसे– रेडियो, टेलीविजन, सेलुलर फोन, कम्प्यूटर और उपग्रह तंत्र आदि को सम्मिलित करते हैं। आईसीटी की अनेक परिभाषाएं है। आईसीटी, तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का समुच्चय है।

जिसका प्रयोग सूचनाओं के संचार, रचना व प्रसार, भंडारण और प्रबंधन के लिए किया जाता है। इसमें कम्प्यूटर, इंटरनेट, ब्राडकॉस्टिंग के उपकरण, जैसे– रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन, आदि को सम्मिलित करते हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार, ''आईसीटी सूचनाओं के उत्पादन, भंडारण, प्रक्रिया, वितरण, स्थानान्तरण लिए प्रयुक्त उपकरण है, जिसमें इससे संबंधित वस्तुएं अनुप्रयोग और सेवाएं आती हैं।

इसमें पुराने प्रकरण रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन आते हैं, इसके साथ ही नए उपकरणों कम्प्यूटर, सैटेलाइट और अन्य वायरलेस उपकरणों को भी सम्मिलित करते हैं। ये अलग–अलग उपकरण एक साथ कार्य करते हुए हमारे चारों ओर 'नेटवर्क निर्मित दुनिया' बनाते हैं जिसकी पहुंच दुनिया के कोने–कोने तक हैं, जिसमें भारी आधार संरचना, अन्तः संबंधित टेलीफोन सेवाएं, कम्प्यूटर हार्डवेयर, इण्टरनेट और रेडियो जुड़े हुए हैं।

शब्द बीज : सूचना, सम्प्रेषण तकनीकी, टेली संचार, उपग्रह, कम्प्यूटर हार्डवेयर।

सूचना व सम्प्रेषण तकनीकी में श्रव्य व दृश्य माध्यमः

यह सूचना एवं संप्रेषण प्रोद्योगिकी का सबसे प्रभावी माध्यम है। इसके द्वारा विद्यार्थियों की रूचि की पूर्ति की जा सकती है। उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है। अध्यापकों द्वारा टेलिविजन, विडियो, मल्टीमीडिया कार्यक्रमों अन्तः क्रियात्मक विडियों और अन्य श्रव्य दृश्य सूचना तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है।

टेलीविजनः

टेलिविजन दर्शकों तक सूचनाओं को पहुँचाने का एक अन्य महत्वपूर्ण माध्यम है। यह दृश्य और श्रव्य प्रौद्योगिकी का संयुक्तरूप है। इसी कारण यह रेडियो जैसे श्रव्य माध्यमों की तुलना में अधिक प्रभावी है। मनोरंजन, सूचना और शिक्षा, जैसे अनेक उद्देश्यों के लिए टेलिविजन का प्रयोग करते है। अपनी बेहतर पहुँच के कारण यह दर्शकों की एक बड़ी आबादी तक अधिगम सामग्री को प्रत्यक्ष प्रभावी और वैयात्तिक स्तर तक पहुँचा सकता है।

भारत में 15 सितम्बर 1959 को राष्ट्रीय टेलिविजन नेटवर्क द्वारा दूरदर्शन नाम से टेलिविजन सेवा प्रारम्भ की गयी। भारत में अपने आरम्भकाल से टी.वी. नेटवर्क को शिक्षा और विकास के प्रभावी माध्यम के रूप में देखा गया है। अपनी व्यापक पहुँच के कारण यह प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर ज्ञान प्रदान करने का महत्वपूर्ण साधन है।

विडियो सी.डी./डी.वी.डी.:

विडियो कार्यक्रम कक्षा शिक्षण में विषय विशेष को पढ़ने के लिए बनाये जाते है। कार्यक्रम की एक पाठ्यवस्तु की जाती है। कैमरे की सहायता से उसका विकास किया जाता है। विडियो कार्यक्रमों का विकास ज्यादातर पेशेवर लोग ही करते हैं। फिर भी एक अध्यापक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों के लिए लघुफिल्में बना सकते हैं।

इसे सी.डी. या डी.वी.डी. के द्वारा कक्षा में या घर पर देखने के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। विडियो कार्यक्रमों की प्रस्तुति डी.वी.डी. प्लेयर या कम्प्यूटर पर की जा सकती है। सी.आई.ई.टी.एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा स्कूली बच्चों के लिए बहुत सी सी.डी. और डी.वी.डी. विकसित की गयी है। एन.आई.ओ.एस. भी स्कूली बच्चों के लिए ऐसे

कार्यक्रम विकसित करता है। इन संगठनों के अलावा बहुत से निजी संगठन भी ऐसे कार्यक्रम विकसित कर रहे हैं। लेकिन इन की लागत अधिक होती है इसलिए सभी बच्चे इनका लाभ नहीं उठा सकते हैं।

कम्प्यूटर :

हम सभी कम्प्यूटर के प्रयोग से परिचित है। कम्प्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो मानव द्वारा दिये गये आगत (इनपुट) को स्वीकार करता है इसक आधार पर अनेक प्रकार के आकड़ों का प्रसंस्करण करता है और अपेक्षित उद्देश्यों के अनुसार निर्गत (आउटपुट) प्रदान करता है। विभिन्न लक्ष्यों के लिए विभिन्न प्रकार के कम्प्यूटर होते हैं। आइये कम्प्यूटर के आधारभूत घटकों को समझते हैं।

कम्प्यूटर के आधारभूत घटक :

एक कम्प्यूटर अनेक घटकों के संयुक्त कार्यकरण वाला तंत्र होता है। कम्प्यूटर के विभिन्न घटक निम्नलिखित है।

नियंत्रक इकाई:

नियंत्रक तंत्र या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कम्प्यूटर के विभिन्न घटकों का प्रबंधन करने वाली इकाई है। यह प्रोग्राम अनुदेशों को पढ़ती है और इसे डिकोड करती है। और इसे नियंत्रित संकतों में बदलती है जिसके द्वारा कम्प्यूटर के अन्य हिस्से सक्रिय होते हैं।

अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट:

इसका उपयोग अंकगणितीय और तार्किक गणना में होता है।

ई–अधिगम :

इन्टरनेट के चलन ने शिक्षा के अनेक क्षेत्रों को प्रभावित किया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या विद्यालय के अन्य क्रियाकलपों में इन्टरनेट के प्रयोग को पहचान सकते है। इन्टरनेट प्रौद्योगिकी के विस्तार द्वारा ई–अधिगम की अवधारणा का जन्म हुआ। ई–अधिगम की विभिन्न परिभाषायें हैं। ई–अधिगम एक वृहद पद है इस में शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप अनेक तरह की तकनीकियाँ और अनेक तरह के शैक्षिक डिजाइन और प्रारूप होते हैं। (वेट्स और पूले, 2005, ओ.ई.सी. डी. 2005 और एलन और सीमेन, 2008)। ई–अधिगम में सभी तरह के इलेक्ट्रानिक समर्थित शिक्षण अधिगम सम्मिलित है।

ई–अधिगम विद्यार्थियों को कम्प्यूटर, एल.सी.डी. प्रोजेक्टर, टी.वी., सी.डी, रोम, इलेक्ट्रानिक भण्डारण उपकरणों और वर्चुअल कक्षा, आदि के माध्यम से अपनी गति से किसी भी समय और किसी भी स्थान पर सीखने का अवसर प्रदान करता है। यदि एक शिक्षक शिक्षण अधिगम में इस तरह के उपकरणों का प्रयोग करता है तो इसे ई–अधिगम की संज्ञा देते है।

ई–अधिगम के कई संस्करण है। कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण (सी.बी.टी.) प्रौद्यौगिकी समृद्ध अधिगम (ज्म्स) कम्प्यूटर समर्थित सहभागी अधिगम (सी.एस.सी.), इन्टरनेट आधारित प्रशिक्षण (आई.बी.टी.) या वेब आधारित प्रशिक्षण (डब्ल्यू.बी.टी.)।

ई–अधिगम के लक्ष्य :

ई– अधिगम के वृहद् लक्ष्य निम्नलिखित है:

1. यह सीखने वाले की अधिगम तक पहुंच बढ़ता है और अधिगम को लचीला बनाता है!
2. यह शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता और प्रभाविता को बढ़ाता है।
3. ई–अधिगम युक्तियों द्वारा विभिन्न विषय क्षेत्रों के लिए अपेक्षित कौशलों और दक्षताओं को विकसित किया जा सकता है।
4. ई– अधिगम विभिन्न विद्यार्थियों की अधिगम शैली संबंधी जरूरत को पूरा करती है।
5. ई– अधिगम के प्रयोग द्वारा शिक्षा की लागत को कम किया जा सकता है अतः है। शिक्षा तंत्र मितव्ययी हो जाता है।

ई–अधिगम और 21वीं सदी की कुशलता एवं दक्षताएँ :

21 वीं सदी में सफल जीवन जीने के लिए विभिन्न कुशलताओं और दक्षताओं की आवश्यकता होती है। ई–अधिगम की नीतियां विद्यार्थियों के 21 वीं सदी की आवश्यकता के अनुरूप कुशलताओं को समृद्ध करने में मदद करती हैं। भावी पीढ़ी की सफलता के लिए निम्नलिखित कुशलताएं महत्वपूर्ण हैं–

- अच्छा संप्रेषण कौशल (पठन, लेखन, वाचन और श्रवण)
- स्वतंत्र अधिगम की योग्यता
- सामाजिक कुशलताएं (नैतिकता, सकारात्मक अभिवृत्ति दायित्व)
- समूह कार्य संबंधी कुशलताएं (सहभागी अधिगम, नेटवर्किंग)
- बदलती परिस्थितियों के अनुकूलन की योग्यता
- विचार कौशल (समस्या समाधान, आलोचनात्मक चिंता, तर्क आंशिक योग्यता)
- ज्ञान प्रवाह
- उद्यमिता (पहल करना, अवसरों को खोजना)
- डिजिटल साक्षरता

ई–अधिगम और परम्परागत अधिगम :

शिक्षा के क्षेत्र में ई–अधिगम का पर्याप्त उपयोग किया जा सकता है। परंपरागत कक्षा अध्यापक केन्द्रित होती है और उसमें मौखिक प्रस्तुति की प्रधानता होती है। ऑनलाइन अधिगम के प्रयोग ने सीखने को विद्यार्थी केन्द्रित और सक्रिय प्रक्रिया बना दिया। परंपरागत कक्षा और ऑनलाइन कक्षा में मुख्य अंतर– इस प्रकार है।

परंपरागत कक्षा और ऑनलाइन कक्षा में अंतर

परंपरागत कक्षा	ऑनलाईन कक्षा
• यह अध्यापक केन्द्रित होती है। शिक्षक शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया का केन्द्रीय घटक होता है।	• यह विद्यार्थी केन्द्रित होती है। विद्याथी शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया का केन्द्रीय घटक होता है।
• सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाले की न्यूनतम भूमिका होती है। सीखना निष्क्रिय होता है।	• सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाले की भूमिका अपेक्षाकृत अधिक होती है। सीखना सक्रिय प्रक्रिया होती है।
• अध्यापक ज्ञान और विषयवस्तु के स्थानान्तरण पर बल देता है।	• अध्यापक ज्ञान के निर्माण में सहयोग करता है।
• अनुदेशन युक्तियां मौखिक होती हैं और पारंपरिक शिक्षण विधियों पर आधारित होती हैं।	• मौखिक अनुदेशन पर अपेक्षाकृत कम बल होता है। अनुदेशन में विभिन्न अधिगम शैलियों और विधियों का प्रयोग होता है।
• मल्टीमीडिया का प्रयोग किया जा सकता है फिर भी शाब्दिक अनुदेशन की प्रधानता होती है।	• मल्टीमीडिया का प्रयोग कई रूपों में किया जाता है।
• विद्यार्थियों का तकनीकी के माध्यमसे न्यूनतम संपर्क होता है।	• विद्यार्थियों की तकनीकी के साथ सघन अन्तः क्रिया होता है।
• विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच प्रत्यक्ष (फेस टू फेस) अन्तःक्रिया पर बल होता है।	• विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच प्रत्यक्ष (फेस टू फेस) अन्तःक्रिया के अवसर कम होते हैं।
• अभिप्रेरणा और स्वअधिगम के अवसर कम होते हैं।	• विद्यार्थियों को स्व अधिगम और अभिप्रेरणा के अवसर उपलब्ध होते हैं।
• परंपरागत अधिगम शैली का अधिक प्रयोग होता है।	• अनुदेशन की नवाचार आधारित तकनीकियों का प्रयोग होता है।
	• अनुदेशन की नवाचार आधारित तकनीकियों का प्रयोग होता है।
• तकनीकी आधारित उपकरणों का प्रयोग कम होता है।	• तकनीकी आधारित उपकरणों का प्रयोग अधिक होता है।
• अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच अन्तःक्रिया का न्यूनतम अवसर होता है।	• अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच अन्तःक्रिया का अपेक्षाकृत अधिक अवसर होता है।
• अध्ययन की अवधि और कालांश, तय होते है।	• अध्ययन की अवधि और कालांश तय नहीं होते है।
• प्रकृति अपेक्षाकृत कठोर होती है।	• प्रकृति अपेक्षाकृत लोचशील होती है।

शिक्षा में इण्टरनेटः

इण्टरनेट प्रौद्योगिकी युग का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। इण्टरनेट एक ऐसा माध्यम है जो राउटर और सर्वर के जरिए किसी भी कम्प्यूटर को दुनिया के किसी भी अन्य कम्प्यूटर से जोड़ता है। जब दो कम्प्यूटर इण्टरनेट के माध्यम से जुड़ जाते हैं तो इनके बीच किसी भी तरह की विषयवस्तु, विडियो, ऑडियो और कम्प्यूटर प्रोग्राम को भेजा और प्राप्त किया जा सकता है।

इण्टरनेट परस्पर संबंधित बहुत से कम्प्यूटर का वैश्विक जाल है जो वैश्विक स्तर पर करोड़ो लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए मानक इण्टरनेट प्रोटोकाल सूट (टी.सी.पी./आई.पी.) का प्रयोग करता है। यह स्थानीय से वैश्विक स्तर पर फैले करोड़ो निजी, सार्वजननिक, अकादमिक, व्यावसायिक और सरकारी जालों का समुच्चय है यह वृहद् जाल तंत्र एक दूसरे से इलेक्ट्रानिक, वायरलेस और ऑप्टिकल प्रौद्योगिकी से संबंधित होते हैं। इण्टरनेट पर व्यापक सूचनाएं, संसाधन और सेवाएं उपलब्ध होती हैं। वर्ल्ड वाइड वेब और ई–मेल इसके उदाहरण हैं।

गूगल सॉफ्टवेयर के द्वारा इण्टनेट खोल रहे हैं तो इसका मुख पृष्ठ जिसमें वेबपेज, चित्र और मानचित्र, आदि के खोज का विकल्प है। इसी तरह आप ने जिन वेबपेज और वेबसाइट का प्रयोग सर्वाधिक किया है उन तक पहुंच आसान करने के लिए 'सेव द पेज' (पृष्ठ को सुरक्षित कीजिए) का विकल्प भी रहता है। इण्टरनेट पर अनेक ऐसे विकल्प उपलब्ध होते हैं जिनका प्रयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

शिक्षा में इन्टरनेट के प्रयोग के लाभ :

पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट ने मनुष्य के जीवन के अधिकांश क्षेत्रों को प्रभावित किया है। इससे शिक्षा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। अनेक शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश, शिक्षण–अधिगम, मूल्यांकन और प्रशासन आदि क्रियाकलापों में इंटरनेट का प्रयोग किया जा रहा है। शिक्षा में इंटरनेट के प्रयोग के कुछ लाभ निम्नलिखित हैं–

- इसके द्वारा सूचनाओं को प्राप्त करना और दूसरों से जुड़ना आसान हो जाता है।
- यह सूचनाओं के स्रोत और साझेदारी के मंच की तरह कार्य करता है।
- यह अद्यतन सूचना को प्रदान करता है।
- ऑनलाइन अधिगम के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है।
- सीखने में इसका प्रयोग एक मल्टीमीडिया माध्यम के रूप में किया जा सकता है।
- यह संप्रेषण का तीव्रतम माध्यम है।
- यह सीखने वाले को घर या अन्य स्थानों से कार्य करने का अवसर देता है।

शिक्षा में इण्टरनेट का अनुप्रयोग :

शिक्षा में इंटरनेट के लाभों की चर्चा की है। इंटरनेट का माध्यमिक शिक्षा में अनेक उपयोग है। विद्यालयी तंत्र के निम्नलिखित क्षेत्रों में इंटरनेट का उपयोग है–

1. विद्यार्थियों के प्रवेश
2. अकादमिक मूल्यांकन
3. कक्षा में सीखने–सिखाने की गतिविधियां
4. स्कूल के प्रशासन और प्रबंधन में
5. इसके अलावा इसका प्रयोग एक शिक्षण मशीन के रूप में किया गया है।
6. सूचनाओं के स्रोत के रूप में किया जाता है।
7. एक संप्रेषण के उपकरण के रूप में
8. विद्यार्थियों और शिक्षकों को शिक्षण–अधिगम की प्रक्रिया में सहयोग देने वाले उपकरण के रूप में।
9. कृत्रिम बुद्धि के उपकरण के रूप में।

निष्कर्षः

शैक्षणिक तकनीकी शिक्षण और अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्वान्तों के तकनीकी उपकरणों के साथ एकीकरण का परिणाम है। शिक्षा में तकनीकी और शिक्षा की तकनीकी में अंतर की चर्चा की गयी। शिक्षा में तकनीकी को शैक्षणिक तकनीकी का हॉर्डवेयर उपागम कहते हैं जबकि शिक्षा की तकनीकी को शैक्षणिक तकनीकी का सॉफ्टवेयर उपागम कहते हैं।

किसी उपयुक्त प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए सूचना के प्रभावी संप्रेषण को सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी की संज्ञा दी जाती है। श्रव्य माध् यमों, जैसे– रेडियो, श्रव्य सीडी और डीवीडी, पोडकॉस्ट का संक्षिप्त परिचय दिया गया। इसी तरह श्रव्य दृश्य माध्यमों, जैसे– टेलीविजन, दृश्य सीडी ६ डीवीडी की चर्चा की गयी। कम्प्यूटर के घटकों और उसके प्रकारों पर प्रकाश डाला गया।

ई–अधिगम की अवधारणा, इसके लक्ष्यों, यह कैसे 21 वीं सदी में कौशलों और दक्षताओं की जरूरत को पूरा कर रहा है और इसमें प्रयुक्त संप्रेषण तकनीकियों की चर्चा की गयी। परंपरागत अधिगम और ई–अधिगम में अंतर की व्याख्या की गयी। शोध प्रपत्र के अंत में इंटरनेट की संकल्पना, इसके लाभ और हानि का उल्लेख किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः

1. Cecco. J.P (1988) The Psychology of Learning and Instruction, Second Edition, Delhi: Prentice-Hall of India Pvt. Ltd.
2. Ellington H, Percival. F & Race. P (2005) Handbook of Educational Technology, Third Edition, London Kogan Page Ltd,
3. IGNOU (2000). ES-361: Educational Technology, New Delhi: IGNOU.
4. Mishra, S., Ed. (2009). E-Learning, New Delhi: IGNOU (STRIDE Handbook 8).
5. Mohanty J., (1992) Educational Technology, Delhi: Deep and Deep Publication.
6. OECD (2005). E-learning in Tertiary Education: Where Do We stand? Paris: OECD
7. Sampath. K & Santhanam. S (1990) Introduction To Educational Technology, Second Revision Edition, Sterling, New Delhi: Publishers Pvt ltd.
8. Sharma, R.A. (2004). Technological Foundations of Education, Third Edition.
9. Usha, R. (1991). Educational Technology, First Edition, Bombay: Himalaya Publishing House
10. Unwin, D. (1969). Media and Methods in Instructional Technology in Higher Education, London: McGraw Hill Book Company.

समावेशी शिक्षा में कक्षा शिक्षक और स्रोत शिक्षक की भूमिका

RAKESH REGAR
Research Scholar
S/o Shri Ramkalyan Ji Regar
Pani Ki Tanki Ke Paas, Gurjar Mohalla,
Dhanwara, Jhalawar, Rajasthan, Pin-326001,
Mobile No. - 9928989485

समावेशी शिक्षा विशेष बालकों तथा सामान्य बालकों को एक साथ गुणवत्तापूर्ण, समग्र व समावेशित शिक्षण की व्यवस्था है। एडम्स ने शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है जिसके एक कोण पर शिक्षक दूसरे पर बालक व तीसरे पर विषय या पाठ्यक्रम हैं–

निसंदेह शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक, बालक तथा विषय तीनों पक्ष अपना–अपना महत्त्व रखते हैं परन्तु शिक्षण में शिक्षक तथा अधिगम में बालक की भूमिका होती है । विषय या पाठ्यक्रम शिक्षण–अधिगम का माध्यम है।

समावेशी विद्यालय में कक्षा शिक्षक तथा स्रोत (रिसोर्स) शिक्षक का कार्य केवल शिक्षण देना नहीं है । यह कार्य तो विषय शिक्षक भी पूर्ण कर लेते हैं । कक्षा शिक्षक कक्षा विशेष की व्यवस्था का भी उत्तरदायी है तथा स्रोत शिक्षक स्रोत कक्ष की व्यवस्था का भी जिम्मेदार है | अतः शिक्षण के अतिरिक्त भी समावेशी विद्यालय में इन दोनों की भूमिका अधिक महत्त्व रखती है |

(अ) कक्षा शिक्षक की भूमिका

कक्षा शिक्षक किसी विशेष स्तर या वर्ग का प्रभारी शिक्षक होता है जैसे कक्षा 8वीं, 9वीं, 5वीं, 7वीं का कक्षा शिक्षक। कक्षा शिक्षक अपने प्रभार की कक्षा की सभी प्रकार की व्यवस्थागत जिम्मेदारियों को पूर्ण करता है। वह कक्षा विशेष के छात्रों के प्रवेश तथा नियमित उपस्थिति, उनकी बैठक व्यवस्था, उनकी समय–सारणी (टाइमटेबल) उनमें अनुशासन व्यवस्था, उनके प्रगति पत्र (रिकॉर्ड), उनके मूल्यांकन के रिकॉर्ड, उनकी पाठ्यसहगामी गतिविधियों के अतिरिक्त छात्र की वैयक्तिक, शैक्षिक समस्याओं के निराकरण के लिए भी उत्तरदायी होता है ।

समावेशी विद्यालय में कक्षा शिक्षक की भूमिका और महत्त्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि उसे सामान्य छात्रों के साथ–साथ विशेष आवश्यकताओं वाले निःशक्त बालकों का भी ध्यान रखना होता है । समावेशी शिक्षा में कक्षा शिक्षक की भूमिका निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है |

(1) कक्षा प्रबंधन– कक्षा शिक्षक को निःशक्त बालकों की बैठक व्यवस्था पर ध्यान देना होता है। श्रवणबाधित बालकों को सामने की सीटों पर बैठाना ताकि वे सरलता से कक्षा शिक्षकीय बातों को सुन सके आवश्यक है । मंद दृष्टि वाले बालकों के लिए भी कक्षा में सामने की बैठक व्यवस्था कक्षा शिक्षक को करनी चाहिए ताकि श्यामपट (ब्लेक बोर्ड) पर लिखी बातों को पढ़ने में उन्हें कठिनाई न हो । मंदबुद्धि वाले बालकों तथा धीमी गति से अधिगम करने वाले बालकों के साथ एक सामान्य

उपयुक्त संगी–साथी को बैठाने से तथा उसे सहायता करने से कक्षा शिक्षक को सुविधा होती है । अस्थि विकलांग बालक हेतु उसके बैशाखी, व्हीलचेयर, ट्रायसिकल आदि को कक्षा के बाहर रखने की व्यवस्था तथा कक्षा में उसकी सहायता के लिए बालक की व्यवस्था भी कक्षा शिक्षक को करनी चाहिए। कक्षा शिक्षक को कक्ष में प्रकाश तथा वायु हेतु भी व्यवस्था करनी चाहिए। कक्षा में आधुनिक शिक्षोपकरणों के रखरखाव, कक्षा के बालकों के अभिलेख (रिकॉर्ड) की फाइलों को व्यवस्थित रखने आदि उत्तरदायित्व भी कक्षा शिक्षक के लिए। कक्षा में चाक डस्टर ब्लेकबोर्ड, पाइंटर तथा प्रदर्शन योग्य सामग्री के टांगने आदि का कार्य भी कक्षा शिक्षक की जिम्मेदारी है।

कोई छात्र यदि नियमित रूप से अनुपस्थित रहता है या शाला से भागता रहता है तो उसके कारणों की पड़ताल करना, बीमार या दुर्घटना ग्रस्त बालक को तुरंत उपचार हेतु भेजना इत्यादि बातें भी कक्षा प्रबंध के अंतर्गत कक्षा शिक्षक की भूमिका को व्यक्त करती है।

(2) छात्रों की वैयक्तिक विभिन्नताओं, विशेष आवश्यकताओं की पहचान– समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की भिन्न–भिन्न आवश्यकताओं, समस्याओं, विशेषताओं, लक्षणों की पहचान के अनुरूप उनके लिए शैक्षिक व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करनी होती है। श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित, मंदबुद्धि, धीमी गति से सीखने वाले तथा वंचित असविधाग्रस्त वर्ग के बालकों की अपनी–अपनी शारीरिक मानसिक सांस्कृतिक, सामाजिक कमियाँ होती हैं। एक अच्छे कक्षा शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह अपनी कक्षा में प्रवेशित इन वर्गों के बालकों की कमियों तथा खूबियों (गुणों) का पहचाने तथा उसके अनुसार आवश्यक होने पर चिकित्सक, अभिभावकों या स्रोत शिक्षक को प्रकरण संदर्भित करे।

साथ ही कक्षा शिक्षक को विशेष व सामान्य बालकों की वैयक्तिक विशेषताओं/विभिन्नताओं की पहचान होनी चाहिए । विशेषकर मानसिक व संवेगात्मक भिन्नताएं अधिगम में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बालकों की बुद्धिलब्धि, उनकी रुचियाँ, स्वभाव, अभिवृत्तियों की पहचान कर कक्षा शिक्षक उनके आधार पर शिक्षण विधि का प्रयोग कर सकता है |

कुछ विशिष्ट व सामान्य बालकों में कुछ खूबियाँ भी होती हैं जैसे अंधे या अस्थि विकलांगता वाले कुछ बालक अच्छे गायक होते हैं. कुछ अच्छे वादक होते हैं । कुछ सामान्य बालक भी सृजनशील तथा कलात्मक रुचि के होते हैं। ऐसे बालकों की पहचान कर कक्षा शिक्षक को उन बालकों की प्रतिभा का उपयोग पाठ्यसहगामी क्रियाओं में कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(3) बालक की आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि की पहचान– समावेशी विद्यालय के बालक विभिन्न परिवारों तथा समुदायों से आते हैं। उन पर वंशानुक्रम व पर्यावरण का प्रभाव रहता है । कुछ बालक संस्कारविहीन दलित निर्धन परिवार के, कुछ अपराधी परिवारों से होते हैं। आर्थिक स्थिति व पारिवारिक पृष्ठभूमि यदि समस्यात्मक होगी तो ऐसे बालकों की अनेक आर्थिक पारिवारिक समस्याएं भी होंगी। शाला में चोरी करने वाले,शाला से भागने वाले, छात्रों से झगड़ा करने वाले, कक्षा में अनुशासनहीनता करने वाले या अन्य समस्यात्मक बालकों की पहचान कक्षा शिक्षक के लिए आवश्यक होती है । इस पहचान का उपयोग बालक के व्यक्तित्व में सुधार तथा कक्षा व शाला में अनुशासन व व्यवस्था स्थापित करने में किया जा सकता है ।

(4) प्रोत्साहन भरा व्यवहार तथा बाधितों–वंचितों के प्रति संवेदनशीलता– अच्छा कक्षा शिक्षक बालकों का मित्र व मार्गदर्शक होता है । उसे सभी बालकों–विशेषकर अपंग, बाधित व असुविधाग्रस्त बालकों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। उन्हें प्रताड़ित या अपमानित नहीं करना चाहिए । कक्षा शिक्षण में इन बालकों के लिए प्रोत्साहन,प्रशंसा,प्रेरणा उनके अधिगम में सहायता करती है। कक्षा अनुशासन के नाम पर किसी भी छात्र को दंडित नहीं किया जाकर धीरे–धीरे स्वानुशासन की भावना ऐसे छात्रों में उत्पन्न करनी चाहिए । कक्षा शिक्षक द्वारा दिये गए छोटे–छोटे पुरस्कार पारितोषिक (जैसे पेन, पैंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल, पुस्तक, कहानी की सचित्र पुस्तक आदि) पाकर सभी छात्र शिक्षक को मित्र तथा हितैषी मानने लगते हैं। यह भावना कक्षा शिक्षक को बालकों के लिए नेता (हीरो) बनाने में सहायक है तथा छात्रों को उनका अनुगामी बनाती है।

(5) अनुकूल शिक्षण रणनीतियों के प्रयोग में सहायता– कक्षा शिक्षक कक्षा विशेष के प्रभार के साथ–साथ विषय शिक्षक का कार्य भी करता है। विषय शिक्षक की भूमिका के सफल निर्वाह हेतु कक्षा शिक्षक को छात्रों की वैयक्तिक विभिन्नता की पहचान का उपयोग विषय शिक्षण में करने हेतु उपयुक्त शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए। कक्षा शिक्षक की भूमिका में सफलता उसे अच्छे अध्यापक की भूमिका में सहायता प्रदान करती है। योजना विधि, क्रियात्मक शिक्षण, सहायक शिक्षण सामग्रियों का उपयोग, शिक्षक तकनीक का उपयोग, प्रश्न कला, आदि का उपयोग कर विशेष व सामान्य दोनों प्रकार के बालकों हेतु कक्षा शिक्षक अधिगम अनुभवों के निर्माण में सहायक है।

(6) समावेशी शिक्षा के सिद्धान्तों के अनुसार कार्य– समावेशी विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के निःशक्त बालक सामान्य बालकों के साथ–साथ शिक्षा अर्जित करते हैं । इस समावेशी शिक्षा का प्रमुख सिद्धान्त है कि विशेष स्कूलों में निःशक्त बालकों को शिक्षा देने से अलगाव या पृथक्करण की भावना उत्पन्न होती है जो ऐसे बालकों की सामाजिक समायोजन के विरुद्ध है अतः इन बालकों को समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें अन्य सामान्य बालकों के साथ शिक्षित किया जाए। इसलिए समावेशी विद्यालय में कार्यरत कक्षा शिक्षकों को अपनी–अपनी कक्षा के निःशक्त बालकों को बिना भेदभाव या अलगाव के समाज की मुख्य धारा में लाने की जिम्मेदारी रहती है।

(7) निःशक्त व सामान्य बालकों के पालकों/अभिभावकों से जीवंत संपर्क– समावेशी विद्यालय के कक्षा शिक्षकों को अपनी कक्षा के छात्रों के पालकों या अभिभावकों से जीवंत संपर्क (फोन या सेलफोन पर नहीं बल्कि प्रत्यक्षतः) रखकर उन्हें छात्र की समस्याओं, प्रगति तथा उपलब्धियों आदि से परिचित कराते रहना चाहिए। कभी किसी छात्र विशेष के संबंध में कोई आपत्तिजनक बात सामने आए तो छात्र के घर जाकर उनके पालकों/अभिभावकों को सुधारात्मक दृष्टि से विश्वास में लेकर अवगत कराना चाहिए। पैरेंट्स मीट (पालक शिक्षक बैठक) में भी उन्हें छात्र की न केवल आपत्तिजनक वरण उपलब्धियाँ प्रगति से भी अवगत कराना चाहिए।

(8) पाठ्यसहगामी क्रियाओं में सहभागिता हेतु छात्रों को प्रोत्साहित करना – कक्षा शिक्षक का दायित्व है कि अपनी कक्षा के छात्रों (विशेष व सामान्य) को उनकी रुचि, योग्यता, क्षमता, प्रतिभा आदि के अनुरूप भाषण, कविता पाठ, निबंध लेखन, वाद–विवाद, नाटक मंचन, शाला के बाहर शैक्षणिक यात्रा, शाला के समीप सामुदायिक कल्याण कार्य आदि के लिए अभिप्रेरित करे। उसे छात्रों को प्रोत्साहित देते रहना चाहिए कि तुम यह कर सकते हो। इससे छात्र के आत्मविश्वास तथा उत्साह में वृद्धि होगी। जो निःशक्त जन इनडोर या आउटडोर जिस प्रकार का खेल खेल सकने में यदि समर्थ हों तो उन्हें इस हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए । कक्षा शिक्षक को समावेशी शिक्षा के छात्र के सर्वांगीण (शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक) के लक्ष्य की पूर्ति में प्रयत्नशील होना चाहिए।

(9) मापन मूल्यांकन विधियों का उपयोग– विद्यालय में उपलब्ध उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षणों का उपयोग अपने छात्रों पर कर उनका मापन करना तथा उसका अभिलेख रखना चाहिए। इसी प्रकार सतत समग्र मूल्यांकन की अवधारणा के अनुसार कक्षा में दैनिक शिक्षण मूल्यांकन प्रश्नों द्वारा तथा मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक परीक्षाओं के आयोजन द्वारा करवाकर सभी विषयों की उपलब्धि का अभिलेख संधारित करना चाहिए।

(10) निर्देशन व मार्गदर्शन– समावेशी शाला में छात्रों को परामर्श देने तथा उनका मार्गदर्शन करने हेतु पृथक से विशेषज्ञ की सेवाएं न होने पर वह कक्षा शिक्षक ही है जो अपने छात्रों को वैयक्तिक, शैक्षिक, व्यावसायिक निर्देश व परामर्श दे सकता है। निःशक्त छात्रों के सामने भविष्य में आजीविका (रोजी कमाने) की समस्या भी आएगी अत: कौनसा व्यवसाय किस छात्र की शारीरिक मानसिक क्षमताओं के अनुरूप है इसका आकलन कर छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा की सलाह कक्षा शिक्षक को देनी चाहिए ।

(ब) स्रोत शिक्षक की भूमिका

समावेशी विद्यालयों में अध्ययनरत, दृष्टिबाधित, श्रवणशक्ति बाधित, अस्थि बाधित, मंद बुद्धि तथा धीमे अधिगमकर्ताओं आदि की कठिनाइयों व कमियों के आकलन तथा उनके सही ढंग से उपचार के प्रयास के लिए स्रोत शिक्षक (रिसोर्स टीचर) नियुक्त होते हैं । अलग–अलग क्षतिग्रस्त, अपंग, विकलांग चाहे वे शारीरिक रूप से दोषमुक्त हों या मानसिक रूप से या फिर पढ़ने–लिखने में असमर्थ हो या भावनात्मक रूप से क्षुब्ध–इन सभी के लिए अलग–अलग प्रशिक्षित स्रोत शिक्षकों की आवश्यकता होती है जो अपने–अपने कार्य के विशेषज्ञ होते हैं। जब समावेशी विद्यालयों के कक्षा शिक्षक या विषय शिक्षक निःशक्त बालकों को पहचानने या उनकी व्यावहारिक विशेषताओं आदि की पहचान करने में असमर्थ होते हैं तो वह उसे उपचार के प्रयोजन से स्रोत शिक्षक के पास भेज देते हैं।

समावेशी विद्यालयों में स्रोत शिक्षकों की भूमिका निम्नानुसार है–

(1) प्रवेश प्रक्रिया– समावेशी शाला में छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया में स्रोत शिक्षक निःशक्त छात्रों के प्रवेश हेतु चयन में विशेषज्ञ के रूप से उपस्थित रहकर यह सुनिश्चित करते हैं कि निःशक्त छात्र समावेशी विद्यालय में प्रवेश हेतु कितना अनुकूल है । जो पूर्णत: बधिर या अंधे हों उन्हें विशेष विद्यालयों में प्रवेश हेतु संदर्भित किया जा सकता है तथा अन्य सामान्य रूप से बाधित बालकों को स्रोत शिक्षक अपने समावेशी शाला में प्रवेश के लिए अनुशंसित कर सकता है । इस प्रवेश प्रक्रिया के कारण भविष्य में ऐसे छात्रों के संबंध में किसी समस्यात्मक स्थिति से बचाव हो जाता है । प्रवेश के साथ ही कक्षा के वर्गीकरण में भी स्रोत शिक्षक सहायक हो सकता है।

(2) निःशक्त छात्रों का परीक्षण कर उनकी पहचान करना– स्रोत शिक्षक अपने अनुभव, प्रशिक्षण के द्वारा तथा छात्र की अभियोग्यताओं के मापन के द्वारा उसकी निःशक्तता के संबंध में स्थिति को बता सकता है। बुद्धि परीक्षण द्वारा मंदबुद्धि

बालकों की बुद्धि की जाँच करना, दृष्टि क्षमता या श्रवण क्षमता का परीक्षण उपकरणों से करना, परीक्षा लेकर अस्थि विकलांग की जाच करना अथवा विभिन्न निःशक्त जनों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक लक्षणों से उनकी निःशक्तता की स्थिति का मापन करना स्रोत शिक्षक अपने अनुभव से कर पाता है। उदाहरण के लिए दृष्टिबाधित छात्र विषयवस्तु को बहुत पास से या बहुत दूर से पढ़ने का प्रयास करते हैं जिससे स्रोत शिक्षक उनकी निकट दृष्टि या दूर की दृष्टि की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं।

(3) चिकित्सा, उपकरण सहायता आदि हेत संदर्भित करना – स्रोत शिक्षक का यह दायित्व है कि निःशक्त बालकों की पहचान के बाद यदि उसे लगता है कि उसकी चिकित्सा से बाधित बालक की कमी कम हो सकती है अथवा उसके उपचार से वह सामान्य बालक जैसा हो सकता है तो स्रोत शिक्षक को उस बालक को आगे की चिकित्सा हेतु चिकित्सक के साथ भेजना चाहिए । इसी प्रकार कृत्रिम अंग या श्रवण यंत्र, चश्मे, वैशाखी, ट्रायसिकल आदि से निशक्त बालक के निष्पादन व क्षमता में वृद्धि होती हो तो स्रोत शिक्षक को चाहिए कि वह निःशक्त छात्र व उनके अभिभावकों को इस बाबत सलाह दे।

(4) संसाधन कक्ष का संधारण– समावेशी विद्यालय में स्रोत कक्ष या संसाधन कक्ष का उपयोग निःशक्त छात्रों को संसाधन, सहायक उपकरण, शिक्षण सामग्री आदि उपलब्ध कराना है । स्रोत शिक्षक का दायित्व है कि वह संसाधन कक्ष की साज सज्जा तथा सम्पन्नता के लिए प्रयास करें। संसाधन कक्ष के समावेशी विद्यालयों में स्थापना हेतु शासकीय अनुदान भी दिया जाता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ने एक पुस्तिका भी प्रकाशित की है जिसमें संसाधन कक्ष में दी गई सुविधाओं, उपस्करों की सूची तथा उनकी अनुमानित लागत भी दी गई है । समावेशी शालाओं में स्रोत शिक्षक को मानक स्वरूप के संसाधन कक्ष का निर्माण, साज–सज्जा तथा कक्ष के निरंतर उपयोग का दायित्व वहन करना चाहिए ।

(5) केस स्टडी तथा क्रियात्मक अनुसंधान करना– एकल अध्ययन (केस स्टडी) किसी व्यक्ति का निकट का गहन अध्ययन होता है । इसमें बालक की पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि, जीवन इतिहास, विकलांग के लक्षण व स्वरूप आदि के संबंध में डाटा व सूचनाएं एकत्र कर उनका उपयोग निशक्त बालक के उपचार हेतु किया जा सकता है । स्रोत शिक्षक को समस्यात्मक बालक, बाधित बालक, अलाभप्रद व वंचित वर्ग के किसी बालक का चयन कर उसका एकल अध्ययन करना होता है।

क्रियात्मक अनुसंधान (एक्शन रिसर्च) का प्रयोग अपने समावेशी विद्यालय को व्यवस्थित रूप से सुधारने के उद्देश्य से स्रोत शिक्षक द्वारा किसी समस्या को आधार बनाकर किया गया अनुसंधान कार्य है जैसे वाचन संबंधी त्रुटियाँ करने वाले बालकों का अध्ययन, संस्था में निशक्त बालकों की आने जाने व बैठने के स्थान संबंधी समस्याओं का अध्ययन आदि ।

इसके अतिरिक्त साक्षात्कार विधि का प्रयोग समावेशी विद्यालय में किसी विशेष बालक के अध्ययन हेतु किया जाना चाहिए ।

(6) व्यावसायिक शिक्षा के व्यवसाय के चयन में सहायता– समावेशी विद्यालय में निःशक्त बालकों में उनकी शारीरिक क्षमताओं के अनुकूल उपयुक्त व्यवसाय की व्यावसायिक शिक्षा उनके जीवन कैरियर को देखते हुए दी जानी चाहिए । स्रोत शिक्षक का यह चयन करना होता है कि पैरों के अपंग छात्र के लिए बैठे–बैठे हाथ से काम करने के कौनसे व्यवसाय की शिक्षा उपयुक्त होगी या वे बालक जिन्हें कम नजर आता है या कम सुनाई देता है उन्हें किस व्यवसाय में शिक्षा दी जाए।

(7) मॉनीटरिंग और सुपरविजन– स्रोत शिक्षक को समावेशी विद्यालय में अध्ययनरत बाधित छात्रों को समस्याओं की जानकारी के लिए घूम–घूमकर संस्था का पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करना चाहिए और यदि किसी किन्हीं छात्रों हेतु कोई गंभीर किस्म की खामी पाई जाती है तो उसे प्राचार्य या स्कूल प्रशासन के ध्यान में लाकर उसके निराकरण का प्रयास करते रहना चाहिए ।

(8) अपंग छात्रों के अभिभावकों से संपर्क– स्रोत शिक्षक के लिए यह भी आवश्यक है कि वह संस्था में अध्ययनरत निःशक्त बालकों के पालकों अभिभावकों से संपर्क कर बालक हेतु आवश्यक उपकरण सामग्री आदि के लिए परामर्श दे।

(9) निदेशन व मार्गदर्शन– स्रोत शिक्षक विशेष आवश्यकताओं वाले नि:शक्त छात्रों का विशेषज्ञ होता है अत: उसे इन छात्रों के लिए सुधार हेतु निदेश व मार्ग देते रहना चाहिए।

(10) विशेष कक्षा का आयोजन– निशक्त छात्रों हेतु अनुकूल शिक्षण देने के लिए स्रोत शिक्षक द्वारा जो बातें वे विषय शिक्षक से नहीं समझ पाए उसे समझाने हेतु विशेष कक्षा भी लेनी चाहिए। जिस व्यवसाय में स्रोत शिक्षक प्रशिक्षित हो उस व्यवसाय की व्यावसायिक शिक्षा भी छात्रों को देनी चाहिए।

हायर एजुकेशन पॉलिसी प्रैक्टिस & मूवमेंट- उच्च शिक्षा में बीएड प्रशिक्षणार्थियों के स्कूल इंटरशिप में शिक्षण प्रभावशीलता व समावेशी शिक्षा का महत्व

कपिल उपाध्याय

s/o राधेश्याम उपाध्याय
टीचर्स कालोनी बंदा रोड भवानी मंडी 326502
जिला झालावाड़ राजस्थान

सारांश

स्वस्थ , सशक्त , समृद्ध , आत्मनिर्भर तथा श्रेष्ठ भारत के निर्माण की परिकल्पना के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अस्तित्व में आ चुकी है। अब इस शिक्षा नीति को धरातल पर प्रभावी रूप से लागु किये जाने का समय है। स्वाभाविक है कि नवीन शिक्षा नीति का वृहद विवेचन होगा। यह भी परीक्षण होगा कि वास्तविकता के धरातल पर यह नीति कितनी व्यावहारिक है। प्रश्न यह उठता है कि 1968 ,1986 तथा 1992 की शिक्षा नीतियों से यह किस प्रकार भिन्न है ? यदि पूर्व कि शिक्षा नीतियाँ देश की आवशयकताओं व अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ रही हैं तो नवीन शिक्षा नीति में इसके लिये क्या प्रावधान किये गये हैं ?

नवीन शिक्षा नीति शिक्षा व्यवस्था के अत्यधिक केन्द्रीकरण , व्यवसायीकरण के साथ ही निजीकरण तथा शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करती हुई दिखाई देती है। त्रिभाषा फार्मूला तथा केन्द्रीय स्तर पर विभिन्न नियामक संस्थाओं को मिलाकर एक संस्था बनाने जैसे प्रावधान समाधान के स्थान पर नवीन समस्याओं को जन्म देंगे , जिससे भारत के संघीय ढाँचे पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार स्नातक स्तर पर मल्टी लेवल एग्जिट व एन्ट्री की व्यवस्था तथा सी बी सी एस (C B C S) आदि को लागु किये जाने हेतु जिन आधारभूत संसाधनों की आवशयकता होगी उनकी व्यवस्था किये जाने की दिशा में सरकार के क्या प्रयास होंगे नवीन शिक्षा नीति में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। विशेष बिन्दु यह है कि वर्तमान समय में देश की सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था के 95 % से अधिक भाग का संचालन निजी क्षेत्र के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान सरकार शेष शिक्षण संस्थाओं को भी निजी क्षेत्र को दिये जाने की योजना पर कार्य कर रही है। इसके पक्ष में "कठिन अर्थोपाय" का तर्क तो समझ में आता है परन्तु "राज्य के दायित्व" के निर्वहन को ताक पर रखकर "ईज़ ऑफ़ डूइंग" के सिद्धांत के आधार पर निजी शिक्षण संस्थानों को खुली छूट दिया जाना तर्क से परे की बात है। प्रस्तुत शोध पत्र में इन सभी बिन्दुओं का विस्तार से विश्लेषण किया जायेगा।

कुंजी

राज्य के दायित्व , कठिन अर्थोपाय , ईज़ ऑफ़ डूइंग

। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उच्च शिक्षा के निमित समर्पित इन संस्थानों में 18 भाषाओं में विज्ञान , कला , वाणिज्य , चिकित्सा , प्रौद्योगिकी , प्रबंधन सहित शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनेक व्यावसायिक महत्व के पाठ्यक्रमों की शिक्षा की व्यवस्था है । इन संस्थानों में प्रतिवर्ष लगभग 75 लाख विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं , फिर भी कई युवक-युवतियाँ उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अत: अभी भी काफी संख्या में नए संस्थानों को स्थापित करने की आवश्यकता है।

आज , समय के साथ उच्च शिक्षा को बदलने की एक बहस ही छिड़ गई है। इस बदलाव तथा अनेक नए संस्थानों की स्थापना के लिए सरकार को एक बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता है , जो वर्तमान समय में सम्भव नहीं दिखता । अत: उच्च शिक्षा का निजीकरण ही एक दूसरा विकल्प बचता है। यदि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी व्यावहारिकता पर विचार किया जाए तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी संख्या प्रत्येक वर्ष तैयार कती जा रही है।

प्रतिवर्ष 3-4 लाख बेरोजगारों के नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत ऐसे भी बेरोजगार होते हैं जो इन कार्यालयों में अपना नाम दर्ज ही नहीं कराते । रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण कई युवक दिशाहीन होकर गैर-कानूनी कामों की ओर भी उन्मुख हो रहे हैं।

सरकार द्वारा उच्च शिक्षा पर किए जा रहे व्यय की ओर देखा जाए , तो यह स्पष्ट होता है कि सरकार का अधिक ध्यान देश की जनसंख्या को शिक्षित करने अथवा प्राथमिक शिक्षा पर ही अधिक केन्द्रित है । उच्च शिक्षा के लिए उच्च संसाधनों की कमी हमेशा से बनी रही है। चौथी पंचवर्षीग्र योजना के बाद से उच्च शिक्षा पर भारी कटौती की जा रही है । चौथी योजना के दौरान उच्च शिक्षा पर कुल शिक्षा व्यय का 25% भाग खर्च किया गया , वहीं अब नौवीं योजना में मात्र 12% रह गया ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति , 1986 के आरंभ से शिक्षा में निजीकरण के प्रवेश का संकेत मिलने लगा । इस नीति में उच्च शिक्षा संस्थानों क बेहतर रूप से संचालित करने के लिए चन्दा इकट्ठा करना तथा इमारतों के रख-रखाव एवं रोजमर्रा के काम में आनेवाली वस्तुओं की पूर्ति में स्थानीय लोगों की सहायता की बात कही गई ।

इस बीच विश्व बैंक द्वारा विकासशील देशों में शिक्षा के खर्च के पैटर्न पर एक रिपोर्ट जारी की गई , जिसमें सलाह दी गई कि आर्थिक संसाधनों की कमी को देखते हुए शिक्षा पर आने वाले खर्च का एक बड़ा हिस्सा अभिवावकों पर डाला जाए । वर्ष 1991 में ढाँचागत समायोजन के अन्तर्गत नरसिम्हाराव सरकार ने आर्थिक उदारीकरण को आगे बढ़ाया , जिसमें स्पष्ट हो गया कि उच्च शिक्षा को विश्व बैंक के सुझावों के अनुरूप ढाला जाएगा ।

उसी दौरान खड़ी संकट की आड में उच्च शिक्षा के बजट में यू.जी.सी. द्वारा 35% की कटौती की गई तथा विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया कि वे अपने संसाधन स्वयं जुटाने का प्रयास करें । केन्द्र सरकार के निर्देश पर यू.जी.सी. ने 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के पुनीया की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था । इस समिति का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों के आर्थिक संकट के हल और वैकल्पिक संसाधनों की उगाही के संबंध में सुझाव देना था।

इस समिति ने 1993 में अपनी रिपोर्ट यू.जी.सी. को सौंपी । इस रिपोर्ट में उच्च शिक्षा के निजीकरण के पक्ष में मत व्यक्त किया गया था- " कोई भी समाज जो गरीबी और गैर-बराबरी से जूझ रहा हो , वह विश्वविद्यालयों में हो रही फिजूलखर्ची के सब्सिडीकरण का समर्थन नहीं कर सकता अथवा सम्पन्न तबकों को उच्च शिक्षा पर हो रहे खर्च के भुगतान से बचे रहने की इजाजत नहीं दे सकता है। इसलिए उच्च शिक्षा पर हो रहे वास्तविक खर्च का बड़ा हिस्सा उनसे वसूलना चाहिए । "

विश्व बैंक द्वारा जारी उच्च शिक्षा-अनुभवों से प्राप्त सबक नामक रिपोर्ट में भारतीय शिक्षा के संबध में स्पष्ट रूप से कहा गया है बेशक यह कहना तार्किक लगता है कि उन विकासशील देशों में जिन्होंने अब तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में पर्याप्त गुणवता , समानता और अपेक्षित उपलब्धता हासिल नहीं की है , वहाँ उपलब्ध सार्वजनिक संसाधनों पर उच्च शिक्षा को प्राथमिकता का दावा नहीं करना चाहिए । क्योंकि आमतौर पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में किए जाने वाले निवेश से कहीं अधिक होता है । केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में फीस ढाँचे की समीक्षा और सुधार के संबंध में गठित ' महमूदर्रहमान समिति ' तथा दिल्ली वि.वि. में फीस ढाँचे की समीक्षा और सुधार के संबंध में गठित ' आनन्द कृष्णन समिति ' की सिफारिशों से भी स्पष्ट हो गया कि अब उच्च शिक्षा का खर्च अभिवावकों पर डालने की तैयारी हो चुकी है ।
इन सारी समितियों की रिपोर्टो का सार यही है कि उच्च शिक्षा पर खर्च वर्तमान आर्थिक परिप्रेक्ष्य में कीमती राष्ट्रीय संसाधनों का उपव्यय है। इस प्रकार अब एक ही विकल्प बचा कि निजी क्षेत्र के लिए उच्च शिक्षा के दरवाजे खोल दिए जाएँ ताकि सरकार के पीछे हटने से होने वाली क्षति की भरपाई हो सके ।' पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर रिमार्क्स इन एजूकेशन ' नाम से 24 अप्रैल , 2001 को मुकेश अम्बानी तथा कुमार मंगलम बिड़ला द्वारा व्यापार और उद्योग पर गठित प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद् को उच्च शिक्षा पर एक रिपोर्ट सौंपी गई ।रिपोर्ट के मुताबिक इसे 2015 के भारत की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है । इस रिपोर्ट के अनुसार 2015 तक उच्च शिक्षा पर 42 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे । इसके अतिरिक्त भारत सरकार को 15 वर्षों में नए संस्थानों के निर्माण में 11 हजार करोड़ की पूंजी लगानी पड़ेगी ।
सरकार के लिए केवल अपने बल पर इतनी पूंजी लगाना सम्भव नहीं है इसलिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी और सरकारी क्षेत्र में क्रमश: 40 और 60 प्रतिशत निवेश की संस्तुति की गई है। इससे उच्च शिक्षा निश्चित तौर पर काफी मंहगी हो जाएगी और यह केवल धनाढ्य वर्गों तक के बच्चों के लिए ही सीमित होकर रह जाएगी ।
हालांकि गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए ऋण प्रदान करने का भी इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है , किन्तु यह व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता । कारण कि गरीब तबके के अभिभावक इतनी बड़ी राशि का ऋण लेने की हिम्मत ही नहीं पाएंगे।

अगर ऋण ले भी लिया तो चुकाने की क्या व्यवस्था होगी , क्योंकि पढ़ाई कर लेने के बाद रोजगार की भी गारंटी नहीं होगी । इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट ने अन्य संस्तुतियाँ भी की गई हैं जो निम्न हैं:
1. शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम एवं सुविधाओं को समयानुकूल तथा बाजारोन्मुखी बनाया जाए ।
2. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सैट , जी.आर.ई. एवं जीमैट के अनुरूप राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाएं तथा एक आधार पर इनमें प्राप्त प्राप्तांक बनाया जाए ।

3. शिक्षकों के लिए सतत् प्रशिक्षण तथा गुणवत्ता विकास के लिए कानून बनाया जाए।
4. विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, संस्थानों तथा स्कूलों के स्तर को निर्धारित करने के स्वतन्त्र एजेंसियों द्वारा समय-समय पर उनकी रेटिंग कराई जाए तथा उनका स्तर तय किया जाए।
5. शिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाए। प्रारम्भ में इसे विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा तक सीमित किया जाए।
6. भारतीय विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में विदेशी विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। प्रारम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति वाले संस्थानों में अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाए।
7. सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच इस बात की सहमति बनाई जाए कि वे विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं से दूर रहेंगे। विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण सस्थाओं में राजनीतिक गतिविधियों पर पाबन्दी लगाई जाए।
8. स्नातक स्तर और उससे ऊपर हर क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहित किया जाए।
9. अर्थव्यवस्था को नियन्त्रण से मुक्त किया जाए ताकि शिक्षा के लिए बाजार का विकास हो सके।
10. विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता कम की जाए तथा उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया जाए।
11. उच्च शिक्षा हेतु सरकार की भूमिका उच्च शिक्षा के सस्थानों की मदद करने, उन्हें कोष प्रदान करने, विद्यार्थियो के कर्ज दिलाने में वित्तीय गारण्टी देने, पाठ्यक्रम तथा उनकी गुणवत्ता में एकरूपता लाने तथा शैक्षिक विकास योजना बनाने तक सीमित की जाए।
12. कम सरकारी सहायता पाने या नहीं पाने वाले शिक्षण सस्थानो के सचालन तथा पाठ्यक्रम चयन में कल्पनाशीलता की स्वतन्त्रता दी जाए।
13. विज्ञान, तकनीकी, प्रबन्धन तथा वित्तीय क्षेत्रा मै पढाई के लिए नए निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए 'निजी विश्वविद्यालय अधिनियम' बनाया जाए। इन सुझावो से स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा में निजीकरण की शुरुआत हो चुकी है तथा विशेष रूप से इंजीनियरिग, चिकित्सा, प्रबधन, कम्प्यूटर, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में बड़ी तेजी से विस्तार हो रहा है।

अत: वर्तमान दौर में उच्च शिक्षा के निजीकरण को रोक देना अव्यावहारिक तथा अप्रासंगिक होगा। हों, इसके परिणाम आशाजनक तथा अच्छे हों इन बातों पर जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए।

इसके लिए कुछ सुझाव यों हो सकते हैं:
1. कमजोर वर्ग के योग्य और मेधावी विद्यार्थियों को इन संस्थानों मे शुल्को में पूरी छूट मिलनी चाहिए। इन सस्थानों मे प्रवेश का आधार केवल 'मैरिट' ही रहना चाहिए।
2. निजी क्षेत्रों को मान्यता देते समय इस बात का सुनिश्चय हो कि वे केवल ख्याति प्राप्त सस्थाओं को ही मिले ताकि उनमे वाणिज्यिक तौर पर कमाई का साधन बनाने की प्रवृत्ति न पैदा हो।
3. सस्थानो द्वारा सचालित पाठ्यक्रमों तथा शिक्षण कार्य की प्रभावशीलता की नियमित जांच हो।
4. निजी क्षेत्र के शिक्षा संस्थानों की गुणवता और उनके उत्पाद की प्रभावशीलता की जाँच के लिए भी अलग से नियमित जाच की व्यवस्था हो, ताकि वे अपनी गुणवत्ता के प्रति सजग रहें।

वर्तमान उदारीकरण के इस युग मे आर्थिक स्थिति को देखते हुए उच्च शिक्षा में निजीकरण की भागीदारी को नकारना व्यावहारिक नहीं लगता। हाँ, इसके निजीकरण की प्रक्रिया को अपनाते समय इस बात पर जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि निजीकरण से इस पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े।

उच्च शिक्षा के निजी और सार्वजनिक दोनो ही क्षेत्रो मे आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है तथा इसमें व्याप्त विमगतियो को दूर कर दोनो क्षेत्रो को एक-दूसरे के पूरक और सहयोगी बनकर संचालित किए जाने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ - सूची
1. उच्च शिक्षा की दशा एवं दिशा - अतुल कोठारी।
2. शिक्षा के उद्देश्य - प्रोफेसर हवाईडेड।
3. उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और स्वायत्तता - सुशील कुमार तिवारी।
4. शिक्षा कैसी हो - पवित्र कुमार शर्मा।
5. नेट के द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर।

GEETANJALI